

Telecommunications Union (ITU) assigns the satellite orbit and the frequency on which the satellite will orbit the earth. Countries, whether it is India or X or Y or Z, can only control the usage of those satellites and the service that is provided in respective countries. We cannot auction something, an asset, which is not fully in our control. And that applies not only to India, it applies to all the countries on the earth. The point that I want to make to Randeep ji is this. Today, there is no country that auctions satellite spectrum across the world. The USA's Orbit Act prohibits auctioning of satellite spectrum. The USA administratively assigns spectrum. Europe, whether it is France, Germany or UK, and Russia, all countries assign spectrum for satellite administratively. India is only following the global model. Therefore, satellite spectrum will be assigned administratively. Now the question he has asked is with regard to pricing. That pricing will be defined by TRAI. We have moved an application to TRAI to define what that pricing is. Once TRAI defines that price, spectrum will be allocated to all providers at the same price. There will be no difference in that.

MR. CHAIRMAN: Supplementary No. 5; Ms. Dola Sen.

MS. DOLA SEN: Thank you, Mr. Chairman, Sir. हम satellite internet spectrum को लेकर मिनिस्टर का स्वागत करना चाहते हैं।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. ...(Interruptions)... I tried very desperately to give you the floor.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <https://sansad.in/rs/debates/officials>]

1.00 P.M.

GOVERNMENT BILLS

I. The Waqf (Amendment) Bill, 2025

and

II. The Mussalman Wakf (Repeal) Bill, 2025

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Kiren Rijju to move motions for consideration of the following Bills: the Waqf (Amendment) Bill, 2025, and the Mussalman Wakf (Repeal) Bill, 2025.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJJU): Sir, I move:

“That the Bill further to amend the Waqf Act, 1995, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.”

Sir, I also move:

“That the Bill to repeal the Mussalman Wakf Act, 1923, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.”

माननीय सभापति जी, जब मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर इस सदन में आया हूँ और जब हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, तो मैं कुछ बातें शुरू में ही रखना चाहता हूँ, ताकि डिबेट का स्तर भी अच्छा रहे, ऊँचा रहे, हम सदन की गरिमा भी बनाए रखें, तर्क सामने आए, इस महान राज्य सभा के सदन में जो बहस हो, वह सार्थक रूप से हो और इस बिल को हम सब मिल कर पारित करें।

आदरणीय सभापति महोदय, जब यह Joint Parliamentary Committee बनी, इसके बारे में मैं अभी जिक्र करूँगा, इस कमिटी के बनने से पहले कई लोगों ने कहा कि इसके ऊपर consultation जितना होना चाहिए था, नहीं हुआ है। मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि जब हम यह वक्फ संशोधन बिल लेकर आए और हमने JPC बनाई, उससे पहले हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने व्यापक रूप से देश भर में जितने stakeholders हैं, राज्य सरकारों से, स्टेट्स में Minority Commissions होते हैं, Waqf Boards होते हैं, वहाँ के ऑफिसर्स से, intellectual community से, धार्मिक संस्थाओं में जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, कई लोगों से बातचीत करने के बाद यह बिल तैयार करके हमने पार्लियामेंट में पेश किया, फिर उसके बाद Joint Parliamentary Committee का गठन हुआ। राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों ने मिल कर जो काम किया है, मैं officially अपनी बात को दर्ज करना चाहता हूँ कि इस JPC ने जो काम किया है, पूर्व में जितनी भी JPCs बनी हैं, उनमें इससे ज्यादा, इतना लंबा, इतना व्यापक काम आज तक नहीं हुआ है। कुल मिला कर 284 संगठन, stakeholders, अलग-अलग क्षेत्र के लोगों ने JPC के समक्ष आकर अपनी बातों को रखा और ज्ञापन सौंपा। 97 लाख से भी ज्यादा, छोटे-मोटे पत्रों को मिला कर एक करोड़ से ज्यादा ज्ञापन हमारे देश के लोगों ने सौंपे हैं और अपने मत को JPC और मंत्रालय को दिया है। इसलिए किसी बिल के ऊपर सदन में चर्चा करने से पहले एक करोड़ से ज्यादा सुझाव मिलना, यह भी अपने आप में ऐतिहासिक है। राज्य सरकारों से भी विचार-विमर्श हुए। साथ ही साथ, कल लोक सभा में बहुत लंबी चर्चा हुई और देर रात, यानी कि आज सुबह यह बिल पास होकर राज्य सभा में आया। मैं मानता हूँ कि ठीक है, हमारे मेम्बर्स ने कहा है कि संशोधन देने के लिए समय मिलना चाहिए था, लेकिन सबने इसके लिए agree किया है, आज सुबह हमारे मेम्बर ने सवाल उठाया, चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम लोगों ने Business Advisory Committee में यह तय किया कि आज ही यहाँ इसके ऊपर चर्चा करनी है। Joint

Parliamentary Committee ने 10 शहरों - मुम्बई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना, कोलकाता और लखनऊ - में जाकर अपना पूरा समय भी वहाँ दिया है। आज मैं कमेटी के हरेक मेंबर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी जो लोग इस बिल पर बोलने वाले हैं, जब मैं आखिर में जवाब दूँगा, तब जवाब देते समय उनको धन्यवाद जरूर दूँगा।

सभापति महोदय, मैं तो इस सदन में मंत्री के रूप में बोल रहा हूँ, लेकिन हर व्यक्ति साधारण रूप से यह expect करता है कि कोई अच्छा काम करेगा, तो उसकी तारीफ भी जरूर होगी और खास करके उन लोगों से तारीफ ज्यादा मिलेगी, जिनकी इच्छा को मैं पूरा कर रहा हूँ। इसलिए सभापति महोदय जी, 1976 में जब Waqf Inquiry Report को पेश किया गया, वह कमेटी किसने बनायी थी? कांग्रेस सरकार ने उस कमेटी का गठन किया और Inquiry Commission बिठाया। उस Commission ने जब रिपोर्ट पेश की, वह बहुत लंबी रिपोर्ट है, लेकिन जो यहां relevant है, मैं उसको quote करता हूँ। “Misuse by mutawallis; and the Inquiry Committee called out the mutawallis misusing the authority and power and proposed for steps to be taken to improve the functioning of the Waqf.” सबसे पहले यह रिपोर्ट आयी। उसके बाद दूसरी बात का जिक्र किया कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर इतने cases बने हुए हैं, litigations इतने ज्यादा लंबित हैं, तो सरकार को इसे सरल करने के लिए कदम उठाना चाहिए। उसके बाद सच्वर कमेटी बनी। सच्वर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में पेश की गई। सच्वर कमेटी ने जो कहा, उसका मुख्य अंश यह है कि एक तो जो वक्फ बोर्ड है, उसको strengthen किया जाना चाहिए और यह पुराने सिस्टम में चल रहा है, यह डिजिटल होना चाहिए। साथ-साथ सच्वर कमेटी ने कहा कि इस समय इस देश में 4.9 लाख Waqf properties हैं। यह आज तो बढ़ गयी है। उस समय, 2006 में यह उतनी थी। 4.9 लाख Waqf properties, जो registered Waqf properties हैं, उनकी total income सिर्फ Rs.163 crore per annum था। उसी समय सच्वर कमेटी ने यह भी कहा, टिप्पणी भी की और सुझाव भी दिया कि अगर उन 4.9 लाख properties को उस समय के market rate के अनुसार efficiently manage करते, तब भी हर साल 12,000 करोड़ रुपये की income का generation होता। वह 12,000 करोड़ रुपये होना चाहिए था, लेकिन 163 करोड़ रुपये का ही generation हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने आकलन किया, तो आज के दिन 8.72 लाख properties हैं, वह इतनी बढ़ गयी, तो उनका तो हम हिसाब भी नहीं लगा सकते हैं। मुझे उनका हिसाब लगा कर आंकड़े पेश भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि मार्केट का अपना एक फार्मूला होता है। लेकिन एक common sense है कि अगर सच्वर कमेटी ने 4.9 लाख properties के बारे में यह अनुमान लगाया कि उनसे 12,000 करोड़ रुपये की इनकम होनी चाहिए, तो आप आज के समय के मार्केट रेट में उनका हिसाब लगा करके इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। सच्वर कमेटी ने यह भी कहा कि Central Waqf Council और State Waqf Boards में और broad base बना कर यह inclusive होना चाहिए। अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बंद कमरे में बैठे हैं, तो इसको खोलना चाहिए, broad base करना चाहिए। साथ-साथ जो Secretary, Central Waqf Council और State Boards हैं, उनका स्तर senior level का होना चाहिए। उस समय वे Under Secretary, Deputy Secretary rank के थे, उनके बारे में कहा कि वहाँ Joint Secretary, Additional Secretary rank के officer को नियुक्त करना चाहिए। साथ ही, सच्वर

कमिटी ने उस समय यह भी recommend किया था कि बच्चों और महिलाओं के लिए specific कदम उठाना चाहिए।

सर, उसके बाद एक Joint Parliamentary Committee का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता के. रहमान खान जी ने की। के. रहमान खान जी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी रहे हैं। वे यहाँ के एक वरिष्ठ सदस्य थे। उन्होंने फिर पूरे all parties के सदस्यों की एक JPC को head किया। उसमें उन्होंने कई मुद्दे रखे हैं और recommend किए हैं। मैं उनमें से मुख्य-मुख्य चीजों को यहाँ point out करना चाहता हूँ। एक बात तो उन्होंने point out किया कि Waqf Board का जो infrastructure है, वह काफी नहीं है और manpower और fund बहुत ही meagre है, कम है, छोटा है, जो काफी नहीं है।

उन्होंने दूसरी बात कही कि ऐसा लगता है कि सारा जो झंझट है वह मुतवल्ली पर ही केंद्रित है कि मुतवल्ली को कैसे appoint करना चाहिए, कैसे हटाना चाहिए। इसको भी point out किया गया। फिर documentation और Waqf property के सर्वे के बारे में तथा वक्फ को लेकर जो legal set-up होना चाहिए - इनके बारे में भी है। Computerization of Waqf Boards होना चाहिए, Central Data Bank होना चाहिए - इसके बारे में भी उस समय के जेपीसी ने कहा। म्यूटेशनस, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स और to adopt sound and acceptable financial and budgetary practices के भी सुझाव दिए हैं। वक्फ प्रॉपर्टी का किस तरह से लीज होना चाहिए - इसके बारे में भी सुझाव दिया है।

सर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि सच्चर कमेटी को मिलाते हुए इन तीन कमेटीज की रिपोर्ट्स में जो-जो मुख्य recommendations हैं, उन सारी recommendations को लेकर आज हम यह बिल लेकर इस सदन में आए हैं। ये तीनों कमेटीज कांग्रेस सरकार के समय की हैं। दूसरी और तीसरी कमेटीज के समय तो यूपीए सरकार थी, लेकिन पहली कमेटी के समय तो pure कांग्रेस गवर्नमेंट थी। मैं मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों से अपील करना चाहता हूँ कि आज हम माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बड़ा कदम उठाते हुए 2025 का जो वक्फ संशोधन बिल लेकर आए हैं, आपके ही सोच-विचार को, जिसको आप पूरा नहीं कर पाये, उसको पूरा करने की हिम्मत नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने की है, इसलिए आपको इसका जरूर समर्थन करना चाहिए।

आदरणीय सभापति जी, हमने कई लोगों का स्टेटमेंट सुना है, टेलीविजन पर भी सुना है और कल दूसरे सदन में भी सुना है। हम यह कोई नया कदम तो नहीं उठा रहे हैं। इतिहास सबको मालूम है, लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। 1894 में The Privy Council ने 'Waqf-al-Aulad' - बच्चों के लिए जो वक्फ क्रिएट करते हैं, उसको invalidate करने के लिए एक आर्डर पास किया था। जो बाद में जाकर बड़ा विषय बना। मुसलमानों का एक बड़ा दल गया और ब्रिटिश हुकूमत के सामने अपील की। तब जाकर पहली बार 1913 में इस देश में 'The Mussalman Wakf Validating Act' औपचारिक तौर पर कानून के रूप में आया। फिर 1923 में 'The Mussalman Wakf Act' पास किया गया, जो accounting और transparency पर केंद्रित था। फिर The 'Mussalman Wakf Validating Act, 1930' पास हुआ, जो reinforcing the legal validity of family awqaf है। इस तरीके से शुरुआत हुई। फिर हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद 1954 में Waqf Act पारित हुआ, जिसमें State Waqf Boards का प्रावधान था। उसके बाद 1959, 1964, 1969 और 1984 में

Waqf Act, 1954 को फिर से संशोधित करके, यहाँ से पास हुआ और 1995 में finally सबसे broad-based Bill आया, जिसमें आज हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। इसमें Tribunal के गठन का प्रावधान रखा गया, Central Waqf Council का गठन हुआ और आज के दिन मैं उसके अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। उसके बाद वैसी वक्फ प्रॉपर्टी, जिसकी इनकम पाँच लाख रुपए से ज्यादा है, उसमें Executive Officer appoint होना चाहिए - यह प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, जब यह चल रहा था, समस्या तो है, यह सबको मालूम है और कमेटीज़ की रिपोर्ट्स का भी मैंने जिक्र किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमें आज एक major Amendment लेकर आना पड़ा। 2013 में यूपीए सरकार थी और चुनाव सिर पर था, चुनाव आने वाला था, उस समय यूपीए सरकार ने कदम उठाया कि इसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए। उस समय UPA सरकार ने जो changes लाये, उनसे थोड़ा compare करते हुए मैं बताना चाहता हूँ। उस समय भी JPC का गठन हुआ, आज भी जेपीसी बनी है। सर, फर्क क्या है? उस समय के Select Committee में 13 Members थे और इस बार की जेपीसी में 31 Members थे। उस समय की Select Committee की total sittings 22 बार हुई, इस बार की जेपीसी की total sittings 36 हुई हैं। उस समय जो total delegations, organizations, stakeholders सेलेक्ट कमिटी के सामने पेश हुए, उनकी संख्या 18 थी और इस बार 284 है। उस समय 14 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों से चर्चा हुई, इस बार 25 State Boards, State Governments, 5 Minority Commissions से चर्चा हुई और विधायकों और एमपीज़ का तो कोई हिसाब ही नहीं है। उस समय total 32 memorandum receive किए गए और इस बार का तो मैंने पहले ही बता दिया, 97,27,772 plus अनौपचारिक रूप से अपने मंत्रालय में भी हमने लाखों की संख्या में receive किए हैं। उस समय की Select Committee ने कहाँ-कहाँ visit किया? उसने लेह, जम्मू और श्रीनगर का visit किया। उस समय ये तीनों एक ही State में थे - लेह अब Union Territory में है, इसी तरह जम्मू और श्रीनगर भी अलग-अलग हैं। जेपीसी ने इस बार कहाँ-कहाँ visit किया, उन जगहों के नाम मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इस कमिटी ने किन-किन शहरों में visit किया है।

सभापति जी, जब हम लोग एक महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसके background संदर्भ को रखते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। महोदय, यहाँ कहा गया है कि हम जो कदम उठा रहे हैं, उससे मुसलमानों को नुकसान होगा। कई लोगों ने कहा कि यह unconstitutional है, गैरकानूनी है और इसके माध्यम से मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। लोगों ने अलग-अलग तरीके से अपनी बातें रखी हैं। ठीक है, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मैं बहुत ही साफ-साफ तरीके से ये सारे जो आरोप लगाए गए हैं, उनको खारिज करना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले, यह जो waqf property है, इसका management, इसका creation और इसका benefit मुस्लिम के अलावा किसी और के पास हो ही नहीं सकता है, यह मुस्लिम के पास ही रहेगा और इसमें कोई भी non-muslim हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो waqif होता है, वह कोई मुसलमान ही होता है। जो auqaf बन जाता है, वह property create हो जाती है, जिसका management mutawalli करते हैं। उनको भी मुसलमान ही होना पड़ता है। वह यह property तीन purposes के लिए create करता है - धार्मिक, यानी religious purpose, अच्छे काम के लिए pious, जो भगवान के नाम पर या अल्लाह के नाम पर होती है और charitable, यानी बच्चों, महिलाओं और गरीबों की भलाई के लिए, तो वह मुस्लिम ही होगा। यहाँ

यह सवाल ही नहीं उठता है कि मुस्लिम धार्मिक भावना और धार्मिक व्यवस्था या किसी भी तरीके से मुस्लिम प्रॉपर्टी या मैनेजमेंट में non-muslim हस्तक्षेप कर रहा है। यह सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए मैं बहुत clear करना चाहता हूँ, ताकि जब debate का सिलसिला शुरू हो, तो हमको माननीय सदस्यों से यह सुझाव मिल सके कि waqf management में, property management में तथा Waqf Board को और ताकतवर बनाने में और क्या-क्या काम करने चाहिए। अगर कोई मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को trust के माध्यम से चलाना चाहता है, तो वह चला सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। Waqf Act में यह छूट दी गई है कि अगर आप Waqf Board के माध्यम से चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पूरी इजाजत है। जिस प्रकार, Charity Commissioner trust properties को देखते हैं, निगरानी करते हैं, व्यवस्था को check करते हैं, उसी प्रकार से Waqf Board waqf property को सही तरीके से चला रहा है या नहीं, यह निगरानी रखने के लिए Waqf Board बनाया गया है। वह waqf property को चलाने के लिए नहीं है। इसलिए, अगर हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तो बाद में हमारी चर्चा का स्तर भी ज्यादा अच्छा रहेगा।

सर, हमने जो प्रावधान किए हैं, बेसिकली transparency, accountability और efficiency, ये तीन बड़े पैमाने हैं, क्योंकि जवाबदेही होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। तो इन तीन व्यवस्थाओं पर हमारी पूरी exercise केंद्रित होती है।

सर, आर्टिकल 25, 26 और 30 का हवाला देकर कई बार लोगों ने इस बिल के खिलाफ, इस प्रस्तावना के खिलाफ और हमारे खिलाफ कहना शुरू किया। मैं आज उनको जवाब देना चाहता हूँ कि हम किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है। वह सबसे छोटा फितरा क्रिएट करता है, जो गरीब से गरीब मुसलमान भी क्रिएट करता है। आप जकात देते हैं, दान देते हैं। उसमें किसी को भी पूछने का अधिकार नहीं है कि हिसाब-किताब कैसे किया। यह तो आपकी अंदर की बात है, यह तो आपका फेथ है। इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? इसलिए, आप लोग अपनी बात रखते समय यह बिल्कुल भी मत बोलिएगा कि सरकार या कोई गैर-मुस्लिम मुसलमानों के कामकाज और उनके तौर-तरीकों में हस्तक्षेप कर रहा है।

सर, वैसे तो कोर्ट केसेज़ बहुत हैं। मैंने दूसरे सदन में भी वोट करके बताया। मैं यहां फिर से दोहराना चाहता हूँ, ताकि कोर्ट की रूलिंग भी क्लियर हो जाए। Syed Fazal Pookoya Thangal Vs. Union of India में, केरल हाई कोर्ट ने जो observation और order pass किया है, उसमें कहा गया है- I quote, "The Waqf Board is a statutory body, pure and simple. It is not a representative body of the Muslim community". वक्फ प्रॉपर्टी - इसलिए, कोर्ट का जजमेंट बहुत साफ हमारे सामने दिखाई देता है।

सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है - Hafiz Mohammad Zafar Ahmad vs U.P. Sunni Central Board of Waqf. उसमें कहा गया है - I quote, "A Mutawalli's right is purely a right of management of the property, and is not a propriety right. The duties of a Mutawalli are purely of a secular character. His duties are not of a religious character". इसीलिए, मुतवल्ली के ऊपर निगरानी रखने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। Tilkayat Govindlalji Maharaj Vs. The State of Rajasthan. उसमें कहा गया है - I quote,

“Right to manage properties of a temple is purely a secular matter, and cannot be regarded as a religious practice”. कोर्ट ने प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के बारे में इतना क्लियर कहा है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, मैं बहुत कम क्वोट कर रहा हूँ।

महोदय, मैं 2013 के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब मैं उसमें थोड़ा अंदर जाकर आपको बताना चाहूँगा। आपको भी सुनकर लगेगा कि आज यह बिल लाना कितना जरूरी था। आज हम जो संशोधन बिल लेकर यहां आए हैं। वर्ष 2013 में जब यह कमेटी वगैरह बनाई गई, कमेटी का गठन 2013 में हुआ, फिर दोनों सदनों में पारित हुआ। उसके बाद, 5 मार्च 2014 को, यानी कि जब इलेक्शन नोटिफाई होकर Code of Conduct लगने वाला था, उसके 25 दिन पहले, तब यूपीए सरकार ने आनन-फानन में देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 123 सबसे प्राइम प्रॉपर्टीज को de-notify करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया।

ये प्रॉपर्टीज Housing and Urban Affairs Ministry में आती थीं। आप सोचिए, 1970 से कोर्ट में मामला चल रहा था, जो पेंडिंग था। आप कोर्ट को निर्णय करने दीजिए। आपने CGO Complex वगैरह का नाम सुना होगा। मैं आपको बाद में लिस्ट दे दूंगा। ऐसी 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को सीधे-सीधे एक झटके में आपने हैंडओवर कर दिया। उसके बाद 2013 के अमेंडमेंट में आपने कहा कि कोई भी आदमी वक्फ क्रिएट कर सकता है। वक्फ क्रिएट करने के बारे में जैसा मैंने बताया कि charitable, religious, pious purpose के लिए एक मुसलमान अल्लाह के नाम पर क्रिएट करता है। यूपीए सरकार ने उसको बदलकर यह कह दिया कि कोई भी आदमी वक्फ क्रिएट कर सकता है। हमने इसको चेंज करके 1995 के पुराने प्रावधान के साथ मिलाकर इसके साथ-साथ यह कहा कि Now, in the proposed amendment, only persons practising Islam for more than five years can dedicate Waqf. यह हमने क्लियर कर दिया है, ताकि इसमें डाउट की कोई गुंजाइश न हो कि वक्फ कौन क्रिएट कर सकता है। मुसलमान के अंदर भी कई sects हैं- जैसे सुन्नी हैं, शिया है, आगा खान हैं, दाऊदी बोहरा हैं, पसमांदा हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन यूपीए सरकार ने कह दिया ...**(व्यवधान)**... हां, कई लोग डिस्प्यूट करते हैं। यह तो दरगाह वाले भी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग मुसलमान ही नहीं हैं। इस तरह के क्लेम पर मत जाइए। यहां इस्लाम के बहुत स्कॉलर होंगे, जानकार लोग भी बहुत हैं, लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं या मैं जो कह रहा हूँ, वह सत्य है। मैं क्लेम के बारे में बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं हैं या ये इस ग्रुप में हैं या उस ग्रुप में हैं। मैं यहां डेफिनेशन नहीं देना चाहता, हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि हम जो नया प्रावधान लेकर आए हैं, उसमें हर वक्फ बोर्ड में, मुसलमानों में जो भी recognized sects है, सब मिलकर वक्फ बनेगा। उसमें सुन्नी भी होगा, शिया भी होगा और जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, वे भी वक्फ बोर्ड में मेम्बर होंगे, ताकि सबके इंटरैस्ट का ख्याल रखा जा सकता है। इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम इतना inclusive बना रहे हैं। उसके बाद Central Waqf Council में जो हमने प्रावधान रखा है, ताकि आपको भी अच्छा लगे कि हमने आपके कितने पुराने recommendation को ध्यान में रखते हुए प्रावधान रखा है। Out of 22 members in the Central Waqf Council, not more than four will be non-Muslims including ex-officio members, — in that case, the Minister of Minority Affairs-- there will be three Members of Parliament, a Member of Parliament किसी भी धर्म का हो सकता है; यह नहीं कहना कि यह इस जाति का एमपी है, इसलिए यह मेम्बर नहीं हो

सकता है, 10 members from Muslim community, two former Judges from the Supreme Court or High Court, one advocate of national eminence, four persons of national eminence from various fields, an Additional Secretary or Joint Secretary to the Government of India dealing with Waqf matters. जो मिनिस्ट्री में concerned officer है, वही हो सकता है। And, out of 10 Muslims, minimum two members shall be women. दो महिला सदस्य होना अनिवार्य है। State Waqf Boards में out of 11 members, not more than three will be non-Muslims -- कल किसी ने कहा कि नॉन मुस्लिम्स मैजोरिटी हो जाए। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है-- including, यह अतिरिक्त नहीं है, ex-officio members, one Chairperson, one Member of Parliament, one MLA, four members from Muslim community, two members with professional experience, one member from Bar Council, the Joint Secretary to the State Government dealing with the Waqf matters. जो संबंधित संयुक्त सचिव है। Out of four Muslim members, two shall be women, यह हमने सुनिश्चित किया है। सर, दूसरा चेंज भी किया है, जो बहुत जरूरी था। Section 108(a) में आपने क्या प्रावधान किया था? उसमें यह लिखा गया कि वक्फ एक्ट का जो प्रावधान है, देश में बाकी जितने कानून बने हैं, उनके ऊपर इसका overriding effect होगा, ऐसा प्रावधान रखा। हमने इसको rationalize किया है। Now in the proposed amendment, this provision is being omitted. This facilitates the legal harmonization of the Waqf Act with all other property laws.

महोदय, इस देश में बहुत सारे प्रॉपर्टी लॉज हैं, ताकि सभी में एक समन्वय हो जाए। सर, हार्मोनाइजेशन होना जरूरी है। एक कानून, दूसरे कानून के साथ लड़ाई करने के लिए नहीं बनता है, इसलिए harmonize करना बहुत जरूरी है, conflict avoid करने में तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे इसमें विरोध करने का कोई कारण नज़र नहीं आता है।

सर, आज हम जो बिल लेकर आए हैं, आप इसके लिए 'नया सवेरा' कह सकते हैं। जब हम एक अच्छी सोच के साथ आए हैं, तब हम बिल के नाम को भी अच्छा करेंगे। नाम से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हम एक अच्छा नाम लेकर आए हैं। इस बिल के एक्ट बनने के बाद इसका नया नाम 'उम्मीद' हो जाएगा। सर, 'उम्मीद' नाम से आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। महोदय, इसका नाम 'उम्मीद' रखने के पीछे कारण है - "Unified Waqf Management Empowerment, Efficiency and Development (UMEED) Bill." सर, इसमें हमने इसमें यूनिफाइड कहाँ से शुरू किया? महोदय, जो पूरी व्यवस्था है, हमने उसको यूनिफाइड किया है। हमने कलेक्टर के रोल से लेकर सर्वे, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, एन्क्रोचमेंट और अन्य जितने भी मैटर्स हैं, उनमें पारदर्शिता के साथ यूनिफाइड एफर्ट्स डाले हैं, to overcome the issues which were pending for such a long time. हम इसके लिए unified effort के साथ आए हैं।

महोदय, जब empowerment की बात होती है, तो diverse social groups -जिसका मैंने जिक्र किया है, वह चाहे सुन्नी हो, शिया हो, आगाखानीज़ हों, पसमांदा मुस्लिम हो – आप बैकवर्ड मुस्लिम की कोई भी डेफिनेशन उठाकर देख लीजिए, उसमें चाहे वूमेन हो और बाकी कोई भी हो, हम चाहते हैं कि सभी को decision-making body में जगह मिलनी चाहिए, इसीलिए सभी का empowerment कर रहे हैं।

महोदय, इसमें 'Efficiency' को इन्क्रीज करने के लिए, technology को इस्तेमाल करने का भरपूर प्रावधान किया गया है। अब centralized database होगा, digital portal होगा, जो हमारे मंत्रालय में होगा, वह सारे State Boards से साथ link होगा और live होगा।

महोदय, wakf property का continuously registration, tracking, compliance का पूरा manual — अगर कोई गड़बड़ होती है, तो उसकी भी ट्रैकिंग करने के लिए कि bureaucratic delay हो रहा है, किसकी टेबल से डिले हो रहा है आदि चीजों की जाँच करने के लिए भी हमने पूरी व्यवस्था करके efficiency का target दिया है।

महोदय, आखिर में 'development' - जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि हम कितने करोड़ income generate कर सकते हैं - उसकी बात है।

महोदय, मैं इन्हीं कारणों से development of the wakf property को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। मैंने कल भी इस बात को बताया है कि दुनिया की सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। कई लोगों ने कहा कि Defence, Railways के बाद अगर तीसरा databank देखा जाए, तो wakf property, जो land property है, वह Wakf Board के पास है। महोदय, मैं उसको थोड़ा संशोधित करके बताना चाहता हूँ कि यह तीसरा नहीं है। दुनिया की सबसे ज्यादा, नंबर वन पर लैंड प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास है - यह third नहीं है, क्योंकि आप डिफेंस और रेलवेज की private property के हिसाब से गिनती नहीं कर सकते हैं, यह देश की प्रॉपर्टी है। इसीलिए, जब हमारे देश में इतनी प्रॉपर्टी है, तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन महोदय, आपत्ति तब होती है, जब दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मुसलमानों के नाम पर, हमारे देश में wakf property है, पर हमारे जो करोड़ों, बहन-भाई हैं, गरीब मुसलमान हैं, उनको इतनी प्रॉपर्टी होने का कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, फिर यह प्रॉपर्टी किस काम की है?

महोदय, मैंने इस मंत्रालय को संभालने से पहले और बाद में भी देखा है कि यदि कहीं पर वक्फ प्रॉपर्टी है या बाहर की संस्थाएं हैं, तो वे बहुत गरीब अवस्था में हैं, भीख मांगने की अवस्था में हैं। महोदय, मैंने उनकी यह हालत देखी है। वे क्यों काम नहीं आ रही हैं? महोदय, अगर हम सही तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि अगले तीन-चार साल के अंदर करोड़ों गरीब मुसलमानों की जिंदगी आबाद हो जाएगी। अगर आप थोड़ा-सा योगदान देंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे, तो इसको क्यों नहीं कर सकते हैं? महोदय, हम आज इस सदन में इसी मंशा के साथ आए हैं और हमारा target बहुत ही clear है।

महोदय, 2013 में जो दूसरा प्रावधान change किया गया था, हम लोगों ने उसमें क्या बदलाव किया है, उसके लिए भी आप हमारा समर्थन करेंगे। जो वक्फ प्रॉपर्टी है... यह तो आप जानते ही हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसका टाइटल होने के लिए कोई डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए, कोई पूफ तो होना चाहिए। अगर 'Waqf by User' के नाम पर हम वर्बली कह देंगे कि इतने साल पहले, 500 साल पहले हमारे बाप, दादा या फलाना ने ऐसा किया था, तो यह हमारी वक्फ जमीन है। ठीक है कि आप क्लेम कीजिए, मगर आपको कुछ तो दिखाना पड़ेगा, कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 'Waqf by User' यह आप आर्बिट्रेरी नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अगर क्लेम करता है, तो सीधा-सीधा वक्फ डिक्लेयर किया जाता था, उसे हमने हटा दिया है। यह बहुत जरूरी था। अगर आप देखेंगे कि 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी थी और आज 2021 में वक्फ प्रॉपर्टी की संख्या में कितना जम्प हो

गया है, तब आपको पता चलेगा कि इस सेक्शन का कितना दुरुपयोग किया गया है। साथ-साथ हमने संरक्षण भी दिया है कि 'Waqf by User' में जो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो सैटल्ड केस है, हम उसमें retrospective जाकर छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यह prospective effect से होगा। हां, अगर कोई disputed है, कोर्ट में पेंडिंग है, बातचीत चल रही है, वह डिस्प्यूटेड है, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट के अधिकार को तो हम यहां पर खत्म नहीं कर सकते हैं। इसीलिए unless the property is disputed, all those Waqf properties which are registered and has proper documentation, will remain unaffected. इसका अधिकार राज्य सरकारों का है। Land is a State subject, तो उसमें भारत सरकार, केंद्र सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है। इसकी अथॉरिटी राज्य सरकार को ही दी गई है।

अब महिलाओं के अधिकार के बारे में और बच्चों के अधिकार के बारे में सब कहते हैं। मैंने बताया कि वक्फ-अल-औलाद का इतिहास बहुत पुराना है। Right of inheritance का अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेटेशन भी करते आए हैं। हमने यह सुनिश्चित किया है कि जो widows हैं, जो divorced women हैं, जो orphan हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनके लिए तो संरक्षण होना चाहिए। हमने यह प्रावधान किया है कि जो प्रॉपर्टी मेरी है - अगर मैं एक मुसलमान हूं, मैं वक्फ क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन मैं उसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता हूं, जिसमें मेरा अधिकार है और इसके साथ-साथ प्रॉपर्टी में जो महिला का अधिकार है, उसमें मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूं। महिला के अधिकार को सुरक्षित रखकर ही मैं अपनी मर्जी से अपने अधिकार पर ही वक्फ क्रिएट कर सकता हूं, ताकि ऐसा न हो कि परिवार में इतनी प्रॉपर्टी हो, लेकिन किसी महिला का उसमें अधिकार ही न हो। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इस 21वीं सदी में इतनी प्रोग्रेसिव थिंकिंग तो सबकी ही होगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपकी ऐसी सोच नहीं है। हम सब एक समान सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

सर, हम जो दो मेजर अमेंडमेंट लेकर आए हैं और मैं मानता हूं कि उनका आप समर्थन करेंगे। Any protected monument, हमारे देश में कई monuments हैं, or protected area under the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 and the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, declared as Waqf properties under these Acts or under any previous Acts shall be void. हमारी archaeological sites, जो हमारे राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, उनसे आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हमारे देश में करोड़ों आदिवासी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। हम सब लोग मानते हैं कि जो indigenous शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, उनका संरक्षण होना चाहिए। हम यह प्रावधान लेकर आए हैं कि Scheduled-V and Scheduled-VI की जगहों पर, जहां हमारे स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वहां किसी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेअर नहीं कर सकते हैं। हमने यह प्रावधान सेक्शन 3ई में रखा है। मैं मानता हूं कि हमारे देश में आदिवासी भाई-बहनों के लिए आदरणीय मोदी जी की तरफ से और हम सबकी तरफ से यह एक बड़ी सौगात होगी।

सर, Tribunal में हमने कुछ बदलाव किए हैं। हमारी Joint Parliamentary Committee का भी सुझाव आया था। अब जो Tribunal बनेगा, उसका fixed tenure होगा। उसकी efficiency बढ़ाने के लिए हमने कई steps उठाए हैं। आज के दिन जो total cases pending हैं, litigants में total कितने cases हैं, तो total 31,999 cases हैं, जिनमें Muslim litigants हैं - 14,470 cases.

इस तरह से 31,999 cases pending हैं, तो हम यह समझते हैं कि Tribunal को मजबूत करना बहुत जरूरी है। हमने दो मेम्बर्स propose किए थे, लेकिन JPC में कहा गया कि तीन मेम्बर्स होने चाहिए, तो हमने उसको agree करके तीन मेम्बर्स बनाए and one Member having knowledge of Islamic law and jurisprudence for better functioning of the Tribunal. And, second, the composition of Wakf Tribunal has been expanded to both, serving and retired officials, each serving for a fixed tenure of five years. हमने tenure को five years fix किया है, from the date of appointment or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier. This is Section 84, sub-clause (iv). इसमें हमने यह बहुत clear प्रावधान रखा है।

सर, हमने एक important प्रावधान रखा है - Right to Appeal. इसके ऊपर कई लोगों ने dispute भी किया है, इसलिए मैं इसको clear करना चाहता हूँ। पहले आप लोगों ने क्या कर दिया था, आप लोगों से मतलब previous UPA सरकार, कि Right to Appeal में अगर Tribunal से आपको हक नहीं मिल रहा है, Tribunal में आपकी सुनवाई नहीं हो पाई, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, only review petition में आप जा सकते हैं, जो एक बहुत ही सीमित दरवाजा खुला होता है। सर, review petition के बारे में आप से ज्यादा कौन समझ सकता है। आम आदमी कहाँ review petition में जाकर चक्कर काट कर घूमता रहेगा। इसलिए हम यह मानते हैं कि the Right to Appeal must be the substantive right. इसलिए हमने यह दरवाजा खोल दिया है। अगर Tribunal में आपको आपका हक नहीं मिला, तो आप अपील कर सकते हैं। सिविल अपील करके किसी भी जगह आपको जाने के लिए क्यों रोका जाना चाहिए! इसलिए हम यह मानते हैं कि जब हमने यह Appeal provision रखा है, तो Tribunal भी जल्दी-जल्दी काम करेगा, कोर्ट भी जल्दी-जल्दी काम करेगा और लोगों को भी जल्दी-जल्दी न्याय मिलेगा। हमने कहीं किसी का दरवाजा बंद नहीं किया है।

सर, आप जो annual contribution देते हैं, ...(व्यवधान)... आप चिंता मत कीजिए, हमने यह बहुत सोच-समझ कर फैसला किया है, इससे कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। Waqf institutions का जो contribution है, जिसे बोर्ड को देना होता है, पहले यह 7 परसेंट होता था, हमने उसको घटा कर 5 परसेंट कर दिया, ताकि आप ज्यादा पैसा गरीबों के लिए इस्तेमाल कर सकें, बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकें। आप क्यों बोर्ड को इतना पैसा देंगे, इसलिए हमने इसको घटा दिया है। आप welfare purpose में ज्यादा खर्च करें, इसलिए हमने इसके ऊपर ceiling कर दी है।

सर, Limitation Act के बारे में आप तो जानते हैं कि अगर Limitation Act लागू नहीं होगा, तो फिर यह कहाँ-कहाँ तक जाएगा, कोई सीमा कैसे तय होगी! इसलिए जब यह कानून पारित होगा, अगर सरकार की land है, तो law of limitation के हिसाब से हमने उसके लिए 30 years का प्रावधान रखा है और अगर private land है, तो हमने 12 साल का प्रावधान रखा है। मैं मानता हूँ कि हमने बहुत ही reasonable law of limitation को यहाँ apply किया है। जिस दिन से यह एक्ट पारित होगा, enforce होगा, उसी दिन से उसकी गिनती शुरू की जाएगी।

सर, सेक्शन 40 का मिसयूज होने के कारण ऐसा माहौल पैदा हो गया था। मेरे घर में बहुत सारे डेलिगेशंस, पिटीशंस आ चुके हैं। सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड ने ऐसा क्लेम कर दिया! अभी न्यूज में भी आपने केरल के 600 क्रिश्चियन फैमिलीज के बारे में पढ़ा होगा। वे सब लोग खेती करने वाले

लोग हैं, किसान हैं। केरल में उनकी जमीन के बारे में *Munambam case* के नाम से अब सब लोग पढ़ चुके होंगे। उसको वहां के वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया और वे कहीं भी नहीं जा पाये। वे ठोककर खाते रहे, घूमते रहे, जिसको लेकर वहां के *Catholic Bishops Councils* ने और दिल्ली में भी अलग-अलग हमारे कई क्रिश्चियन संगठनों ने हमें मेमोरेण्डम दिया है, प्रेस रिलीज भी दिया है और अपील भी की है। उन्होंने सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से अपील की है। मैं नाम लेकर सिर्फ केरल के एमपीज़ पर दबाव नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि केरल के एमपीज़ को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। उन्होंने तो सबसे अपील की है। हमारे चर्च की जितनी भी बड़ी-बड़ी बॉडीज़ हैं, उन्होंने अपील की है कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें और सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन करना चाहिए। अब कम से कम चर्च की अपील को तो आप लोग मानिएगा।

सर, कई ऐसे केसेज़ हैं। उनको तो मैं कई बार दोहरा चुका हूँ। सारे केसेज़, चाहे तमिलनाडु का केस हो या कर्णाटक का केस हो या हरियाणा में गुरुद्वारे वाली जगह को वक्फ क्लेम करने जैसे कई केसेज़ हों, मैं उनको साइट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन सर, यह बात तो मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि हम लोग इस महान सदन में बैठे हैं। सरकार ने 2013 में 123 प्रॉपर्टीज़ को तो उस समय डीनोटिफाई कर दिया था। उसके बाद कई लोगों ने कहना शुरू किया और मीडिया में भी स्टेटमेंट है कि यह पूरी पार्लियामेंट बिल्डिंग भी वक्फ प्रॉपर्टी है। ...**(व्यवधान)**... आप सोचिए, सर, अगर वह सरकार कांटेन्चू रहती और नरेन्द्र मोदी जी की सरकार नहीं आती, तो हमारे सिर के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। यह आप सोचिए। हम तो देश के लिए सोच-समझ करके आज यह बिल लेकर आए हैं। हमारे लिए इस बिल में कोई एक लाल पैसे का भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। यह बिल करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए है। इसमें गलत काम नहीं हो, गलत तरीके से दूसरे की जमीन को कोई हड़प नहीं ले, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, रोकने के लिए, अच्छी सोच के साथ हम यह बिल लेकर आए हैं।

माननीय सभापति जी, मुझे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि यह ओपनिंग है, हमारे यहाँ जितने विद्वान माननीय सदस्य हैं, मैं उनकी बातों को सुनने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। मैं उनको सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारे वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण भी यहां बैठे हैं। हम सब लोग सुनेंगे। जेपीसी में जो सदस्य हैं और जो उसमें सदस्य नहीं हैं, उन सबके सुझावों को सुनते हुए, आखिर में, जैसे हमने यहां चर्चा के लिए टाइम दिया है, मैं उनका बारीकी से जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करूँगा कि आप ऐसी बात मत बोलिए, जिससे हंगामा खड़ा हो जाए। आप ऐसी बात बोलिए, जिसे सुन करके हमारे कानों को भी थोड़ा अच्छा लगे। हम बैठ करके सुनने के लिए तैयार हैं। यहाँ चर्चा का स्तर ऊंचा होगा, इसी उम्मीद के साथ, उम्मीद का यह जो महत्वपूर्ण बिल लेकर हम आए हैं, मैं आप सबसे उसको समर्थन करने के लिए अपील करता हूँ।

The questions were proposed.

MR. CHAIRMAN: Motion moved. The motions for consideration of the Waqf (Amendment) Bill, 2025 and the Mussalman Wakf (Repeal) Bill, 2025, are now open for discussion.

I now call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Syed Naseer Hussain. You have 20 minutes' time.

डा. सैयद नासिर हुसैन (कर्नाटक): चेयरमैन सर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है। आपने और मेरी पार्टी ने मिलकर मुझे जेपीसी का सदस्य भी बनाया था।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

कल लोक सभा में जितनी भी बहस हो रही थी, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, किरिन रिजिजु जी ने वहां पर काफी बातें रखीं और आज भी यहां पर रखीं। कल हमारे देश के गृह मंत्री जी ने भी वहां पर काफी बातें रखीं। उन्होंने कहा कि 2025 का यह बिल नहीं आता, अगर 1995 का एक्ट और 2013 के अमेंडमेंट्स नहीं आते। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को यह बताना चाहता हूँ कि जब 1995 में यह बिल आया था और 2013 में ये अमेंडमेंट्स आए थे, तो जो भारतीय जनता पार्टी आज यह क्लेम कर रही है कि कांग्रेस पार्टी यह draconian law लाई थी, कांग्रेस पार्टी ने यह एक कम्युनिटी को appease करने के लिए लाई थी, यह Constitution से परे है - ये जो आज बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और इनको आज के बिल का बेसिस बनाया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 1995 में आप क्यों इस बिल का समर्थन किए थे? 1995 में आडवाणी साहब यहाँ पर थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, सुषमा स्वराज जी थीं, अरुण जेटली जी थे, राजनाथ सिंह जी थे और consensus के साथ 1995 का वक्फ बिल पास किया गया था। 2013 में जब ये अमेंडमेंट्स आए थे, तब भी उनको consensus से पास किया गया था। 1995 में लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंडारू दत्तात्रेय जी ने अपनी बात रखी थी और राज्य सभा में सिकंदर बख्त जी ने अपनी बात रखी थी। अपनी बात रखने के समय दोनों ने इस बिल का पूरा समर्थन किया था। ...**(व्यवधान)**... उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2009 के मेनिफेस्टो में यह कहती है कि हम रहमान खान कमेटी की रिपोर्ट को examine करके उसको इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। आज ये बार-बार जिस सच्चर कमेटी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट को इन्होंने *in toto* खारिज किया था। इन्होंने उनके खिलाफ क्या-क्या नहीं कहा था। इन्होंने उस कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ क्या-क्या नहीं किया था। हम रहमान खान कमेटी की रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जब 2013 में अमेंडमेंट्स लाए थे, उस समय इनकी तरफ से लोक सभा में शाहनवाज हुसैन जी और राज्य सभा में मुख्तार अब्बास नकवी जी ने अपनी बात रखते हुए 2013 के अमेंडमेंट्स को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर यह draconian law था, किसी एक कम्युनिटी को appease करने का मामला था और Constitution के परे था, तो आपने क्यों सपोर्ट किया था? आपने वह बिल consensus के साथ क्यों पास करने दिया था?

सर, 2013 के बाद 2014 में ये लोग सरकार में आ गए। 2014 से 2024 तक इनको यह समझ में नहीं आया कि यह draconian law है। इनको यह समझ में नहीं आया कि यह एक कम्युनिटी को appease करने के लिए लाया गया है। 2024 में इनको याद आ गया कि वक्फ बोर्ड

draconian law है, एक कम्युनिटी को appease करने के लिए है। यह 2024 में याद आया। 2024 में क्यों याद आया? इनको 10 साल तक क्यों नहीं याद आया? इनको 2024 में इसलिए याद आया, क्योंकि इन्होंने 400 का नारा दिया था और 246 पर निपट गए थे और इनको बिल्कुल majority नहीं मिली थी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपना वोट बैंक कैसे बढ़ाएँ। इनको यह समझ में नहीं आ रहा कि कौन-सा मुद्दा उछाला जाए। इसलिए इन्होंने वक्फ बोर्ड एक्ट को लाया। इस एक्ट को लाकर communal polarisation करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम appease कर रहे हैं। आप polarise करना चाह रहे हैं। पूरे देश, पूरी दुनिया को पता है कि अगर देश में polarisation होता है, तो किसका फायदा होता है। कौन polarise करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन किसी एक कम्युनिटी को विलेन बना के उसके खिलाफ एक narrative build up करने का काम करता है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह बिल टोटली falsity पर है, misinformation campaign पर है। मैं पूरे तथ्य और लॉजिक के साथ यहाँ पर अपनी बात रखूँगा। पिछले चार-छः महीने से एक narrative build up करने की कोशिश की गई है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरा गोदी मीडिया इनके सपोर्ट में लग गया। इनकी जो फेक फैक्ट्री है, बीजेपी की जो आईटी सेल है, वह misinformation फैलाने में पूरी तरह लग गई। सर, मैंने अभी जो बात की है, उसको मैं आपके सामने टेबल पर रखता हूँ।

सर, माननीय मंत्री रिजिजु जी कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएँगे, गरीब को मदद करेंगे, वक्फ बोर्ड को ताकत देंगे, वक्फ बोर्ड को शक्ति देंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप 10 साल पावर में थे, तो आपने क्या किया? आप वेबसाइट पर देखेंगे, तो पाएँगे कि ये जो Central Wakf Council की बात कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ किरेन रिजिजु का नाम नजर आएगा। उसके अंदर काउंसिल नहीं है। वक्फ काउंसिल के लिए जो बजट एलोकेट होता था, वह भी नहीं दिया गया। वहाँ के जो स्टाफ थे, उनको सैलरी नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी के जो रूल्ड स्टेट्स हैं, उनमें से कई जगह 10 साल, कई जगह 15 साल, कई जगह 20 साल से स्टेट वक्फ बोर्ड constitute नहीं किए गए। आप अपने शासित राज्यों में वक्फ बोर्ड का नाम नहीं लेते, वहाँ के वक्फ बोर्ड्स constitute नहीं करते और आज आप कह रहे हैं कि गरीब मुसलमान को मदद करेंगे, आप कह रहे हैं कि आप इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएँगे! आप कितनी असत्य बातें देश के सामने और पार्लियामेंट में रखेंगे? आपने हमेशा मिसलीड करने का काम किया है। हर एक चीज़, जो ये बोल रहे हैं, वह सत्य से दूर है और ये देश को गुमराह करने के लिए, मिसलीड करने के लिए यहाँ पर ये बातें कह रहे हैं।

सर, किरेन रिजिजु जी ने जेपीसी की बात की, कल जगदम्बिका पाल साहब ने जेपीसी की बात की और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने जेपीसी की बात की। जेपीसी गठित हुई, आप लोगों ने मुझे भी उसका सदस्य बनाया था और वहाँ पर काम करने का मौका दिया था। जब उसकी मीटिंग होनी शुरू हुई और उसमें स्टेकहोल्डर्स आने लगे, एक्सपर्ट्स आने लगे, academicians आने लगे, तो उनमें से 97-98 परसेंट लोगों ने बिल के खिलाफ अपनी बातें रखीं। उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने रीज़ंस दिए। जब इनको पता चल गया कि बिल के फेवर में कोई आ नहीं रहा है, लोग बिल के खिलाफ आकर डिपोज कर रहे हैं - आप इनसे पूछिए कि एक लाख का जो ये आंकड़ा दे रहे हैं, उनमें से कितने लोग बिल के फेवर में हैं और कितने लोग बिल के खिलाफ हैं? आज वे इसको सदन के पटल पर रख दें, तो देश को पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने

इस बिल को अपोज किया था। जब इनको पता चला, तो मुझे लगता है कि पहली बार किसी जेपीसी में नॉन-स्टेकहोल्डर्स को बुलाया गया। नॉन-स्टेकहोल्डर, जिसको वक्फ से कुछ लेना-देना नहीं है, न वह दान दे सकता है, न उसका मेंबर बन सकता है, जिसको वक्फ के बारे में पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे, जो वहां पर आकर extreme communal statements दे रहे थे। एक माहौल क्रिएट करने के लिए, बिल के फेवर में सपोर्ट drum up करने के लिए जेपीसी में लोगों को बुलाया गया था। आज ये बार-बार कह रहे हैं कि ये जेपीसी की रिकमेंडेशंस लाए हैं। जेपीसी की रिकमेंडेशन लाइए और इनसे पूछिए कि क्या उसमें Clause-by-Clause डिस्कशन हुआ था? किसी भी जेपीसी की यह minimum basic requirement होती है कि वहां पर अमेंडमेंट्स के लिए जो भेजा गया है, उस पर Clause-by-Clause डिस्कशन हो। मुझे लगता है कि 75 years of parliamentary democracy in India में पहली बार जेपीसी में बिना Clause-by-Clause डिस्कशन किए अमेंडमेंट्स bulldoze करके ये बिल लेकर आए हैं। वे पूरी जेपीसी की रिकमेंडेशंस नहीं थीं, बल्कि वे एनडीए के एमपीज़ की रिकमेंडेशंस थीं। वे थोपी हुई रिकमेंडेशंस थीं। वहां पर अंतर ज्यादा नहीं था, एक-दो एमपीज़ का अंतर था। आप जेपीसी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए कि कितने फेवर में थे और कितने खिलाफ थे। इसमें हमारा एक भी रिकमेंडेशन नहीं लाया गया है। अगर वही आपको करना था, जो स्टेकहोल्डर्स आए थे, जिन्होंने वहां पर इसके खिलाफ डिपोज किया था, उनका सुझाव नहीं लेना था, अपोजिशन के एमपीज़ का सुझाव नहीं लेना था, तो फिर जेपीसी गठित ही नहीं करनी थी! ये आज जेपीसी की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, हमने इतना बड़ा दिल कर दिया, इसको जेपीसी में भेज दिया। आपने इसको जेपीसी में भेजकर किया क्या, इसको और worsen किया। मैं आगे बताऊंगा कि इन्होंने कैसे-कैसे उसको worsen किया है।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please.

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, I need your protection. जब रिजिजु जी बात कर रहे थे, तो हम लोगों में से किसी ने कोई बात नहीं की।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज़, बैठकर टिप्पणी न करें।...(व्यवधान)...

डा. सैयद नासिर हुसैन: आप यह न समझें कि आप बात कर सकते हैं, तो हमारी डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज़, संजय जी, आप उनको बोलने दीजिए।

डा. सैयद नासिर हुसैन: सर, ये जितने भी अमेंडमेंट्स लाए हैं, ये हमारे कांस्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ हैं। ये आर्टिकल्स 14, 25, 26 और 30 को violate करते हैं। ये equity before law को violate करते हैं। ये parity in laws for all sections of people को violate करते हैं। 'One Nation, One Law' हमने नहीं किया था। 'One Nation, One Law' का नारा बार-बार ये लोग

देते हैं और उसको ये violate करते हैं। ये UCC बार-बार बोलते हैं, उसको ये violate करते हैं। मैं आज भी यहां कह रहा हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कह रहा हूँ, एक मुसलमान एमपी, उस कम्युनिटी के होने के नाते से मैं यह कह रहा हूँ कि इस देश में जितने समुदाय हैं, जितने धर्म हैं, उन तमाम रिलीजियस सेंटर्स, रिलीजियस एक्टिविटी सेंटर्स, जितने धर्मस्थल हैं, उनकी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीके का लॉ होना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चन हो, पारसी हो, सबके लिए एक

2.00 P.M.

तरह का लॉ बनाइए। आप क्यों घबरा रहे हैं। आप उनके लिए लॉ बनाइए। पर्सनल लॉ छोड़ कर बाकी सब governance and administration में एक तरीके का लॉ होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... अब मैं आगे बताऊंगा और पार्लियामेंट के पटल पर रखूंगा कि किस तरह से ये अलग-अलग समुदायों में भेदभाव कर रहे हैं, किस तरह से यह targeted legislation है, किस तरह से यह unfair legislation है और किस तरह से यह मुसलमानों के खिलाफ legislation है। आप बार-बार कह रहे थे कि यह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, मैं आपके सामने प्रूफ भी रखूंगा। यह बिल्कुल targeted legislation है। आप इस देश को यह मैसेज देना चाहते हैं कि यहां एक कम्युनिटी को बिल्कुल second-grade citizens बना कर रखेंगे। आप जिस तरह के laws लेकर आ रहे हैं, वे धर्म के आधार पर लेकर आ रहे हैं। यह पहली बार नहीं है। कल कोई CAA और NRC की बात कर रहा था। यहां अमित शाह जी बैठे हैं, जब हम लोगों ने उस सदन में सवाल किया था, तब इन्होंने कहा था कि chronology समझिए। यह सिर्फ CAA नहीं है, इसके साथ NRC और NPR जुड़ेगा। जब इनसे यह सवाल पूछा गया था, तब इन्होंने बोला कि ये linked हैं। आप कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पर हम किसी की citizenship छीन नहीं रहे हैं, लेकिन धर्म के आधार पर आप citizenship रोक रहे हैं। यह पहली बार हिंदुस्तान के संविधान में ऐसा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं और हो रहा होगा। उसके बाद 1990 का settled question है। Places of Worship Act, 1991 का settled question है। उसके खिलाफ इनके लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। इनके पार्टी के office bearers जो हैं, वे Places of Worship Act, 1991 के खिलाफ petition file करते हैं और मंदिरों के नीचे मस्जिदें ढूँढने का काम करते हैं। आज अगर हम देश में खोदना शुरू कर दें, इतिहास में पीछे चले जाएं, तो किसके नीचे क्या-क्या मिलेगा, किसको पता है? हमें इतिहास को खोदना नहीं चाहिए। बाकी के सारे देश आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम इतिहास में जाकर खोदने का काम शुरू कर रहे हैं। यहां भी उसका प्रोविज़न कर दिया है। आज किरेन रिजिजु जी कह रहे थे कि हम लोगों ने ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बैठकर बीच में टिप्पणी न करें। माननीय सदस्य, आप बोलें।

डा. सैयद नासिर हुसैन: सर, अभी किरेन रिजिजु जी ने बताया कि वक्फ के मायना क्या है। मैं बताना चाहूंगा कि वक्फ का मायना दान है, It is as simple as that. कोई भी व्यक्ति किसी को भी

दान कर सकता है। ये बार-बार कह रहे थे कि 2013 में anybody can donate करके लेकर आए। इनको शायद यह पता नहीं की Prophet Mohammad के ज़माने में गैर-मुसलमान भी दान करते थे। बहुत महत्वपूर्ण सेंटर्स हैं, जहां गैर-मुसलमानों ने भी दान किया। दान के लिए कोई रोक नहीं है और दान का कांसेप्ट सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है। हम इसे "वक्फ़" के नाम से जानते हैं, लेकिन दान का कांसेप्ट हर मजहब में मौजूद है। हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में और दुनिया के हर धर्म में दान का कांसेप्ट है।

हमारे दान के कांसेप्ट से बनाए गए इदारों को गवर्न, एडमिनिस्ट्रेट और रेगुलेट करने के लिए वक्फ़ बोर्ड बना है। लेकिन एक गलत धारणा फैलाई जा रही है कि सिर्फ मुसलमानों को ही वक्फ़ बोर्ड की जरूरत है। क्यों हमारा बोर्ड नहीं चाहिए, सनातन बोर्ड क्यों नहीं चाहिए? सोशल मीडिया पर ये सब फैलाया जा रहा है कि वक्फ़ बोर्ड मुसलमानों को appease करने के लिए बनाया गया है।

शायद उन्हें जानकारी नहीं है या वे यह बात बोलना भी नहीं चाहते कि इस देश में Endowment Boards हैं, Muzrai Departments हैं, Hindu Religious Places Act हैं, SGPC है और कई राज्यों में ईसाइयों के लिए काउंसिल और कॉर्पोरेशंस हैं। हर मजहब के धार्मिक संस्थानों को गवर्न करने के लिए अलग-अलग कानून बनाए गए हैं, Temple Trusts हैं, स्टेट्स में अलग-अलग एक्ट बनाए गए हैं।

आज यह भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? और यह वक्फ़ का मुद्दा अचानक कांग्रेस द्वारा नहीं बनाया गया। आपने अभी कहा कि अंग्रेजों के ज़माने में वक्फ़ को रेगुलेट करने के लिए कई कानून लाए गए थे, जिन्हें समय के साथ संशोधित किया गया। कांग्रेस ने भी इसमें सुधार के लिए कई कदम उठाए और 1995 और 2013 के कानून के बारे में ये बार-बार जो बोल रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वक्फ़ बोर्ड को strengthen करने के लिए, वक्फ़ संपत्तियों को बचाने, अतिक्रमण हटाने और पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग अमेंडमेंट्स लेकर आए थे और इनका पूरा सहयोग और समर्थन था।

सर, इसमें बार-बार यह कहा जा रहा है और आज भी ये कह रहे हैं कि यह सबसे बड़ा allegation वक्फ़ बोर्ड के खिलाफ है और सबसे बड़ी misinformation फैलाई गई है। आज भी यहां पर बोल रहे थे कि वक्फ़ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी जमीन declare कर सकता है। क्या हिंदुस्तान में law नहीं है, क्या revenue rules नहीं हैं, क्या property rules नहीं हैं? मतलब हम कहीं पर भी towel डाल दे और हमारी बना लें। हम ट्रेन्स में चलते हैं, ट्रेनों में नमाज़ पढ़ते हैं, flights में नमाज़ पढ़ते हैं, अगर वहां पर नमाज़ पढ़ ली, तो क्या train हमारी हो गई, क्या flight हमारी हो गई, क्या वक्फ़ में उसको लिखवा दें। वक्फ़ को जो power दी थी, अगर वक्फ़ बोर्ड के सामने कोई कंप्लेंट आती है...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ... (Interruptions)...

डा. सैयद नासिर हुसैन: अगर वक्फ़ बोर्ड के सामने कोई complaint आती है, तो वक्फ़ बोर्ड उसकी तहकीकात करती है, उसकी inquiry करती है, उसके लिए set rules हैं। शायद किरेन रिजिजु जी को यह बात पता नहीं है कि हर State में inquiry कैसे कराई जाए, उसके लिए हर

State के अलग rules बने हुए हैं। मैं पिछले छह साल से कर्णाटक में वक्फ बोर्ड का member हूँ और अब सातवां साल complete कर रहा हूँ। वहां पर यह पूरा ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... आप अपनी टर्न पर बोलें। प्लीज़, प्लीज़।

डा. सैयद नासिर हुसैन: वहां पर पूरी inquiry होने के बाद Survey Commissioner उसको survey करता है, Collector उसको check करता है, फिर उसके बाद State Government को जाता है, State Government उसको verify करती है, उसके बाद सरकार उसको gazette करती है। उसके बावजूद भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है, तो tribunal में जा सकता है। अगर वहां भी उसके खिलाफ decision या judgment आती है, अगर वहां पर वह convinced नहीं है, तो वह court में जा सकता है। आज ये कह रहे हैं कि court में review नहीं कर सकते। बिल्कुल court में review कर सकते हैं। अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, तो High Court और Supreme Court में वक्फ के इतने cases कैसे हो रहे हैं? High Court और Supreme Court में वक्फ के इतने cases कैसे हो रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय गृह मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): उपसभापति महोदय, मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता हूँ। शायद वे भोलेभाव में सदन के सामने गलत information रख रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा correct करना चाहता हूँ।

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, he is not yielding. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Jairamji, please. ...*(Interruptions)*... The Chair has given time. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: जयराम जी, आप क्या कह रहे हैं?

श्री जयराम रमेश: उनको बोलने दीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Jairamji, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, he has not yielded. ...*(Interruptions)*... Sir, he is not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, जो डिस्प्यूट है, वह इतना ही है कि अगर tribunal के फैसले से कोई असंतुष्ट है, तो यह भूमि का मामला है, इस पर civil suit होना चाहिए। Civil suit में अधिकारों की बहुत wide range होती है। ...**(व्यवधान)**... इन्होंने इस पर appeal का provision, 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो writ के कार्यक्षेत्र में High Court के सामने जाता है। Writ का कार्यक्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो tribunal का फैसला होता है, वह final होने के chances 99 per cent हो जाते हैं, जिनकी भूमि है। ...**(व्यवधान)**... उसका अधिकार ज्यादा रहता है। ये गलतफहमी फैला रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, आप ही को ले रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... आप सुनते नहीं हैं। मैं आप ही को कह रहा हूँ।

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sorry! सर, वे बात कर रहे हैं और हमने रिजिजु जी का भाषण बहुत शांति के साथ सुना। आप दूसरे सदन में जो भाषण दे रहे थे, उसको भी हमने कल रात T.V. पर पूरा सुना। वे जो तैयारी करके लाए हैं, वे भी पढ़ कर आए हैं, वे ऐसे-वैसे बात नहीं कर रहे हैं। वे इसके ऊपर गंभीरता से अध्ययन करके आए हैं, उनका flow बीच में चला जाता है, विचार चले जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कृपा करके उधर के लोगों को टोकना बंद करने के लिए कहिए। जो कुछ कहना है, वे उसको अपने उत्तर में कहें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप उन्हें control कीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...**(Interruptions)**... Now, Dr. Syed Naseer Hussain.

डा. सैयद नासिर हुसैन: महोदय, किरेन रिजिजु जी ने Tribunal के बारे में कहा कि वे दो थे और उन्होंने एक बढ़ा दिया। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि 2013 में भी तीन ही थे। महोदय, 2003 में भी तीन ही थे और 2013 में भी Islamic Scholars domain expert थे। इन्होंने अभी retiring या serving कर दिया है, लेकिन हम पहले Serving Judge को रखते थे। यह भ्रम फैलाया जा रहा था कि वक्फ का ट्रिब्यूनल है, वक्फ constitute करती है, लेकिन State Government constitute करती है, Waqf Board नहीं constitute करता है। महोदय, इस तरह का एक भ्रम फैलाया जा रहा है।

महोदय, ये एक नया provision लाए। इन्होंने यह बोला कि सिर्फ मुसलमान दान कर सकता है। इन्होंने दूसरी बात पाँच साल की practising होने की भी बोली है। यह तो पहले था, जेपीसी से जाने के बाद अब ये कह रहे हैं कि उसको demonstrate करना चाहिए। पहले प्रधान मंत्री जी कहते थे कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। आप कैसे पहचानेंगे, हम कैसे demonstrate करेंगे, कौन-से कपड़े पहनने पड़ेंगे, मैं टोपी पहनकर जाऊँ या दाढ़ी लगाकर जाऊँ या कोई मेरे घर में CCTV कैमरा लगाकर देखेगा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, मस्जिदों में CCTV कैमरे लगाएंगे या कोई और तरीका होगा, यह पता करने का कि यह पाँच साल से 'practicing Muslim' है या नहीं है?

महोदय, मैं रिजिजु जी से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वे दूसरा डिपार्टमेंट खोलेंगे इसको identify करने के लिए कि यह 'practising Muslim' है या नहीं है? वे जो certificate देंगे, क्या उस पर भी मोदी जी का ठप्पा रहेगा कि यह मुसलमान है या नहीं है? उस सर्टिफिकेट पर मोदी जी की फोटो भी लगा देंगे।

सर, 'Waqf by user' की बात है। ये जो सबसे बड़ी चीज़ इस बिल में ला रहे हैं, वह Waqf by user है। ये इसको क्यों ला रहे हैं? यह बात सबको पता है कि इनकी सारी निगाह संपत्ति पर है, जमीन पर है, लैंड पर है। उन्होंने धारावी में कौड़ियों के दाम पर किसको जमीन दी है? मैं कल एक टीवी डिबेट में था। जेपीसी की, इनकी एक मेम्बर मेरे साथ थीं, वे कह रही थीं कि हम land monetize करेंगे। इससे समझ में आ गया कि monetize करके किसको देंगे। सर, 'Waqf by user' का मतलब क्या है? हमारा देश प्राचीन देश है और इस देश में अलग-अलग टाइम पर, अलग-अलग धार्मिक स्थल बने हैं। हमारे देश में बहुत kingdoms थे। यहाँ राष्ट्रकूट से लेकर, मौर्य, चेरा, कदम्ब, विजयनगर एम्पायर, अशोक साम्राज्य और पता नहीं कितने बादशाह थे, British Government थी। यहाँ पर सिर्फ मस्जिद की बात नहीं है, बल्कि इस देश में बहुत खूबसूरत मंदिर बने हैं, देखने लायक जबर्दस्त monuments हैं, गुरुद्वारा हैं, चर्चेंज हैं, मस्जिदें हैं। अगर आप 400, 500, 600 साल पुरानी इमारतों के कागज पूछेंगे, तो तांबे और पीतल पर जहाँ लिखा था, उसको कहाँ से ढूँढ़कर लाएंगे? उसका पूफ सिर्फ यह है कि हर समुदाय के लिए यही सही है कि those properties, those institutions exist even today and they are in long usage. That is the proof of that being in Waqf. There is Waqf by user; there is temple by user; there is Gurudwara by user, there is Church by user and there is Matha by user. There are so many religious institutions by user. आप किस-किस का पूफ माँगेंगे? जब हमने इस बात को बोला, तो ये बोले कि हम इसको prospectively करेंगे, retrospectively नहीं देखेंगे। जो registered नहीं है, Waqf by user अगर 200, 300 साल पुरानी है, तो आप उसको कैसे मानेंगे?

महोदय, आप उसमें दूसरी बात यह बोल रहे हैं कि अगर यह disputed हो तो। मैं Places of Worship Act की बात कर रहा था। अगर disputed है, Government की है, तो फिर हम नहीं करेंगे, लेकिन disputed कैसे है? महोदय, disputed तो एक ही थी। वे बोल रहे थे कि अयोध्या का मसला छोड़िए, बाकी पूरे इसमें आ जाएंगे। आप कहते हैं disputed पुराने हैं, तो इदारों के disputed कैसे हो जाएंगे? महोदय, ये देश में दंगा-फसाद कराने का बार-बार मौका खोज रहे हैं। महोदय, ये disputed रखने, दंगा-फसाद करवाने आदि चीज़ों से अपना वोट बैंक create करने की राजनीति कर रहे हैं, Waqf by user को निकालकर। ...**(व्यवधान)**... महोदय, ये दूसरी बात यह कह रहे हैं कि हम उसको ले लेंगे। ...**(समय की घंटी)**... सर, मेरा टाइम बढ़ा है, मैं पार्टी का टाइम लूंगा।

श्री उपसभापति: मैंने आपको already दो मिनट दे दिए हैं।

श्री जयराम रमेश: सर, हमारी पार्टी का समय बाकी है, इसलिए इन्हें 25 मिनट दीजिएगा। चैयरमैन साहब ने ऐसा कहा था। ...**(व्यवधान)**...

डा. सैयद नासिर हुसैन: महोदय, मैं औरों से ज्यादा समय लूंगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, उनको बोलने दीजिए। 25 मिनट, क्या 30 मिनट ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: यहां पर समय 20 मिनट लिखा हुआ है। ...*(व्यवधान)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: देखिए साहब, रात के ढाई ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: कृपया आप समय देखिए। माननीय एलओपी, ऑलरेडी मैंने बोलने के समय से अतिरिक्त समय दिया है। ...*(व्यवधान)*... प्लीज़, आप बोलें। ...*(व्यवधान)*...

डा. सैयद नासिर हुसैन: आप यह कह रहे हैं कि “waqf by user” ऐसा ही रहेगा, जो कि रजिस्टर्ड है। आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम नया पोर्टल ला रहे हैं और उस पोर्टल में हर एक वक्फ को फिर दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर “waqf by user” रजिस्टर्ड हो गया था, तो उसे सीधा उठाकर उसमें डाल दीजिए। आप उनका दोबारा रजिस्ट्रेशन क्यों करेंगे? आप चाहते हैं कि फिर दोबारा पेपर मांगे और पेपर न दें, तो फिर आपके लोग जाकर दंगा-फसाद करें और आपका वोट बैंक बढ़ता रहे। सर, मैं ढांचे की बात कर रहा हूँ। रिजिजु जी बहुत जोर-जोर से बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड का secular character है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस नहीं देखता है, बल्कि वक्फ बोर्ड रिलीजियस अफेयर्स में भी दखलअंदाज करता है और वह रिलीजस अफेयर्स भी देखता है। अगर मैं आपकी बात भी मान लूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि Hindu Religious Act के तहत जो इंस्टिट्यूशन बने, Endowments Acts, *Muzrai* Department, Hindu Shrines and Religious Places Act, SGPC और अलग-अलग समुदाय के जो इदारे जो बने हैं, क्या आप उनमें एक मुसलमान, एक सिख, एक बुद्धिस्ट, एक जैन रखेंगे? क्या आप उसमें मुझे रखेंगे? ...*(व्यवधान)*... ये बिल्कुल मेरे राइट्स के खिलाफ है, कांस्टिट्यूशन मुझे जो राइट देता है, यह उसके खिलाफ है। इसके संबंध में काफी जजमेंट्स भी हैं।

सर, Bihar Hindu Religious Trusts Act, Madras Hindu Religious and Charitable Endowments Act के अलावा ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के भी एक्ट्स हैं, सभी में साफ लिखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू वहां रहेंगे और किसी दूसरे मजहब का आदमी वहां नहीं रहेगा। जब वह वहां के एक्ट में ही है, तो आप यहां कैसे दूसरे लोगों को देंगे? आप क्या पूव करना चाहते हैं? क्या आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? क्या हम अपने इंस्टिट्यूशन को चलाने के लिए काबिल नहीं हैं? हम लोग को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं! ...*(व्यवधान)*... आप हमारे ऊपर spying करना चाह रहे हैं! सर, सीईओ को लाने की बात की गई कि मुस्लिम सीईओ नहीं रहेगा और दूसरा आएगा। मैं तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एक्ट्स के बारे में बताता हूँ। ...*(समय की घंटी)*...

श्री उपसभापति: आपका समय खत्म हुआ। ...(व्यवधान)... प्लीज़....

डा. सैयद नासिर हुसैन: सर, मैं थोड़ा और टाइम लूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अब आप खत्म करें। ...(व्यवधान)... अब 25 मिनट हो गए हैं। ...(व्यवधान)...

डा. सैयद नासिर हुसैन: सर, फाइनली ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please do not take...*(Interruptions)*...

डा. सैयद नासिर हुसैन: सर, फाइनली मैं तीन-चार इश्यूज के बारे में बोलूंगा। रिजिजु जी ने कल भी कहा और आज भी कहा कि 123 प्रॉपर्टीज को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सारी 123 प्रॉपर्टीज या तो दरगाह हैं या मस्जिद हैं या तो कब्रिस्तान हैं या तो ईदगाह हैं। ...(व्यवधान)... ऑर्थेंटिकेट करो, ऑर्थेंटिकेट करो ...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति: धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

डा. सैयद नासिर हुसैन: उसकी लिस्ट में आपको देना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: धन्यवाद। ...(व्यवधान)... Your time is over. ...*(Interruptions)*... धन्यवाद, आपकी बात खत्म हुई। ...(व्यवधान)...

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Jairamji, I will take another five minutes. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: डा. राधा मोहन दास अग्रवाल। ...(व्यवधान)... आप जो भी असंसदीय शब्द इस्तेमाल करेंगे, वे रिकॉर्ड में नहीं होंगे। ...(व्यवधान)... यहां जो 20 मिनट का समय लिखा है, वह 20 से 25 हो गया। ...(व्यवधान)... आपकी पार्टी का समय जाएगा। ...(व्यवधान)... आपकी पार्टी का समय जाएगा। ...(व्यवधान)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: आप मेरी पार्टी के समय में से दे दो। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप दो मिनट में अपनी बात खत्म करें। ...(व्यवधान)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: साहब, मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरी पार्टी के समय में से तीन मिनट का समय दे दो। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप सिर्फ दो मिनट में खत्म करें। ...**(व्यवधान)**...

डा. सैयद नासिर हुसैन: ये 123 प्रॉपर्टीज, जो बिल्कुल रिलीजियस प्रॉपर्टीज हैं। जब Lutyens' Delhi बना रहे थे, जब न्यू दिल्ली बना रहे थे, उस समय 1910 में अंग्रेज गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा यह एरिया एक्वायर किया था। जब मुसलमान जाकर उनसे मिले, तो वे बोले कि ये 123 प्रॉपर्टीज वक्फ के पास ही रहेंगी, possession उनके पास ही रहेगा, लेकिन जब तक यह सिटी नहीं बन जाती, तब तक गवर्नमेंट का नाम रहेगा। वह बनने के बाद उन्होंने दोबारा उसे वापस वक्फ को दिया था। उस समय से लेकर आज तक भी 123 प्रॉपर्टीज का possession वक्फ में ही है, बिल्कुल वक्फ में ही है। जब 2013 में इसको डीनोटीफाई करने की बात आई, तब हाई कोर्ट ने सरकार को बोला था कि आप जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करो। जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के चक्कर में उस टाइम पर डिनोटीफाई किया गया। इन्होंने वन-मैन कमीशन बनाया था, ये उसकी रिपोर्ट सबके सामने क्यों नहीं रख देते? उसको पार ही कर दिया। टू-मैन कमीशन बनाया था, उसकी रिपोर्ट लोगों के सामने रख दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है। यह [‡] लोगों को गुमराह करना, misguide करना बंद करें। ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: [‡] शब्द असंसदीय है। आपका टाइम खत्म हुआ।

डा. सैयद नासिर हुसैन: सर, मैं अपनी पार्टी का टाइम ले रहा हूँ, एलओपी साहब ने बोल दिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I cannot go on ...*(Interruptions)*... Please conclude.

डा. सैयद नासिर हुसैन: सर, दूसरा, ये केरल की बात करते हैं। मैं इनको authenticate करने के लिए कहता हूँ। वक्फ बोर्ड ने कभी यह claim नहीं किया कि यह उसकी property है। कोर्ट ने दो टाइम यह declare किया कि यह waqf property है। तीसरी बात, Judicial Commission ने कहा कि यह waqf property है। लेकिन मैं आज भी यहाँ पर कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जितने गरीब लोग वहाँ रह रहे हैं, जो fishermen हैं, पूरे इंडिया की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि जो fishermen हैं, जो गरीब हैं, जिन्होंने जमीन खरीदी थी, कुछ लोग ऐसे ही रह रहे हैं, उनका interest protect किया जाएगा, उनको वह जमीन दिलाई जाएगी। ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: धन्यवाद।

डा. सैयद नासिर हुसैन: लेकिन वक्फ बोर्ड की बात करना बंद करें।

[‡] Expunged as ordered by the Chair.

श्री उपसभापति: धन्यवाद। No, nothing is going on record. डा. राधा मोहन दास अग्रवाल। ...**(व्यवधान)**... No more. आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। डा. राधा मोहन दास अग्रवाल, आप बोलें।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मैं बहुत ध्यान से नासिर साहब को सुन रहा था। किसी शायर ने कहा है, तू इधर-उधर की न बात कर, तू बता कि कारवाँ कहाँ लुटा। मैं इन्हें बताऊँगा कि कारवाँ कहाँ लुटा है। मेरा भाषण समाप्त होने दीजिए, मैं इन्हें ठीक से expose करने वाला हूँ।

श्री उपसभापति: मनोज झा जी, प्लीज़। अच्छा discussion है, आप चलने दें।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: माननीय उपसभापति महोदय, मैं इनकी बातों को सुन रहा था। मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि माननीय सदस्य, डा. सैयद नासिर हुसैन जब इस बार राज्य सभा में चुने गए, जब इनकी जीत की घोषणा हुई, मैं उस समय कर्णाटक के बेंगलुरु में था, कर्णाटक की विधान सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। ...**(व्यवधान)**... भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उनको पकड़ कर जेल में भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो इस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का विरोध कर रहे थे, उन्हें जेल में भेज दिया गया और इन्हें प्रेषित किया गया। ...**(व्यवधान)**... इनको बैठाइए। ...**(व्यवधान)**... ये बोल नहीं सकते। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... आपस में बात नहीं करें, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: आप बैठो। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़, आपस में बात नहीं करें। ...**(व्यवधान)**... आप चेयर को संबोधित करें। ...**(व्यवधान)**... आपस में बात नहीं करें। ...**(व्यवधान)**... आप चेयर को संबोधित करें। ...**(व्यवधान)**...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: उपसभापति महोदय, आज देश के लिए गौरव का दिन है। ...**(व्यवधान)**... देश के आम मुसलमान के लिए, देश के गरीब मुसलमान के लिए, देश के ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: सर, यह कहा गया था कि बीच में टोका-टोकी नहीं होगी, फिर तो यह दोनों के लिए होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... यह शब्द रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: उपसभापति महोदय, आज का दिन गरीब मुसलमानों के लिए, पसमांदा मुसलमानों के लिए, तलाकशुदा महिला बहनों के लिए, विधवा महिला बहनों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है। इस पूरे के पूरे गरीब समाज, मुस्लिम समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में यह वक्फ अधिनियम क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है। मैं माननीय मोदी जी का आभारी हूँ, जिन्होंने इस विधेयक को इस सदन में लाने का काम किया है।

उपसभापति महोदय, हम हिंदू हैं। हम लगातार अपने समाज में परिवर्तन की बात करते हैं। हमने लगातार अपने समाज की बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया है। हमारा इतिहास गवाह है, हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी, हम सती प्रथा निषेध अधिनियम लाए; हमारे यहाँ बाल विवाह होता था, हम बाल विवाह निषेध अधिनियम लाए; हमारे यहाँ विधवा विवाह नहीं होता था, हम विधवा विवाह अधिनियम लाए। आश्चर्य की बात होती है, जब इस समाज की चर्चा होती है, तो इन 75 सालों के अंदर एक बार भी मुस्लिम समाज के संशोधन को लेकर, सुधार को लेकर, एक गरीब मुसलमान के जीवन की बेहतरी को लेकर किसी प्रकार के सुधार आंदोलन को इस सदन में लाने का काम नहीं किया गया। आज यह पहली बार है और हमें अपने प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी पर गर्व है, जिन्होंने इस मुस्लिम समाज के सुधार के इस ऐतिहासिक विधेयक को लाने का काम किया है।

2014 में माननीय मोदी जी प्रधान मंत्री बने थे। उनके दृष्टि में कभी हिंदू और मुसलमान नहीं होता था। उनका सिर्फ एक नजरिया होता था - गरीब और अमीर। आप गौर कीजिएगा और यह सदन भी गौर करेगा। हम जनधन योजना लेकर आए, तो उसके 42 परसेंट लाभार्थी मुस्लिम थे; हम प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आए, तो उसके 31 परसेंट लाभार्थी मुस्लिम थे; हम उज्ज्वला योजना लेकर आए, तो उसके 37 परसेंट लाभार्थी मुस्लिम थे। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No comments while sitting.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: हम मुद्रा योजना लेकर आए, तो उसके 36 परसेंट लाभार्थी मुस्लिम थे; हम स्किल इंडिया योजना लेकर आए, तो उसके 22.7 परसेंट लाभार्थी मुस्लिम थे और हमने प्रधानमंत्री एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाया, तो महोदय, इस देश में 70 परसेंट से अधिक मुसलमानों ने उस योजना का लाभ लिया।

महोदय, मेरी पार्टी की बैठक की एक बात है, जो मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा। माननीय प्रधान मंत्री इसी बालयोगी सभागार में हम सारे सांसदों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने हमसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते। मित्रों, आपको याद होगा। ...**(व्यवधान)**... उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है। वे वोट देते हैं। अगर यह मान लिया जाए कि वे वोट नहीं देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं, क्या उनके काम नहीं होने चाहिए, क्या उनके विकास का काम नहीं होना चाहिए? उन्होंने हम सारे सांसदों को मीटिंग में कहा कि अपने काम को करते समय कभी हिंदू और मुसलमान नहीं करना। उन्होंने विकास की धारा को सारे समाज पर, समान रूप से पहुंचाने की बात कही। उन्होंने दूसरी बात यह कही कि मैं पूरे देश को 2047 में 'विकसित भारत' बनाने का सपना दिखाता हूँ, लेकिन अगर देश के 20 परसेंट मुसलमान पिछड़े रह जाएंगे, तो क्या भारत के विकास का सपना

पूरा होगा - नहीं। भारत के विकास का मतलब है कि हमें 20 परसेंट मुसलमानों के विकास के लिए भी योजना बनानी है। यह कल्पना माननीय प्रधान मंत्री ले सकते हैं। आजादी के 75 सालों के अंदर, इस कल्पना को लेकर इस देश में कोई नहीं आया था। उन्होंने तीसरी बात कही, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के स्तर पर, सरकार जो कुछ भी कर सकती है, हम मुसलमानों के जीवन की बेहतरी के लिए करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह मुस्लिम सामाजिक संस्थाओं का भी रोल होनी चाहिए, यह मुस्लिम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी भूमिका होनी चाहिए, यह जमात-ए-उलेमा की भी भूमिका होनी चाहिए या वक्फ कमेटियों की जो संपत्तियां पड़ी हुई हैं, उनकी भी मुसलमानों की जिंदगी को बेहतर करने में भूमिका होनी चाहिए।

उपसभापति महोदय, यह बात आज की नहीं थी। यह बात लोक सभा चुनाव के 6 महीने पहले की बात है। उस समय वे यह कल्पना लेकर चल रहे थे कि अगर हमने मुस्लिम वक्फ की संपत्तियों का बेहतर उपयोग कर लिया, पारदर्शी उपयोग कर लिया, उनकी आय को बढ़ा दिया, उनके ऊपर कब्जा करके जो लोग बैठे हुए हैं, उन कब्जेदारों को वहाँ से हटा दिया, तो स्वाभाविक रूप से जो अकूत संपत्ति पूरे भारत में मुसलमानों के पास आएगी, उसका इस्तेमाल हम गरीब मुसलमानों की शिक्षा के लिए, उनके जीवन की बेहतरी के लिए करेंगे। मुसलमान महिलाएं दर-बदर भीख न मांगें, अपनी इज्जत का समझौता न कर सकें, कोई बूढ़ी मुस्लिम रात को खाली पेट सोने के लिए मजबूर ना हो, हम उसके लिए व्यवस्था करेंगे। वस्तुतः उपसभापति महोदय, ज्यों ही माननीय गृह मंत्री जी ने वक्फ अधिनियम की घोषणा की, पूरे देश में तूफान आ गया। आश्चर्य होता है कि वक्फ की घोषणा भी नहीं हुई, कानून सामने भी नहीं आए, विरोध शुरू हो गया - "तुम्हारी मस्जिदें कब्जा कर ली जाएंगी, तुम्हारे दरगाह कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे मदरसे कब्जा कर लिए जाएंगे।"

महोदय, मैं एक पत्रक लेकर आया हूँ। केरल और कर्णाटक की एक आतंकवादी संस्था है - पीएफआई। मैं माननीय गृह मंत्री जी को आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने उसे बैन किया है। पीएफआई की एक दूसरी संस्था है - एसडीपीआई। आज मेरे पास एसडीपीआई के पर्चे हैं, जो मैं गृह मंत्री जी को सौंपूंगा और आपको भी दूंगा। आज यह एसडीपीआई पूरे देश में पर्चे बांट रही है। मेरे पास राजस्थान से पर्चे आए हैं, जहां एसडीपीआई सबसे कमजोर है। आज पूरे देश में पर्चे बांटे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि अगर यह वक्फ कानून आ गया, तो भाजपा सरकार मस्जिदों पर कब्जा कर लेगी। आखिर क्यों? लेकिन ये लोग भूल गए कि नरेन्द्र मोदी जी किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। वे आपके विरोध से डरने वाले नहीं थे। आप चाहे जितना भी विरोध करते, वे मजबूती के साथ, एक आम गरीब मुसलमान, एक दलित, एक पिछड़ी महिला, एक अनाथ महिला, एक तलाकशुदा महिला और अनाथ बच्चों के साथ खड़े होने वाले थे और इसीलिए वे मजबूती से यह विधेयक लेकर के आए।

उपसभापति महोदय, ये चर्चा कर रहे थे - 'waqf by user' की। 'Waqf by user' क्या होता है? हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कहा था - आपके पास अपनी कोई संपत्ति हो, तो दूसरों को भले के लिए दान करो। हदीसों में क्या लिखा था? यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति है, उस संपत्ति का एक हिस्सा वह दान कर सकता है। उसके लिए मुतवल्ली बना सकता है। उसके आय के साधन कैसे होंगे - यह लिख सकता है। आय से होने वाली आय किस वर्ग के उपयोग में आएगी - उसके भी निर्देश दे सकता है। What is this 'wakf by user'? किसने आपको संपत्ति

दी? किसने आपको संपत्ति दान की? किसके मन में मंशा थी कि अल्लाह को दे दिया जाए? एक भी आदमी ने 'wakf by user' की संपत्ति वक्फ के अधिनियम के तहत नहीं दी। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दिया, वह औरत उनकी हो गई।

[उपसभाध्यक्ष (श्री पी. विल्सन) पीठासीन हुए।]

इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू-माफियाओं की तरह काम किया है। इन्होंने जिस जमीन पर हाथ रख दिया, वह जमीन उनकी हो गई। ...**(व्यवधान)**... ये आज इस मानसिकता से काम करते हैं। जमीनों पर मैं कानून लेकर आया हूँ। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, इसी सदन में माननीय सदस्य असत्य बोल रहे थे। 1995 के इस एक्ट की धारा 40 में है, "The Board may itself collect information." बोर्ड स्वतः इस बात की सूचना इकट्ठी कर सकता है। यदि उसे इसका कोई कारण महसूस होता है कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। आगे क्या करेगा? "And if any question arises whether a particular property is waqf property or not or whether a waqf is a Sunni waqf or a Shia waqf, it may, after making such inquiry as it may deem fit, decide the question." किसी संपत्ति पर हाथ रख दो, किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति कह दो और वक्फ बोर्ड खुद ही तय कर लेगा कि वह संपत्ति वक्फ की है या नहीं है और जिस बेचारे की संपत्ति ले ली जाएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा। अगला वाक्य क्या है? "The decision of the Board on a question under sub-section (1) shall, unless revoked or modified by the Tribunal, be final." अगर ट्रिब्यूनल ने उस निर्णय को बदला नहीं, तो वह डिसेजिन फाइनल होगा। उसी एक्ट का दूसरा हिस्सा है, "No appeal shall lie against any decision or order whether interim or otherwise, given or made by the Tribunal." ...**(Interruptions)**... ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई भी आदेश जो दिया गया होगा, उसके खिलाफ किसी प्रकार की अपील नहीं होगी। ...**(व्यवधान)**... एक अपार्टमेंट में कोई परिवार चला जाए, किराए पर मकान ले ले और अपार्टमेंट में ऐसी घटना हुई है। किराए पर मकान ले ले, अपने चार मित्रों को बुला लें और नमाज पढ़ लें, तो पांचवें दिन वह कह देगा कि हमने इस स्थान पर नमाज पढ़ी है, इसलिए यह 'wakf by user' है। अब इसे वक्फ घोषित कर दो और घोषित हो गई। ...**(व्यवधान)**... महोदय, आपके पास एक बड़ी जमीन है और वह खाली पड़ी है। अगर उसके बगल में कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं और उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहीं जाना होता है। अगर वह उस जमीन पर नमाज पढ़ ले, आप हिंदू हैं, आप मना नहीं करते। पांच दिन, सात दिन नमाज पढ़ने के बाद वे लिख कर दे देंगे कि हम लोग इस जमीन पर नमाज पढ़ते थे, इसलिए अब यह 'wakf by user' हो गई और अब इस जमीन पर किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री उस घटना का उल्लेख कर रहे थे। ...**(व्यवधान)**... वे तमिलनाडु की घटना का उल्लेख कर रहे थे। ...**(व्यवधान)**... तमिलनाडु में क्या हुआ? एक रामचंद्रन नाम का आदमी अपनी लड़की की शादी के लिए अपनी जमीन बेचना चाहता था। वह जमीन बेचने के लिए जब रजिस्ट्रार के घर गया, ऑफिस में गया, तो पता चला कि वह जमीन उसके नाम पर ही नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, we want him to authenticate this. ... (Interruptions)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: महोदय, वह जमीन वक्फ को दे दी गई। जब हल्ला मचा, गांव के लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में गए, तो पता चला कि उन दोनों गांवों की सारी की सारी जमीन वक्फ को दे दी गई।... (व्यवधान)... 1,500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ के हवाले कर दिया गया। महोदय, यह होता है इन लोगों का 'wakf by user'. ... (Interruptions)...

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, he has to authenticate this. ... (Interruptions)...

He has to authenticate this. ... (Interruptions)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: महोदय, इन्हें बैठाया जाए। ... (व्यवधान)... महोदय, मैं भी जेपीसी का मेंबर हूँ, ये भी जेपीसी के मेंबर हैं। ... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Please conclude.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: महोदय, ये इस बात के गवाह हैं। लगातार जेपीसी में जितने भी वितनेस आते रहे, इनके बड़े-बड़े धार्मिक मतावलंबी आते रहे, मैं उनसे कुरान को क्वोट करके कहता रहा, मैं कुरान पढ़ता हूँ, किसी धर्म को पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, मैंने कुरान को क्वोट करके कहा कि मौलवी साहब, यह तो बताइए कि इस कुरान में या किस हदीस में यह लिखा है कि अगर हमने कोई संपत्ति दान नहीं की, तो क्या आप उसको 'wakf by user' मालिकाना मान लोगे? मेरे एक भी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। इन लोगों ने क्या किया? क्या यह आपको मालूम है?

ओवैसी साहब, जो वहां बैठते हैं, उन्होंने मेरा नाम रख दिया - मौलाना डा. राधा मोहन अग्रवाल। अब इससे बड़ी मेरी जीत क्या हो सकती है? मैंने इनसे पूछा, इस बात पर बहस होती है कि डीड लिखित गया या नहीं, मैंने इनसे कहा कि जब हजरत मोहम्मद साहब ने अपनी आयतों में लिखा है - चार आयतें हैं, आप चाहेंगे तो मैं पेश करूंगा। ऐसी चार आयतें हैं, जहां हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं कि अगर एक भी पैसा किसी को दो, तो उसको लिखो, उसका उदाहरण दो, उसका वितनेस बनाओ, ताकि ताकीद रहे कि कल तुम्हारे देने को कोई चुनौती न दे पाए। एक भी पैसा दो, तो लिखित दो। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास ये सारी संपत्तियां हैं, जिनका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी वक्फ है! मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं उस कमेटी की बातों को बोलता नहीं, लेकिन चूंकि इन्होंने उस कमेटी का उल्लेख कर दिया, इसलिए मैं इन्हें एक्सपोज़ कर रहा हूँ। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब, ये लोग नहीं दे पाए। ये केवल मुझसे कहते थे, कुरान पढ़ते हैं, मौलाना हैं, कुरान पढ़ते हैं, मौलाना हैं। कुरान में पढ़ता हूँ, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो न, मैं पढ़ूँ और बताऊँ कि कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी, मार! ये हिंदू की भलमनसाहत है, जो कुरान पढ़कर तुम्हें बताता नहीं है। ... (समय की घंटी)...

महोदय, दूसरी चीज़, सरकार इनकी थी, इन्होंने वक्फ को अभयदान दे दिया और क्या नारा दिया? जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। इन्होंने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का ऐतिहासिक काम किया है। उत्तर प्रदेश की 74% वक्फ की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी हैं। तेलंगाना में 50% वक्फ की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी हैं। महोदय, इनको पूरा अभयदान मिला था और उसका फल क्या हुआ? 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी ने कहा कि 4,50,000 संपत्ति है और 6 लाख एकड़ जमीन है। आज 2024 में 8,72,000 संपत्ति है और 37,94,000 एकड़ जमीन है। 2006 से 2023 तक 6 लाख एकड़ से बढ़कर 37,94,000 एकड़ जमीन इनकी हो गई। महोदय, इन्हें बताना तो पड़ेगा कि आखिर ये 31 लाख अतिरिक्त जमीन इन्होंने कहां से पाई है। ...**(समय की घंटी)**... इन्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। महोदय, कांग्रेस के पहले वक्ता ने जितने समय तक बोला है, मैं भी उतना ही समय तक बोलने वाला हूँ, यह मेरा अधिकार है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Please conclude. ...*(Interruptions)*...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। इन्होंने चर्चा की। ये कर्नाटक के हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Please conclude. ...*(Interruptions)*...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: महोदय, मेरे पास यह रिपोर्ट है। यहां बोलने के पहले मैंने इस रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट किया है, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के पास इसको लिखकर भेजा है। ये सांसद महोदय कर्नाटक के हैं, पाकिस्तान जिंदा वाले। ...**(व्यवधान)**... एक शब्द भी इन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में नहीं बोला। ...**(व्यवधान)**... यह रिपोर्ट जेपीसी में प्रस्तुत हुई है। जब यह जेपीसी में प्रस्तुत हुई है, तो यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ...**(व्यवधान)**... महोदय, मैं यह रिपोर्ट पढ़ूँगा, यह मेरा अधिकार है। मैं आपको बताऊँगा कि कर्नाटक के अंदर किन-किन नेताओं ने वक्फ की कितनी-कितनी संपत्तियों पर कब्जा कर डाला है। ...**(व्यवधान)**... मैं उनके नाम पढ़ता हूँ - कमरुल इस्लाम, फॉरेन मिनिस्टर; सूर्यवंशी, एक्स एमपी; सी.एम. इब्राहिम, एक्स यूनियन मिनिस्टर; रहमान खान, एक्स यूनियन मिनिस्टर; अब्दुल्ला शरीफ, वक्फ बोर्ड ऑफिशियल; एन.ए. हैरिस, एमएलए; एम.ए. खालिद, एक्स सीओ; मुमताज अहमद खान, चेयरमैन; मोहम्मद सनुल्लाह, आईएएस; मिस्टर सिंदूश गिरी, फार्मर मिनिस्टर; एम.एफ. पासा, आईपीएस... खनीज़ फातिमा (MLA), C.K. Jaffer Sharief (Foreign Minister). ...*(Interruptions)*... उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक नाम इस सदन की मर्यादा में ...**(समय की घंटी)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Please conclude. Otherwise, we will have to take it from the Party's time. ...*(Interruptions)*...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: सर, मैं conclude कर रहा हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): You have to conclude.

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, can he prove this?

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: सर, मैं इस सदन की मर्यादा की वजह से एक नाम लेने से इन्कार करता हूँ, क्योंकि वे इस समय सदन में नहीं हैं। उनका नाम क्या है, यह वे लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। महोदय, मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। सीमा पर एक सैनिक मर रहा था और मरते हुए सैनिक से एक कवि ने पूछा-

“हे वीर बंधु, दुःखदाई यह कौन विपद का?
हम दोषी किसको ठहराएँ, तुम्हारे वध का?...”

मरते हुए सैनिक ने कहा-

“यह गहन प्रश्न, कैसे रहस्य समझाएं,
10-20 बधिक हों, तो हम नाम गिनाएं?...”

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Is your Party allotting the time for you?
...(Interruptions)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल:

“हर कदम-कदम पर खड़ा, यहाँ पातक है?”
हर तरफ लगाए घात, बड़ा घातक है!
देवता-सदस्य दिखता है, पर कमरे में वह गलत हुक्म लिखता है,
जिस पापी को गुण नहीं, गोत्र प्यारा है...”

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Please conclude. ...(Interruptions)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल:

“समझो उसी ने ही हमें आज मारा है।
जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है,
या किसी लोभ के विवश चुप रहता है,
ऐसे कुटिल राजतंत्री को धिक्कार है
वह मूक सत्य अंतः कम नहीं, बधिक है
चोरों के हितु, ठगों के जो बल हैं,
जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं।
जो छल-प्रपंच को प्रश्रय देता है,
या चाटुकारजन की सेवा लेता है।

*यह पाप उन्हीं का, हमको मार गया,
भारत अपने ही घर में हार गया है।”*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Now, I call upon the next speaker. Shri Mohammed Nadimul Haque.

SHRI PRAMOD TIWARI (Rajasthan) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Please tell the rule.

SHRI PRAMOD TIWARI: It is Rule 238(A). मैंने बहुत ही विनम्रता से इंतजार किया और सदन में जो एकेडमिक डिस्कशन चल रहा है, यह शांतिपूर्वक चले। इस पर मैं सिर्फ एक बात आपको 238(A) के तहत कहना चाहता हूँ। कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के खिलाफ, सदस्य के विरुद्ध मानहानिक या अपराध में फंसाने वाले स्वरूप का कोई आरोप नहीं लगाएगा, जब तक कि आरोप लगाने वाले सदस्य ने सभापति और संबंधित को इसकी पूर्व सूचना नहीं दी हो, ताकि मंत्री को दिए जाने के प्रयोजन के विषय की जांच कर सकें। मान्यवर, परंतु सभापति किसी समय सदस्य को कोई ऐसा आरोप लगाने से मना कर सकेगा या आपकी राय में आए, ऐसा आरोप राज्य सभा की गरिमा को घटाने वाला हो, इस आरोप को लगाने का कोई औचित्य नहीं होता। ...**(व्यवधान)**... मैं आपसे फैसला नहीं चाहता हूँ। मैं उनसे फैसला चाहता हूँ। मान्यवर, एक मंत्री का यह आचरण है। मान्यवर, इन्होंने श्री नासिर हुसैन पर जो आरोप लगाया है, उनको कोई सूचना नहीं दी गई, मंत्री जी को कोई सूचना नहीं दी गई। मेरा सिर्फ यह आग्रह है कि चर्चा शांतिपूर्वक चले, इसलिए ऐसा कोई आरोप न लगाया जाए, जिससे राज्य सभा की गरिमा गिरे और यह जो आरोप लगाया गया है, इससे राज्य सभा की गरिमा गिरती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): One minute, the hon. Minister.

श्री अमित शाह: मान्यवर, माननीय सदस्य ने माननीय सदस्य नासिर हुसैन पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने इतना कहा कि जब यह जीते, तब पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगे। इसमें इन पर क्या आरोप है? नारे तो किसी और ने लगाए। मगर नारे क्या लगे! पाकिस्तान जिन्दाबाद के लगे। क्यों लगे, यह नासिर हुसैन जी को बताना चाहिए।

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Mr. Vice-Chairman, Sir...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): We will review his speech.

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, my name has been taken. I want to clarify. ...**(Interruptions)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): We will review his speech.

DR. SYED NASEER HUSSAIN: He has taken my name. ...(Interruptions)... I want to clarify. The incident...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): One minute; I will clarify. He has already submitted his authentication to the Chair. ...(Interruptions)...

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, my name has been taken. ...(Interruptions)... Sir, my name has been taken.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): That is what. ...(Interruptions)...

DR. SYED NASEER HUSSAIN: When that incident happened, none of the people who were present, except for one journalist -- and I do not know from where he came -- heard this. Nobody else heard this. ...(Interruptions)... Even then, on air, I told my Government, I requested my Government, that if somebody has done that, he has to be arrested and tried according to the law of the land. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Nothing will go on record. ...(Interruptions)... I will call upon the next speaker, Mohamed Nadimul Haque, to speak in Urdu. You have 25 minutes. ...(Interruptions)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, I have a point of order. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Under which rule?

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Rule 241. Kindly look at Rule 241. It is regarding 'personal explanation'. A Member has the right to give personal explanation when his name is mentioned, he has been named by some other Member. ...(Interruptions)... Kindly go through the rule. वे बोलते हैं कि expunge करेंगे, कैसे expunge करेंगे? How can he expunge? ...(Interruptions)... It cannot be expunged.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): His speech will be reviewed. ...(Interruptions)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: No, no. It is regarding personal explanation. If someone says something against me, then, I have a right under Rule 241 to give personal explanation. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): He has spoken with the permission of the Chair. We will review his speech. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: I am in the dark. I was not in the know of...
...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): We will review his speech.
...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: You cannot encroach upon the right of a Member. Rule has given us the authority. ...*(Interruptions)*... No, no.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): We will review his speech.
...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: No, Sir. My right cannot be encroached upon.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): You can take assurance from the Chair. We will review his speech.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: It is not fair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Next speaker is Mohamed Nadimul Haque to speak in Urdu. ...*(Interruptions)*...

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Give me 30 seconds. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): I have already said that we will review his speech. ...*(Interruptions)*... Next speaker is Mohamed Nadimul Haque. ...*(Interruptions)*... Mr. Nadimul Haque, please start your speech. ...*(Interruptions)*... I have already answered. We will review his speech. ...*(Interruptions)*... Now, I call upon the next speaker. ...*(Interruptions)*... I call upon the next speaker.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Under which rule? ...*(Interruptions)*... Which rule you are referring to? Please tell the rule.

SHRI TIRUCHI SIVA: Rule 241. It has been already mentioned. He has got every right to give personal explanation. ...*(Interruptions)*... His name has been taken. Give him the floor. ...*(Interruptions)*... Give him the floor.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): I have already said that his speech will be reviewed. ...*(Interruptions)*... Now, I call upon the next speaker, Mohamed Nadimul Haque. Mr. Haque, please go on.

SHRI MOHAMED NADIMUL HAQUE (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill. यह ज़ब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने। ...*(व्यवधान)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, when personal allegations are made against a Member, the Chair should give him a chance to clarify. Give him just 30 seconds.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): I will do that after the hon. Member's speech concludes. I will give him time to clarify. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: You should give him time now. Give him just 30 seconds.

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Give me just 30 seconds.

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, after the hon. Home Minister spoke and said, hon. Member could give an explanation, the Chair gave him the chance and the hon. Member spoke about it. I have heard it. Many of us heard it, post which you have called hon. Member, Mohamed Nadimul Haque to speak. Then, Shri Sukhendu Sekhar Ray, the hon. Member from TMC, asked the same point. But, after the Home Minister spoke, the Chair gave him permission. He stood and spoke. He even went to the extent ...*(Interruptions)*... I recall what he said. ...*(Interruptions)*... I recall what

he said. If he has not said it, let him correct me. ...*(Interruptions)*... He said, "None of us was present in the House. There was one journalist." ...*(Interruptions)*... All this was said after the permission was given. ...*(Interruptions)*... How many times, for one reference, will he have to be given the chance to speak? He was given the chance. He spoke? We all heard it. Matter closed. ...*(Interruptions)*... Then you called up Shri Sukhendu Sekhar Ray. How many times, Sir? And if Shri Nadimul Haque doesn't want to speak, call the next speaker. He is not getting up. Let somebody else speak. He did not get up. The Chair called three times. Speak. ...*(Interruptions)*... Let him speak. Let him speak. ...*(Interruptions)*... When the Chair called, he did not get up. When the Chair called, he did not get up. Stop banging the chair. Stop banging the table, Derek. ...*(Interruptions)*...

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI) *in the Chair.*]

Sir, the Chair called him three times and the hon. Member did not get up. ...*(Interruptions)*... Please check the record. I want to say, please check the record. The Chair called him three times.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: He did not even get up. The Chair called him three times. He did not even get up. Then, move to the next speaker. ...*(Interruptions)*... What is this? He wants to speak three times. You want to be called three times. Is this some order? ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। ...*(व्यवधान)*...

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, if hon. Member, Shri Haque, wants to speak, since he was called, since the Chair gave him permission, let him speak. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down. कृपया आप सभी लोग बैठ जाइए। The Chair is on its legs.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: If he does not speak, how many times will he have to go back to that person?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down. ...*(Interruptions)*... देवेगौड़ा जी खड़े हैं, मैं एक सूचना के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ...*(व्यवधान)*...

SHRI H. D. DEVEGOWDA (Karnataka): Sir, to speak on this Bill, I am only waiting for the Chairman to come because yesterday he made an announcement that ten minutes have been allotted for the former Prime Ministers. There should not be any disturbance. For the first time, after 17 years... I don't want to quote what has happened in the other House. It is not proper to mention anything about what has happened in the other House. I know something but I don't want to speak about that. For 17 years, only one or two minutes have been given to me because I have been the only Member from my Party. I suffered. I was humiliated. Now, yesterday, the Chairman has given at least ten minutes to speak. I am waiting. When the Chairman comes, I will speak on this Bill. There is no need of any hesitation. I am going to stand by what the Parliamentary Affairs Minister spoke yesterday. I heard your speech up to one o'clock. I know what has happened. I am going to speak. There is nothing to fear about. I am a person who fought for the cause of the Muslims. NDA was there. But, today, what my stand is, I am going to make it clear to the country. There is no hesitation. I will speak. Wait, Madam. Please. There is no doubt about it. I am waiting for the Chairman to come. That is how I am going to speak.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य सुनिए, ...*(व्यवधान)*... Please listen to me. आप पहले मुझे सुनिए। आपके समय में पूर्व चेयरमैन ने जो व्यवस्था दी, उस पर आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, इसके बाद श्री मोहम्मद नदीमुल हक अपनी बात जारी रखेंगे।

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. ये ज़ब्र भी देखा है ...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): बाद में दूंगा। ...*(व्यवधान)*... Please sit down.

श्री मोहम्मद नदीमुल हक: सर, ...*(व्यवधान)*...

“ये ज़ब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने
लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई।”

† اجنب ندیم الحق : سر، --- (مداخلت)---

یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے
لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down.

श्री मोहम्मद नदीमुल हक: मोहतरम चेयरमैन साहब, आज मैं जिस बिल पर गुफ्तगू के लिए खड़ा हुआ हूँ, यह सिर्फ कोई कानूनी मसौदा नहीं है, बल्कि यह हमारे मुल्क की तामीर, हमारे कांस्टीट्यूशन की रूह और एक निहायती पुरानी रिवायत से जुड़ा हुआ मुस्तकबिल का मामला है। मैं आज इस ऐवान के सामने एक ऐसे फिकरमंद हिंदुस्तानी की हैसियत से खड़ा हूँ, जिसे अपनी मां जैसी सरज़मीन के हर शहरी से मोहब्बत है और जिसके दिल में यह सवाल है कि क्या हम उन रिवायतों को भुला सकते हैं, जिन्होंने हमें एक देश, एक कौम बनाया है। ...**(व्यवधान)**... आज हम जिस वक्फ तरमीमी बिल पर गुफ्तगू कर रहे हैं, यह मामला सिर्फ मुसलमानों से वाबस्ता नहीं है, बल्कि यह पूरे हिंदुस्तान के समाजी तवाजुन और शहरी तहज़ीब से जुड़ा है। सर, जिस बिल को हुकूमत लाना चाहती है, वह हमारे फंडामेंटल राइट्स को शदीद नुकसान पहुंचाता है। हमारी बुनियादी बात यह है कि यह सिर्फ एक मज़हबी मसला नहीं, बल्कि एक कांस्टीट्यूशनल इश्यू भी है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि यह एक निहायत अहम और संगीन आईनी मसला भी है।

सर, मैं, श्रीमती मौसम नूर, श्री समीरुल इस्लाम और सुश्री दोला सेन यहां मौजूद हैं। हमारे सारे मेंबरान भी मौजूद हैं। हमारी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और हमारी दीदी ममता बनर्जी ने मुझे यह ज़िम्मेदारी दी है कि मैं यहां अपनी पार्टी की जानिब से कांस्टीट्यूशन का दफा करूं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात तवज्जह से सुनी जाएगी और किसी भी फैसले से पहले इन ज़रूरी बातों का ख्याल रखा जाएगा। सर, हमारे लिए कंस्टीट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हमें रास्ता दिखाती है। यही फर्क है आज की सरकार और हमारे नजरिए में। यही वजह है कि हम भारत के आईन की हिफाज़त के लिए अपना आखिरी कतरा-ए-खून भी देने को तैयार हैं। सर, वक्फ तरमीमी बिल, 2025 में कई संगीन खामियां मौजूद हैं। इसमें कानूनी जाब्तों में खिलाफवर्जियां हैं, आईनी उसूलों की पामाली है और यह एक गैर मुनासिब कदम है। इस बिल में बहुत सारे गैर मंतिकी फैसले हैं। इसमें किसी भी तब्दीली की वाज़ेह तौज़ीह नहीं है और सबसे बढ़कर अकल्लियतों के हुकूक को पामाल करता है। यहां तक कि यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है, एंटी फेडरल है और फंडामेंटल राइट्स की भी खिलाफवर्जी करता है।

सर, मैं अपनी बात 10 पॉइंट में कहूंगा। पहला प्वाइंट उम्मीद - वक्फ दरअसल सदका-ए-जारिया है, यानी ऐसी खैरात, जो हमेशा के लिए हो, लेकिन यह बिल वक्फ की पहचान को कमजोर करता है और इस बात को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि वक्फ क्या है। यह हुकूमत इस फैसले के नतायज को समझने में नाकाम है। यह बिल वक्फ को उसकी तारीखी और मज़हबी हैसियत से महरूम कर देगा। सर, रिफॉर्म्स के नाम पर हमारी सदियों पुरानी दीनी व

† Transliteration in Urdu script.

سماجی اذداروں کو نیا نام دینا وکف کی روه کے ساآھ اءک مہیانک مآآاک ہا۔ مائ سمآآاآا آھ کئ یھ اءوان، ماتلب هاااس کو آھد سے آھآنا آاھئ کئ اءسا ڈاآلآھشان کآوں آرررر ہا۔ یھ کاروڈوں مسالمانوں کو کآا آاگام دے رها ہا، آئئکے لئا وکف اءمان، اکئدا اور اآآماا فآھ کئ الامت ہا۔ یھ بئل وکف کو آھد سے آآااا سارکارئ کآآرول مائ لاکر ہماری ساءئوں آورانئ رئاآات اور آھدماآ کے ئآآام کو آآم کرنے کئ کوشئ کر رها ہا۔ الامئاآاھ یھ ہا کئ آئس بئل کو اآمئد کا نام دئا آاا ہا، وھ دے رھکئکآ لوگوں کے لئا ماآھسئ اور بےآئئ لےکر آاا ہا۔

“ہمکو ان سے وفا کئ ہا اآمئد،
آو نھئ آانآے وفا کآا ہا” ... (وآوآان)...

آآاب نءم الحق : مآآرم آئرمئن صاآب آ آ مئ آس بل آر آآآگو کے لئے کھآا آوا آوں یہ صرف کوئ قانونئ مسوآہ نھئ بے بلکہ یہ ہمارے ملک کئ آعمئر ہمارے کانسآئٹوشن کئ روه اور ائک نھاآت آرانئ روائآ سے آآا آوا بے مسآآل کا معاملہ بے مئ آ آ اس ائوان کے سامنے ائک ائسے فکر مند ہندوسآانئ کئ آئآت سے کھآا آوں آسے ائئ مآ آئسئ سرزمئن کے ہر شہرئ سے مآآب بے اور آس کے دل مئ یہ سوال بے کہ آئا ہم ان روائآوں کو بھلا سآآے ہئں، آئہوں نے ہمئ ائک دئش، ائک قوم بنائا ہے۔ مآآآآ... آ آ ہم آس وقت آرمئمئ بل آر آآآگو کر رہے ہئں، یہ معاملہ صرف مسلمانوں سے وابستہ نھئ بے بلکہ یہ آورے ہندوسآان کے سماآئ آوازن اور شہرئ آھذئب سے آآا بے سر آس بالکل آکومت لانا آآآئ بے وہ ہمارے فنڈامئنآل رائآ کو شءئد نقصان آہنآآا بے ہمارئ بنئاءئ باآ یہ بے کہ یہ صرف ائک مذہبئ مسئلہ نھئں۔ بلکہ ائک کانسآئٹوشنل ائشو بھئ بے مئ ائک بار آہر کھوں آا کہ یہ ائک نھاآت اہم اور سنگئن ائئئئ مسئلہ بھئ بے۔

سر، مئں، شرمئئ موسم نور، شرئ سمئر الاسلام اور سوشرئ ڈولا سئں یہاں موجود ہئں۔ ہمارئ آارآئ ال انڈئا آرئنمول کانآرس اور ہمارئ دئءئ مآآ بنرآئ نے مآآے یہ ذمہ دارئ دئ بے کہ مئں یہاں ائئئ آارآئ کئ آانآ سے کونسآئٹوشن کا دفاع کروں مئں امئد کرتا آوں کہ مئرئ باآ آوجہ سے سئئ آانے آئ اور کسئ بھئ فئصلے سے آہلے ان ضرورئ باآوں کا آئال رکھا آانے آا۔ سر، سر ہمارے لئے کونسآئٹوشن صرف ائک کتاب نھئں بلکہ ہمئں راستہ دکھاآئ بے یہئ فرق بے آ آ کئ سرکار اور ہمارے نظرئے مئں۔ یہئ وجہ بے کہ ہم بھارت کے ائئں کئ آفاظآ کے لئے ائنا آآرہ آون بھئ دئنے کو آئار ہئں۔ سر آرمئمئ بل 2025 مئں کئئ سنگئن آامئان موجود ہئں۔ اس مئں قانونئ ضابآوں مئں آلاف ورزئان ہئں ائئئئ اصولوں کئ آامائ بے اور یہ ائک آئر مناسب آدم بے۔ اس بل مئں بہآ سارے آئر منآقئ فئصلے ہئں۔ اس مئں کسئ بھئ آئءئئ کئ واضآ آوضئ نھئں بے۔ اور سب سے بآرھ کر اقلئوں کے آقوق کو آامال کرتا بے۔ یہاں آک کہ یہ بئسک اسآرآر اف کونسآئٹوشن کے آلاف بے، ائئئئ فئڈرل بے اور فنڈامئنآل رائآس کئ بھئ آلاف ورزئ کرتا بے۔

سر مئں ائئئ باآ 10 آوانآ مئں کھوں آا۔ آہلا آوانآ امئد، وقف دراصل صدقہ آارئہ بے آئنئ ائسئ آئرآآ آو ہمئشے کے لئے آو لئکن یہ بل وقف کئ آہآان کو کمزور کرتا بے اور اس باآ کو رئ ڈئفان کرنے کئ کوشش کر رہا بے کہ وقت آئا بے۔ یہ آکومت اس فئصلے کے نتائج کو سمآآنے مئں ناکام بے۔ مئں آآآا آوں یہ بل وقف کو اس کئ آارآئ اور مذہبئ آئآئت سے محروم کر دے آا۔ سر، رئ فورم کے نام آر ہمارئ صدئوں آرانئ دھئمئ و سماآئ اداروں کو نئا نام دئنا وقف کئ روه کے ساآھ ائک بھئانک مذاق بے۔ مئں سمآآتا آوں کہ یہ ائوان مطلب آاؤس کو آود سے آوآھنا آآبے کہ ائسا ڈالئوشن کئوں ضرورئ بے یہ کروآوں مسلمانوں کو آئا آہغام دے رہا بے، آن کے لئے وقف ائمان، آقئدہ اور آآماعئ فآر کئ علامت بے۔ یہ بل وقف کو آد سے زئاءہ سرکارئ کآآرول مئں لا کر ہمارئ صدئوں آرانئ روائآ اور آدمآآ کے نظام کو آآم کرنے کئ کوشش کر رہا بے المئہ یہ بے کہ آس بل کو امئد کا نام دئا آئا بے وہ درآقئقآ لوگوں کے لئے ماآوسئ اور بے آئئ لے کر آئا بے۔

ہم کو ان سے وفا کئ بے امئد
آو نھئ آانآے وفا آئا بے

† Transliteration in Urdu script.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down.

श्री मोहम्मद नदीमुल हक: हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। सर, मैं दूसरे प्वाइंट पर आता हूँ कि यहां पर इस बिल में यह शर्त रखी गई है कि कोई भी शख्स 5 साल तक इस्लाम पर अमल करने के बाद ही कोई दुरुस्त वक्फ कायम कर सकता है। यह शर्त आर्टिकल 25 और 26 की खुली खिलाफवर्जी है, जो हर फर्द को बगैर किसी गैर जरूरी मुदाखलत के मजहबी आजादी, अमल, तबलीग और इदारा चलाने का हक देता है। हैरत की बात यह है कि पाबंदी सिर्फ

3.00 P.M.

मुसलमानों पर लागू होती है, जबकि हिंदू, सिख और ईसाई चैरिटीज़ पर ऐसी कोई शर्त नहीं है। सर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब 5 साल की शर्त लगाई गई है, तो इसका सर्टिफिकेट कौन देगा कि यह मुसलमान 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं है? प्रैक्टिसिंग का मायने क्या है, कि पाँच वक्त का नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, हज पर जाए, कि जकात दे। इसकी डेफिनिशन कहाँ से होगी, यह मुझे समझ में नहीं आया। जेपीसी में जब यह बात उठी, जिसका मैं भी मेम्बर था, तो जेपीसी ने अपने आखिरी रिकमेंडेशन में इसको और कह दिया कि न सिर्फ प्रैक्टिसिंग होना होगा, बल्कि उसको डिमॉस्ट्रेट भी करना होगा कि वह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। सर, क्या अब एक मुसलमान को किसी अथॉरिटी के पास जाकर रजिस्टर करना होगा, ताकि उसके मुसलमान होने का रिकॉर्ड रखा जाए? सर, यह मुकम्मल तौर पर unconstitutional है और आर्टिकल 14 की खुली खिलाफवर्जी है, जो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और बराबरी के दरम्यान इम्तियाज़ नहीं किया जा सकता। मुसलसल जहर घोला जा रहा है, सरासर [‡] बोला जा रहा है। तराजू है तवाज़ुन में नहीं जब,

† **جناب ندیم الحق :** سر میں دوسرے پوائنٹ پر اتا ہوں کہ یہاں پر اس بل میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص پانچ سال تک اسلام پر عمل کرنے کے بعد ہی کوئی درست وقف قائم کرتے سکتا ہے۔ یہ شرط آرٹیکل 25 اور 26 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جو ہر فرد کو بغیر کسی غیر ضروری مداخلت کے مذہبی آزادی، عمل، تبلیغ اور ادارہ چلانے کا حق دیتا ہے۔

حیرت کی بات یہ ہے کہ پابندی صرف مسلمانوں پر لاگو ہوتی ہے جبکہ ہندو سکھ اور عیسائی چیریٹریز پر ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ سر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پانچ سال کی شرط لگائی گئی ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ کون دے گا کہ یہ مسلمان پانچ سال تک پریکٹسنگ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ پریکٹسنگ کے معنی کیا ہیں، کہ پانچ وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج پر جائے، زکوٰۃ دے۔ اس کی ڈیفینیشن کہاں سے ہوگی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے پی سی میں جب یہ بات اٹھی جس کا میں بھی ممبر تھا تو جے پی سی نے اپنی آخری ریکمنڈیشن میں اس کو اور کہہ دیا کہ نہ صرف پریکٹسنگ ہونا ہوگا بلکہ اس کو ڈیموسٹریٹ بھی کرنا ہوگا کہ وہ پریکٹسنگ مسلم ہے۔ سر، کیا اب ایک مسلمان کو کسی اتھارٹی کے پاس جا کر رجسٹر کرنا ہوگا تاکہ اس کے مسلمان ہونے کا ریکارڈ رکھا جائے؟ سر یہ مکمل طور پر ان کونستٹیوشنل ہے اور آرٹیکل 14 کی کھلی خلاف

[‡] Expunged as ordered by the Chair.

[†] Transliteration in Urdu script.

ورزی ہے جو کہتا ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں اور برابری کے درمیان امتیاز نہیں کیا جا سکتا مسلسل ذہر گھولا جا رہا ہے سراسر[£] بولا جا رہا ہے ترازو ہے توازن میں نہیں جب۔۔

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): [£] शब्द निकाल दीजिए।

श्री मोहम्मद नदीमुल हक: सर।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): [£] शब्द निकल गया।

श्री मोहम्मद नदीमुल हक: अच्छा, ठीक है, सर। मुसलसल जहर घोला जा रहा है, सरासर असत्य बोला जा रहा है।

*तराजू है तवाजुन में नहीं जब,
बराबर कैसे तोला जा रहा है।*

सर, मैं तीसरे पॉइंट, oral waqf और waqf by user पर आता हूँ। इस बिल के तहत यह लाज़मी करार दिया गया है कि हर वक्फ के लिए तहरीरी दस्तावेज़, यानी फॉर्मल डॉक्युमेंटेशन होना ज़रूरी है। यह शर्त सदियों से राय जुबानी वक्फ और वक्फ बा इस्तेमाल के उसूलों को मुकम्मल तौर पर खारिज कर देती है। मुस्लिम फिक ने हमेशा इस बात को तस्लीम किया है कि जुबानी ऐलान से भी वक्फ कायम हो सकता है और ऐसी जमीनें, जो आवामी तौर पर मसाजिद, कब्रिस्तान या मदरसे के तौर पर इस्तेमाल होती रही हैं, वे भी वक्फ के दायरे में आ जाती हैं। इस हकीकत को नज़रअंदाज़ करके यह कानून हज़ारों ऐसे मौजूदा औकाफ को खत्म कर देगा, जिनके पास कागज़ी सबूत मौजूद नहीं हैं। इस तब्दीली से न सिर्फ तनाज़ोआत पैदा होंगे, बल्कि कम्युनिटी प्रॉपर्टी का नुकसान भी रातोंरात हो सकता है। ऐसी तारीखी मस्जिद, कब्रिस्तान और तालीमी इदारे, जो शायद कभी सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हुए, मगर नस्लों से आवाम की खिदमत कर रहे थे, अब वे अपनी कानूनी हैसियत से महरूम हो जाएँगे। यह और कुछ नहीं, बल्कि एक cultural vandalism है।

सर, मैं अपने चौथे पॉइंट पर आ रहा हूँ कि इस बिल में वक्फ-अलल-औलाद को इस तरह पेश किया गया है, जैसे यह सिर्फ एक विरासती चाल हो, जबकि हकीकत यह है कि यह एक नाकाबिले वापसी और नेक नीयती पर मबनी इयत्ता होता है, जो शरीयत के उसूलों के तहत वाकिफ को यह हक देता है कि वह अपने beneficiary का इंतखाब खुद करे। मेरे हिसाब से यह मुदाखलत unnecessary है।

सर, मैं अपने पाँचवें पॉइंट पर आता हूँ - डिजिटल निज़ाम और वामसी पोर्टल। इस बिल में वक्फ इमलाक को डिजिटलाइज करने के लिए वामसी पोर्टल के इस्तेमाल की बात की गई है, लेकिन हकीकत यह है कि रजिस्ट्रेशन में ताखीर, पोर्टल हमेशा क्रैश होता रहता है और दीगर तकनीकी मुश्किलात आम मसला है। सर, अब यह सवाल है कि हम अपनी मजहबी जायदादों के

[£] Expunged as ordered by the Chair.

मुस्तकबिल को इस नाकिस निजाम पर कैसे छोड़ सकते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ वही वक्फ तस्लीम किया जाएगा, जो 6 महीने में रजिस्टर्ड हो जाए? जो नहीं हो सकेगा, तो उसका क्या हाल होगा? क्या वह हमेशा के लिए गैरकानूनी हो जाएगा? सर, मंत्री जी बैठे हैं, जब ये जवाब देंगे, अगर इस पर थोड़ा वाजा कर दें, तो मैं इनका शुक्रगुजार होऊँगा।

सर, मैं छठे पॉइंट, वक्फ बोर्ड और हमारे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के कंपोजिशन पर आ रहा हूँ। इस बिल का मकसद मरकज़ी वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम करना है। सर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 12 और स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 में से 7 अराकीन अब गैर मुस्लिम हो सकते हैं। जो CEO होता है, वह भी गैर मुस्लिम हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि उसको वक्फ के लॉ से या वक्फ का जो jurisprudence है, उससे उसको वाकिफ होना जरूरी है। इसके अलावा, कई ओहदों से मुसलमान लाज़मी होने की शर्त भी हटा दी गई है। यह एक वाज़ेह कोशिश है कि मुसलमानों का अपनी ही मज़हबी इमलाक पर अख्तियार कम किया जाए और इंतजामी अख्तियार को सेंट्रल कंट्रोल के मातहत लाया जाए।

सर, दिलचस्प बात यह है कि जब यह बिल लोक सभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसमें ड्राफ्टिंग की एक बड़ी गलती रह गई थी। उसमें लिखा हुआ था कि "Any member, who is a non-muslim, will be disqualified." यानी हुकूमत ने बिल पेश करने से पहले अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। यह गलती हम लोगों ने जेपीसी में जा करके पकड़ा। इसलिए जरूरी है कि ऐसे बिल्स को पार्लियामेंटरी कमेटियों में भेजा जाए, ताकि उनकी ठीक से स्कूटनी की जाए। आप सब जानते हैं कि पहले 10 में से 7 बिल्स स्कूटनी में जाते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 बिल्स ही जाते हैं।

सर, इस बिल में खवातीन की नुमाइंदगी का जिक्र किया गया है, मगर हकीकत यह है कि खवातीन पहले से ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मेंबर हैं और स्टेट वक्फ बोर्ड में भी मेंबर हैं। कहा जा रहा है कि उनके लिए यहां पर प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन यहां पर मेरे पास यह एक्ट की किताब है और इसमें 4 फरवरी, 2009 में जो कंपोजिशन है, उसमें मैं तीन नाम पढ़ रहा हूँ - जम्मू से डा. दरखां अंब्राबी, कोलकाता से डा. मिसेज़ सैयद तस्वीर नसरीन और तमिलनाडु से श्रीमती मुनव्वरी बेगम। यानी यह बात तो पहले से है। ये महिलाएँ तो पहले से ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मेंबर्स हैं, फिर आप ऐसा बोल कर के कि यह बात है, हम लोगों को, क्या रिजर्वेशन दे रहे हैं? वह तो हमारी पार्टी देती है। हमारी पार्टी के पास 39 परसेंट women MPs हैं। 14 परसेंट दे करके इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं।

सर, इस बिल में यह भी चेंज किया गया कि जो इलेक्टेड बॉडी थी और बहुत सारे लोग इलेक्ट होकर आते थे, अब सिर्फ नॉमिनेट होकर आएंगे, अपॉइंट होकर आएंगे। तो यह आर्टिकल 26 की खिलाफवर्जी है, जो हर मज़हबी ग्रुप को अपने मज़हबी मामलात खुद चलाने का बुनियादी हक देता है। सर, यह क्लॉज़ मुकम्मल तौर पर unconstitutional है। इस बिल में बोहरा और आगाखानी कम्युनिटी को भी शामिल करने की बात की गई है। जेपीसी में बोहरा लोगों ने आकर के अपना डिपोजिशन दिया था और उन्होंने साफ-साफ कहा था कि हम लोग इस एक्ट के तहत कहीं भी नहीं रहना चाहते हैं, हमारा अपना निज़ाम है। अब आप ज़बरदस्ती उनको ला करके मेंबर बना रहे हैं, जो खुद मेंबर नहीं बनना चाहते हैं।

सर, अब मैं अपने सातवें पॉइंट पर आता हूँ - लिमिटेशन एक्ट पर। यह बिल लिमिटेशन एक्ट, 1963 को वक्फ इमलाक पर लागू करता है और मौजूदा कानून क्लॉज़ 107 को मुकम्मल तौर

पर खत्म कर देता है, जो अब तक वक्फ को इस एक्ट से एक्जैम्प्ट करार देती थी। क्लॉज़ 107 को हटाकर Constitution के आर्टिकल 14, 15 और 26 की सरी खिलाफवर्जी है। लिमिटेड एक्ट एक आम कानून है और इसे वक्फ जैसे मखसूस मज़हबी कानून पर लागू करने से, इंक्रोचर्स वक्फ के जमीनों पर एडवर्स पोजीशन के जरिए मिल्कियत का दावा कर सकेंगे। यह कानून वक्फ के दायमी तस्सवुर, यानी हमेशा के लिए दीनी और फलाही मकसद से वक्फ की गई जायदादों की बुनियादी नजरिए को तोड़ता है। मज़ीद तशवीस की बात है कि वक्फ इमलाक, जैसे कि मसाजिद, कब्रिस्तान, मदारिस वगैरह अब तक रियासती हुकूमत के दायरा-ए-अख्तियार में थे, लेकिन यह बिल उन्हें मरकज़ी हुकूमत के मातहत लाने की कोशिश करता है। यानी स्टेट वक्फ बोर्ड को बाईपास किया जा रहा है। यह एक एंटी-फेडरल कदम है और सेंद्रलाइजेशन ऑफ पावर है।

सर, इस बिल में क्लॉज़ 108ए भी शामिल किया गया है, जो सेंटर को यह अख्तियार देता है कि वह ज़मीन से ताल्लुक रखने वाले कानून बना सके। हम सबको मालूम है कि Land is a State subject. यह स्टेट के दायरे में ही क्यों न हो, यह बिल मज़हबी, समाजी और माअशरी बहबूद, माने वेलफेयर को मुतास्सिर कर सकता है और वक्फ इमलाक को गैर-कानूनी कब्जों के लिए खुला छोड़ देगा, क्योंकि इसमें कोई लीगल सेफगार्ड नहीं रखा गया है। इसमें पहले दो साल की सज़ा थी, उसको कम करके 6 महीना कर दिया गया, जो encroachers के लिए है और जो offence cognizable और non-bailable था, अब उसको bailable कर दिया गया है।

सर, अब मैं अपने अगले पॉइंट पर, 8वें पॉइंट पर आता हूँ - Centralization of power in the hands of Government officials. इस बिल का शायद सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह तमाम अख्तियारात सरकारी अफसरों को देता है और अदालतों, कम्युनिटी इदारों और वक्फ बोर्ड को टूथलेस कर देता है। जेपीसी रिपोर्ट के बाद अब बिल में यह क्लॉज़ शामिल किया गया है कि एक नामज़द अफसर, जिसका जिला कलेक्टर से ऊपर का दर्जा होगा, वह यह फैसला करेगा कि कोई जायदाद वक्फ है या नहीं। यानी किसी जायदाद की मज़हबी या कानूनी हैसियत सिर्फ एक अफसर की सवाबदीद, यानी discretion पर तय हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या यह अफसर उसूलों से वाकिफ होगा? क्या उस रिवायत की रूह का इल्म उसके पास होगा? This is against the Principle of Natural Justice that no one can be a judge in his or her own cause. यह आर्टिकल 25 और 26 की खुली खिलाफवर्जी है।

सर, मैं अपने ninth point, यानी Tribunals पर आता हूँ। Tribunals के फैसले फाइनल होते थे। अब वह finality खत्म हो गई, इसलिए यह unnecessary Amendment है। अब जितने legal disputes हैं, उनको यह और लंबा करेगा। कोर्ट पर पहले से जो बोझ है, हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर बोझ है, यह उसको और बढ़ाएगा। मगर ये तरमीम दीगर मज़हबी कानून के मुताज़ाद है, क्योंकि दूसरे मज़हब के चैरिटीज़ में ट्रिब्यूनल के फैसले को हत्मी तस्लीम किया जाता है, यानी दूसरे जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके फैसले हत्मी तस्लीम किए जाते हैं, सिर्फ इसी को फाइनल नहीं किया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वक्फ के मामले में यह अलग मेयार क्यों? सर, यह एक discriminatory move है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरासर direct attack on federalism है। यह बिल सिर्फ वक्फ का मामला नहीं, बल्कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर एक सरासर खतरनाक हमला है। यूनियन गवर्नमेंट पूरे मुल्क में वक्फ के मु'आमलात को बराहेशस्त कंट्रोल करके रियासतों के दायरे अख्तियार को नजरअंदाज कर रही है। यह एक

خترناک میسال کا یام کرے گی۔ آج وکف نشانے پر ہے، کل مندر کی زمین، چرچ کی زمین یا گوردھارے کی زمین بھی نشانے پر آئے گی۔ یہ بیل centralization of power کر کے ہمارے یونین کی بنیاد کو ہلا رہا ہے۔ جسکی رھ ڈیویجن آف پاور میں ہے، ن کی سنڈرائزیشن آف پاور میں۔ میں اس اقام کے تمام مؤاخذین ممبران سے گوارش کرتا ہوں کی یہ اس بیل کی مخالفت سرف مآہبی آئی نی بنیاد پر ہی نہیں، بلکہ federal principles کی بنیاد پر بھی کرے۔

سر، میں یہاں کیرل کے منمبم ایلاکے کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، جہاں 700 سے زیادہ خاندان برسوں سے آباد ہیں۔ میں اس ایلان میں ممتا بنرجی کی پارٹی کا رکن ہونے کی ہسیات سے بڑا ہوں اور یہ بات واجہ تار پر کہنا چاہتا ہوں کی ایک بھی خاندان بدخل نہیں ہگا، no one will be evicted. Sir, please اس مکاری ماملے کو وکف بیل سے ن آڈا آئے، کیونکی یہ دونوں بیلکل ایلگ ایشیون ہیں۔۔۔(ویدھان)۔۔۔

† جناب ندیم الحق: اچھا ٹھیک ہے سر، مسلسل زہر گھولا جا رہا ہے سراسر استے بولا جا رہا ہے۔

ترازو ہے توازن میں نہیں جب،

برابر کیسے تولا جا رہا ہے۔

سر میں تیسرے پوائنٹ اور وقف اور وقف بائی یوزر پر آتا ہوں۔ اس بل کے تحت یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ ہر وقف کے لیے تحریری دستاویز یعنی فارمل ڈاکومنٹیشن ہونا ضروری ہے یہ شرط صدیوں سے رائے زبانی وقف اور وقف با استعمال کے اصولوں کو مکمل طور پر خارج کر دیتی ہے۔ مسلم فقہ نے ہمیشہ اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ زبانی اعلان سے بھی وقف و قائم ہو سکتا ہے اور ایسی زمینیں جو عوامی طور پر مساجد قبرستان یا مدرسے کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہیں وہ بھی وقف کے دائرے میں آجاتی ہیں۔ اس حقیقت کو نظر انداز کر کے یہ قانون ہزاروں ایسے موجودہ اوقاف کو ختم کر دے گا، جن کے پاس کاغذی ثبوت موجود نہیں ہے اس تبدیلی سے نہ صرف تنازعات پیدا ہوں گے بلکہ کمیونٹی پر اپرٹی کا نقصان بھی راتوں رات ہو سکتا ہے۔ ایسے تاریخی مساجد قبرستان اور تعلیمی ادارے جو شاید کبھی سرکاری طور پر رجسٹرڈ نہیں ہوئے مگر نسلوں سے عوام کی خدمت کر رہے تھے اب وہ اپنی قانونی حیثیت سے محروم ہو جائیں گے یہ اور کچھ نہیں بلکہ ایک کلچرل اینڈالزم ہے۔

سر میں اپنے چوتھے پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ اس بل میں وقف علی الاولاد کو اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسے یہ صرف ایک وراستی چال ہو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ناقابل واپسی اور نیک نیتی پر مبنی عطیہ ہوتا ہے، جو شریعت کے اصولوں کے تحت واقف کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے بینیفیشری کا انتخاب خود کرے۔ میرے حساب سے یہ مداخلت غیر ضروری ہے۔

سر میں اپنے پانچویں پوائنٹ پر آتا ہوں۔ ڈیجیٹل نظام اور وامسی پورٹل اس بل میں وقف املاک کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے وامسی پورٹل کے استعمال کی بات کی گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ رجسٹریشن میں تاخیر، پورٹل ہمیشہ کرش ہوتا رہتا ہے اور دیگر تکنیکی مشکلات اہم مسئلہ ہے۔ سر اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی مذہبی جائیدادوں کے مستقبل کو اس ناقص نظام پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا اب کہنا چاہتے ہیں کہ صرف وہی وقف تسلیم کیا جائے گا، جو چھ مہینے میں رجسٹرڈ ہو جائے؟ جو نہیں ہو سکے گا تو اس کا کیا حل ہوگا؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے غیر قانونی ہو جائے گا؟ سر منتری جی بیٹھے ہیں، جب یہ جواب دیں گے، اگر اس پر تھوڑا واضح کر دیں تو میں ان کا شکر گزار ہوں گا۔

سر میں چھٹے پوائنٹ بخت پور اور ہمارے سینٹرل وقف کونسل کے کمپوزیشن پر آ رہا ہوں اس بل کا مقصد مرکزی وقف کونسل اور ریاستی وقف بورڈ میں مسلمانوں کی نمائندگی کم کرنا ہے۔ سر سنٹرل وقف کونسل میں 22 میں سے 12 اور اسٹیٹ وقف بورڈ میں 11 میں سے سات اراکین اب غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ جو سی ای او ہوتا ہے وہ بھی غیر مسلم ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کو وقف کے لاء سے یا وقف کا جو جیورس پروڈنٹس ہے، اس سے اس کو واقف ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ، ک عہدوں سے مسلمان لازمی ہونے کی

† Transliteration in Urdu script.

شرط بھی پٹا دی گئی ہے یہ ایک واضح کوشش ہے کہ مسلمانوں کا اپنی ہی مذہبی املاک پر اختیار کم کیا جائے اور انتظامی اختیار کو سینٹرل کنٹرول کے ماتحت لایا جائے۔

سر دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ بل لوک سبھا میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا تو اس میں ڈرافٹنگ کی ایک بڑی غلطی رہ گئی تھی۔ اس میں لکھا ہوا تھا “Any member, who is a non-muslim, will be

disqualified.” یعنی حکومت نے بل پیش کرنے سے پہلے اپنا ہوم ورک ٹھیک سے نہیں کیا۔ یہ غلطی ہم لوگوں نے جے پی سی میں جا کر کے پکڑا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے بل کو پارلیمنٹری کمیٹیوں میں بھیجا جائے، تاکہ ان کی ٹھیک سے اسکو رٹنی کی جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے دس میں سے سات بل اسکو رٹنی میں جاتے تھے لیکن اب صرف دو بل ہی جاتے ہیں۔

سر اس بل میں خواتین کی نمائندگی کا ذکر کیا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ خواتین پہلے سے ہی سینٹرل وقف کونسل میں ممبر ہیں اور اسٹیٹ وقف بورڈ میں بھی ممبر ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے یہاں پر پراؤ دھان کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر میرے پاس یہ ایکٹ کی کتاب ہے اور اس میں 4 فروری 2009 میں جو کمپوزیشن ہے اس میں تین نام پڑھ رہا ہوں۔ جموں سے ڈاکٹر درخشاں اندرابی، کولکاتہ سے ڈاکٹر مسز سید تصویر نسرین اور تملناڈ سے شریمتی منوری بیگم۔ یعنی یہ بات تو پہلے سے ہے یہ مہیلاؤں تو پہلے سے ہی سنٹرل وقف کونسل کی ممبرز ہیں پھر آپ ایسا بول کر کہ یہ بات ہے، ہم لوگوں کو کیا ریزرویشن دے رہے ہیں؟ وہ تو ہماری پارٹی دیتی ہے ہماری پارٹی کے پاس 39 فیصد خواتین ایم پی ہیں۔ 14 فیصد دیگر کے اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ریزرویشن دے رہے ہیں۔

سر اس بل میں یہ بھی چینیج کیا گیا ہے کہ جو الیکٹڈ ہاڈی تھی اور بہت سارے لوگ الیکٹ ہو کر آتے تھے اب صرف نومینیٹ ہو کر آئیں گے اپوائنٹ ہو کر آئیں گے۔ تو یہ آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی ہے، جو ہر مذہبی گروپ کو اپنے مذہبی معاملات خود چلانے کا بنیادی حق دیتا ہے۔ سر یہ کلوز مکمل طور پر ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ اس بل میں بہرا اور آغا خانی کمیونٹی کو بھی شامل کرنے کی بات کی گئی ہے جے پی سی میں بہرہ لوگوں نے آکر کے اپنا ڈیویژن دیا تھا اور انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ ہم لوگ اس ایکٹ کے تحت کہیں بھی نہیں رہنا چاہتے ہیں ہمارا اپنا نظام ہے اب آپ زبردستی ان کو لا کر کے ممبر بنا رہے ہیں جو خود ممبر نہیں بننا چاہتے ہیں۔ سر، میں اپنے ساتھ میں پوائنٹ پر آتا ہوں لمیٹیشن ایکٹ پر یہ بل لمیٹیشن ایکٹ 1963، کو وقف املاک پر

لاگو کرتا ہے اور موجودہ قانون کلوز 107 کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے جو اب تک وقف کو اس ایکٹ سے ایگزٹ قرار دیتی تھی کلوز 107 کو ہٹا کر کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 14، 15 اور 26 کی خلاف ورزی ہے۔ لمیٹیشن ایکٹ ایک ایک عام قانون ہے اور اسے وقف جیسے مخصوص مذہبی قانون پر لاگو کرنے سے انکروچرز وقف کے زمینوں پر ایڈورس پوزیشن کے ذریعے ملکیت کا دعویٰ کر سکیں گے۔ یہ قانون وقف کے دائمی تصور یعنی ہمیشہ کے لیے دینی اور فلاحی مقصد سے وقف کی گئی جائیدادوں کے بنیادی نظریے کو توڑتا ہے۔ مزید تشویش کی بات ہے کہ وقف املاک، جیسے کہ مساجد، قبرستان اور مدارس وغیرہ اب تک ریاستی حکومت کے دائرہ اختیار میں تھے لیکن یہ بل انہیں مرکزی حکومت کے ماتحت لانے کی کوشش کرتا ہے یعنی اسٹیٹ وقت بورڈ کو ہائی پاس کیا جا رہا ہے یہ ایک ایٹنی فیڈرل قدم ہے اور سینٹرلائزیشن آف پاور ہے۔

اس بل میں کلوز 108 اے بھی شامل کیا گیا ہے جو سینٹر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ زمین سے تعلق رکھنے والے قانون بنا سکے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ لینڈ اسٹیٹ سبجیکٹ یہ اسٹیٹ کے دائرے میں ہی کیوں نہ ہو یہ بال مذہبی سماجی اور معاشرتی بہبود، معنی ویلفیئر کو متاثر کر سکتا ہے اور وقف املاک کو غیر قانونی قبضوں کے لیے کھلا چھوڑ دے گا کیونکہ اس میں کوئی لیگل سیف گارڈ نہیں رکھا گیا ہے اس میں پہلے دو سال کی سزا تھی، اس کو کم کر کے چھ مہینے کر دیا گیا، جو انکروچرز کے لیے ہے اور جو آفس کانسٹیبل اور نان بیلبل تھا اب اس کو بیلبل کر دیا گیا ہے۔

سر اب میں اپنے اگلے پوائنٹ پر، آٹھویں پوائنٹ پر آتا ہوں سنٹرلائزیشن آف پاور ان دا ہینڈ آف گورنمنٹ آفیشلز۔ اس بل کا شاید سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ تمام اختیارات سرکاری افسروں کو دیتا ہے اور عدالتوں، کمیونٹی اداروں اور وقف بورڈ کو ٹوتھ لیس کر دیتا ہے جے پی سی رپورٹ کے بعد اب بل میں یہ کلوز شامل کیا گیا ہے کہ ایک نامزد افسر جس کا ضلع کلیکٹر سے اوپر کا درجہ ہوگا وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کوئی جائیداد وقف ہے یا نہیں۔

یعنی کسی جائیداد کی مذہبی یا قانونی حیثیت صرف ایک افسر کی ثوابدید یعنی ڈسکریشن پر طے ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ افسر اصولوں سے واقف ہوگا کیا اس روایت کی روح کا علم اس کے پاس ہوگا۔ This is

against the Principle of Natural Justice that no one can be a judge in his or her own cause. یہ آرٹیکل 25 اور 26 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔

सर में अपने नोविय पौन्ट یعنی थियोलॉज पर आता हों थियोलॉज के फिसेल फांनल होते थे- अब वे फांनल खत्म हो गयी- अस लिये ये गिर ضرुरी अमिन्टमन्ट है- अब जतने लीगल डिसिप्लिन हिये अ को ये ओर लमा करे गा- कुर्ट पर जो पहले से बोजे हिये, हमारे हानी कुर्ट ओर सपरिम कुर्ट पर बोजे हिये ये अ को ओर ब्रुहाने गा मगर ये त्रमिम दिगर मडिबी कानुन के मत्सद हिये कियुनके दुसरे मडिबी के चिरुथिये मिये थियोलॉज के फिसेल को हत्मी तसलिये किया जाता है येने दुसरे जतने भी थियोलॉज हिये अ के फिसेल हत्मी तसलिये किये जाते हिये सरफ असी को फांनल नहिये किया गया है- मिये ये पोजेना चान्ता हों के कुर्ट के मयले मिये ये अ के मयार किये? सर ये अ के डुसकुरियमन्तरी मओ है- मिये कहेना चान्ता हों के ये सरसर डुअरिक्ट अथिक अ फियुलरुम है- ये अ सरफ कुर्ट के मयले नहिये बलके हमारे फियुलरु अथुरकुर पर अ एक सरसर खतरनाक हमे है योनिये गुरनमन्ट पुरे मक मिये कुर्ट के मयले को बुरा रासत कन्तुरुल कर के रियसतुन के दुरे अखतियार को नुर अन्दाज कर रे है- ये अ एक खतरनाक मथल कानुन करे की अ कुर्ट नशाने पर है कल मन्दर की मयिन, चुर की मयिन या गुरदुरारे की मयिन भी नशाने पर आे की ये अ सन्तुरलान्तरियेन अफ पुर कर के हमारे योनिये की बनियद को बला रे है जस की रुक डुवियुन अफ पुर मिये है न के सन्तुरलान्तरियेन अफ पुर मिये- मिये अ अयन के तमम मयुर मयुरन से गुरारुश करता हों के वे अ अ की मखलफ सरफ मडिबी अनिये बनियद पर है नहिये बलके फियुलरु परनसपुल की बनियद पर भी करिये-

सर मिये येा किरल के मन्मिम अलके का भी डकर करना चान्ता हों जहा 700 से येा खानदान बरसुन से अबद हिये- मिये अ अयन मिये मन्ता बनुरी की पुरथी का रकन हने की हिये से कहेता हों, ओर ये अ कुर्ट कुर्ट पर कहेना चान्ता हों के अ एक भी खानदान है डखल नहिये हुगा- नु वन वल बी अयुक्कडु- सर पलिये, अ मकामी मयले को कुर्ट अ से ने जुरा जाते कियुनके ये दुनुन बालक अ अशुओ हिये- ... (मदखलत)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवारी): क्या यह जगह बंगाल में है?

श्री मोहम्मद नदीमुल हक: सर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम सारी कमेटियों के recommendations के आधार पर यह बिल लेकर आए हैं, जबकि वे पार्लियामेन्टरी कमेटियाँ अलग-अलग हैं। अगर आपको रिफॉर्म करना ही है, तो इन कमेटियों के तीन recommendations को आप मान लीजिए। पहला, मुसलमानों में तालीम के फरोग के लिए एक National Education Board का कयाम - आप इसको तो मानिए। दूसरा, इन्हीं कमेटियाँ ने recommend किया था कि वे वक्फ जायदाद, जिन पर सरकारी एजेंसियाँ काबिज हैं, उन्हें वापस वक्फ बोर्ड को दिया जाए। लास्ट रिक्मेंडेशन, Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 के तहत वक्फ को लाया जाए। सर, मैं हैरान हूँ कि इस बिल में इन सब recommendations का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। बल्कि 2014 का वक्फ का Anti-Encroachment Act राज्य सभा में लाइव था, उसको अभी-अभी यह बिल पेश करने से पहले उन्होंने विद्वा कर लिया है। सर, अगर आज वक्फ निशाने पर है, तो याद रखिए कल किसी पर भी यानी मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे पर भी यही कानून लागू किया जा सकता है। इसलिए आइए, हम खुल कर बात करें, वक्फ कोई आम इदारा नहीं, बल्कि यह एक रूहानी विरासत है, एक ईमानी अमानत है, जिसकी जवाबदेही मुकद्दस फर्ज है और जिनसे आज खयानत हो रही है।

सर, मैं इस मुअज्जिज ऐवान से पुरखुलूस अपील करता हूँ कि इस बिल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया जाए। अगर इस्लाह करना है, रिफॉर्म करना है, तो मिल्लत के एतमाद मशुरे ओर शराफत के साथ की जाए, न कि जबरदस्ती। यह बिल सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, बल्कि हमारे secularism, हमारे Constitution और हमारी democracy का इम्तिहान भी है। यह मत भूलिए कि तारीख सब याद रखती है और यकीनन तारीख याद रखेगी कि हमने इस मौके पर इंसफ का साथ दिया या खामोशी अख्तियार कर ली। सर, बुलडोजर राज का हमने बहुत नाम

سونا ہے، لےکین بولڈوآر راج ہمارے دل سے ہینڈوستان کی بھ نہیں نیکال سکتی۔ سر، میں کھ سکتا ہوں کھ ہمارے پورخوں کی کبریں یھان ہیں، ہماری بھی ہوںگی، ہمارے بچوں کی بھی ہوںگی۔

"مآزھب نہیں سیکھاتا آپس میں بےر ریکھنا،
ہینڈی ہیں ہم، وٹن ہے ہینڈوستان ہمارا!"

سر، اس ملک کو divide کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آم تہر پر کسی شاکس کو آآا اھمیت نہیں دےتا ہوں، لےکین چھکی وے بنگال میں آپوآیشن لیڈر ہیں، اسلئے انکا آوملا دوھرانا چاھتا ہوں۔ وے کھتے ہیں - 'آو ہمارے ساآھ، ہم انکے ساآھ۔ سبکا ساآھ، سبکا ویکاس باند کروتے'۔ میں رپیٹ کرتا ہوں - 'آو ہمارے ساآھ، ہم انکے ساآھ۔ سبکا ساآھ، سبکا ویکاس باند کروتے'۔ میں منتری آئی تآھ انآھ سب سے پھنا چاھتا ہوں کھ آآھ آپ انکا ساآھ دےتے ہیں؟ کھان گآھ، آآھکا 'سبکا ساآھ، سبکا ویکاس'؟ میں کھنا چاھتا ہوں کھ لوک سبھا میں آک بیل پاس کرنے کے لئے 272 کی پاور چاھئے۔ '400 پار' کا نام سونا تآھ۔ 350-300-272 بھی نہیں آھوا، وھ کھول 240 رھا۔ وھان اس بیل کو سبکا ساآھ لےکر پاس کآھ گآھ ہے، آو آبھی وھان آآھ ہے۔ سر، میں وھ کھ سکتا ہوں کھ بھوت بار وھان کے لوگ، موڈی آئی اور شاھ آئی نے بنگال میں آآھ رلےیاں کی ہیں، مگر بنگال نے انھیں مسترد کر دیا اور 2026 میں بھی وھی آھگا، کھونکے بنگال unity in diversity کی ميسال ہے۔ سر، آب میں بس آاند لائین کھکر آپنی سپیچ آآھ کرتا ہوں، مؤآے مؤکا دیآھگا۔

آآھ نڈیم آق: سر، مانئے منتری آئی نے کہا کھ ہم ساری کمیٹیوں کے ریکمنڈیشنز کے آدھار پر یہ بل لے کر آئے ہیں جبکہ وھ پارلیمنٹری کمیٹی آگ آگ ہیں اگر آپ کو ريفارم کرنی ہے تو ان کمیٹیوں کے تین ریکمنڈیشنز کو آپ مان لیآھے۔ پہلا مسلمانوں میں آلم کے فروغ کے لئے آک نیشنل آجوکیشن بورڈ کا قیام۔ آپ اس کو تو مانئے۔ دوسرا انہی کمیٹیوں نے ریکمنڈ کیا تآھ کھ وھ وقف آائداد آن پر سرکاری آجنسیاں قابض ہیں انہیں واپس وقف بورڈ کو دیا آئے لاسٹ (Eviction of Unauthorized Occupants) Public Premises Act, 1971 کھ آق کو لایا آئے۔ سر میں آیران ہوں کھ اس بل میں ان سب ریکمنڈیشنز کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے بلکہ 2014 کا وقف کا آئیٹی انکروآمنٹ آکٹ راجیہ سبھا میں لائیو تآھ اس کو آبھی آبھی یہ بل پیش کرنے سے پہلے انہوں نے وڈ آرا کر لیا ہے۔ سر آگ اگر وقف نشانے پر ہے تو یاد رکھئے کل کسی پر بھی یعنی مندر، آرچ اور آردوارے پر بھی یہی قانون لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اس لئے آئیے ہم کھل کر بات کریں وقف کوئی عام ادارہ نہیں، بلکہ یہ آک روحانی وراثت ہے آک آئیٹی آمانت ہے جس کی آواب ڈبی مقدس فرض ہے اور آن سے آگ آیانٹ ہو رہی ہے۔

سر میں اس معزز آوان سے پرآلوس آپیل کرتا ہوں کھ اس بل کو مکمل طور پر مسترد کر دیا آئے۔ اگر آصلاح کرنا ہے ريفارم کرنا ہے تو ملت کے اعتماد مشورے اور شرافت کے ساتھ کیا آئے نہ کھ زبردستی۔

یہ بل صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے سیکولرزم ہمارے کونسٹیٹیوشن اور ہماری ڈیموکریسی کا آمتحان بھی ہے یہ مت بھولئے کھ تاریخ سب یاد رکھتی ہے اور یقینا تاریخ یاد رکھے گی کھ ہم نے اس موقع پر انصاف کا ساتھ دیا یا آاموشی آختیار کر لی۔ سر بلڈوزر راج کا ہم نے بہت نام سنا ہے لیکن بلڈوزر راج ہمارے دل سے ہندوستان کی بو نہیں نکال سکتی۔ سر میں یہ کہہ سکتا ہوں کھ ہمارے پرکھوں کی قبریں یہاں ہیں، ہماری بھی ہوں گی، ہمارے بچوں کی بھی ہوں گی۔

مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بےر رکھنا،
ہندی ہیں ہم وٹن ہے ہندوستان ہمارا

[†] Transliteration in Urdu script.

سر اس ملک کو ڈیوائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں عام طور پر کسی شخص کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہوں لیکن چونکہ وہ بنگال میں اپوزیشن لیڈر ہیں اس لیے ان کا جملہ دہرانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ سب کا ساتھ سب کا وکاس بند کرو۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، جو ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ، سب کا ساتھ سب کا وکاس بند کرو۔ میں منتری جی اور سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ کہاں گیا آپ کا سب کا ساتھ سب کا وکاس؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوک سبھا میں ایک بل پاس کرنے کے لیے 272 کی پاور چاہیے۔ 400 پار کا نام سنا تھا۔ 350-300-272 بھی نہیں ہوا۔ وہ صرف 240 رہا۔ وہاں اس بل کو سب کا ساتھ لے کر پاس کیا گیا ہے جو ابھی یہاں آیا ہے۔ سر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت بار یہاں کے لوگ مودی جی اور شاہ جی نے بنگال میں جا کر ریلیاں کی ہیں مگر بنگال نے انہیں مسترد کر دیا اور 2026 میں بھی یہی ہوگا، کیونکہ بنگال یونٹی ان ڈائیورسٹی کی مثال ہے۔ سر اب میں بس چند لائنیں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں مجھے موقع دیجیے گا۔

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मैंने आपको रोका नहीं, टोका भी नहीं।

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, the Waqf Bill is not just about property or governance, it is about dignity. It is about identity and it is about whether we will let our rights to be re-written by those who see us as mere footnotes in this nation's story. When institutions that have stood for centuries serving education and welfare are suddenly questioned, when our places of worship and sacred lands are put under the scanner while others remain untouched, we must ask who gets to decide, how much is enough! We do not owe explanations for our presence, for our heritage, for our existence. This land is ours as much as anyone else's. Our history, our contributions and our rights are not up for negotiation. The Constitution does not ask how much we belong, it guarantees that we do.

"अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है,
 ये सब धुआँ है, कोई आसमान थोड़ी है,
 लगेगी आग तो आएँगे घर कई जद में,
 यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है,
 हमारे मुँह से जो निकले वो सदाक़त है,
 हमारे मुँह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है,
 मैं जानता हूँ के दुश्मन भी कम नहीं लेकिन,
 हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है,
 जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे,
 किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है,
 सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में
 किसी के बाप का हिन्दोस्तान थोड़ी है।
 जय हिंद।

† اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے،
یہ سب دھواں ہے کوئی آسماں تھوڑی ہے،
لگے گی آگ تو اٹیں گے گھر کئی زد میں،
یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے،
ہمارے منہ سے جو نکلے وہ صداقت ہے،
ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے،
میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن
ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے
جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے
کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے
سیھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں
کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے
جے ہند۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, I am standing on behalf of the DMK Party to oppose this Bill. The Tamil Nadu Legislative Assembly has passed a unanimous Resolution not to pass this Bill. But the Government is on its process. We reject the Bill in its entirety because it is legally flawed, constitutionally indefensible and morally reprehensible. Sir, why a certain community is being targeted is our question. I do not want to go into the merits of the Bill in detail because many others have spoken about it; moreover, it is of no use. It is a futile exercise because this Government has got ears, but it won't listen to the Opposition's views. It has got eyes, but will not see those who are suffering out of anything. It has a mouth only to spare words against the Opposition and have hands to unleash power against the marginalized. Sir, the intention is very important. They say that it is only administration purpose. No, it is not so! It is not reform. It is to control and to take over the administration of a certain community who have got charitable endowments and they involve in religious activities. Intention is *mala fide* and, so, deplorable. We repose our confidence in one thing. When I am not going into the merits of the Bill, that does not mean that I don't want to spend my time on that. We think, we very strongly believe, that since it is anti-secular and *ultra vires* of the Constitution, the solution is five kilometers away. The Supreme Court is there to struck down, if at all this legislation is passed. It will! We are very certain about it. It is not that we are making evasive arguments or accusations against them. The Government often says, '*Sabka Saath, Sabka Vikas*'. I rely upon him. He gave the translation: Together with all and development for all. But they have a different policy for Muslims - exclusion, marginalization and dispossession. Sir, this furthers and deepens the sense of

† Transliteration in Urdu script.

alienation and insecurity in the minds of the Muslim community in this country. One has to realize, this is a sad day. We have to say that because the Muslims across the country are waiting what is going to happen in this House. Sir, I would like to remind once again that the Constitution has assured them of many fundamental rights. But, they are all totally deprived during this regime. I have many a time told this. In the year 1947, during partition, Mohammad Ali Jinnah, who was the founder of Pakistan, said, "I have formed a country for the Muslims. All Muslims come to Pakistan". But, the Muslims in India said, "We are Muslims, but, India is our nation". Have they not contributed for the development of our country? Are they not in the military? If at all India is now an atomic power in the world, it is because of Dr. Abdul Kalam. If Aditya-I is a success, which has gone to the Sun and sending information, it is because of one Shaji from Sengottai, an Islamic girl, who is the Director of that project. There are many such instances. I don't want to say all those things. We can very clearly understand the Government is very keen in pushing the Bill to be passed. So, we have proposed some Amendments. It is not of technical corrections but to safeguard against a grave injustice to a section of the people in this country. Sir, we are afraid that, again and again, blows are being given to the secular thread of this nation. The framers of the Constitution had debated elaborately. No other Constitution in the world debated for three years. They debated every aspect. As India is a multilingual, multiregional, multicultural and multi-religious country, this country cannot be for one. But, this Government is advocating for one language. They don't accept multilingualism. They advocate for one culture and one religion. That cannot be accepted. See, we are all very much close and affiliated with each other. Earlier, my friend Derek often used to raise a concern that the Bills referred to Committees are decreasing day by day. And, last year, he said that it is 1.4 per cent or something. Now, we don't want even that, Sir, because we have experienced that it is of no use going to any Committee.

The example is the Joint Parliamentary Committee on the Waqf (Amendment) Bill 2025. My *thambi*, Shri Mohammed Abdulla, -- yes, he is my *thambi*, I am his *anna* -- he is a Muslim, I am a Hindu. He is my younger brother, I am his elder brother. Mr. Syed Naseer, Mr. Nadimul Haque who spoke, all were there in the Committee. The Minority Affairs Minister spoke yesterday and today also he is repeatedly saying that 248 stakeholders appeared before the Committee. But how many recommendations have you included in your report? None of them! All the recommendations which had been given by the Opposition side Members have been disregarded and whatever the ruling faction had given, the Members in majority, have been adopted. So, the JPC, in the exercise it went on,... What for did we send it to the Joint Parliamentary

Committee? We send it to the JPC so that we would have a good outcome, that the scrutiny will be more elaborate. Because in Parliament, because of the constraint of time, every party will be limited, whereas in the JPC or Standing Committee or Select Committee, all parties are equal, so they can contribute, as well as the stakeholders can come. The stakeholders came. The Members who participated gave their views. There were repeated meetings, Sir, but the outcome was nothing. Even the dissent note was not first accepted. Only after raising it in the House, it happened so. So, the constitution of a JPC also did not serve a purpose. And, now it has been passed there and, here also, because of your majority, it will be passed. Yes, go ahead. How long will you be going ahead like this? There will be a time to put a full stop to everything. Sir, it is the right time, I should recall, on August 18, 1947, Eid was celebrated across the country in independent India, that is, three days after the country attained independence. In the Eastern and Western parts, because of the partition-related violence, thousands of Hindus, Muslims and Sikhs were being killed. In that situation, there was an apprehension whether Muslims would be able to celebrate Eid. On that day, that is on 18th August of 1947, in Kolkata, Mohammedan Sporting Club, it is a very big ground there, Mahatma Gandhi and four to five lakh people, both Hindus and Muslims participated in Eid celebration. There, Gandhiji delivered a short speech by saying in the beginning, "My first duty is to wish Eid Mubarak to all those Muslims who are present here. There was a time when both the Hindus and Muslims embraced each other on this day... I must confess, "Gandhi proceeded to add, "that, after many years, I am witnessing this scene." He said, "The members of the Muslim League, national guards and Congress volunteers are present in large numbers thus expressing fond hope that the unity of people of diverse faiths on that occasion would be everlasting." And he remarked at the end, "I will never be able to forget the scene I witnessed today." But what is going on today, Sir? I am very painful to say this. 2025 Eid, the Haryana State Government which is ruled by the BJP, have removed Eid, the festival, from gazzeted holidays to restricted holidays. If it is a gazzeted holiday, all firms will be closed, there will be a festival mood. Whereas if it is a restricted holiday, only those who will be interested will have holidays. Why, Sir? Why is this discrimination? So also in Uttar Pradesh, what happened on Eid? Officials came and warned that on the day of Holi, 200 mosques should be covered by tarpaulins because it should not be seen. They also instructed that as namaz is offered every Friday, it may be 52 times in a year that Friday comes, if at all you want to do, do it inside or even on your terrace. This has happened. When Gandhiji, at the time when partition violence was going on, could gather people from both communities and was felicitating them 'Eid Mubarak', in this Independent

country, after 75 years of independence, when we are celebrating 75 years of our Constitution, the State Government is preventing the Muslims from celebrating Eid during Holi. It is being assumed that the Muslims will not tolerate Holi. Who said it? They are also very happy. I will cite an example. It is only depending upon the role of leadership. The role of the leadership always decides peaceful life or not of the people. Sir, in Tamil Nadu -- Madam Finance Minister is here -- on *Ganesh Chaturthi*, there will be a procession of Hindus, carrying the idols of *Ganesh*. On the way, Muslims will be standing in crowd and offering them cold drinks and *Sharbat* expressing solidarity. That is my State. ...(Interruptions)... Yes, in Kerala also. In all the States where the Opposition parties are ruling, we see this. We live in solidarity. There is one Punnainallur Mariamman Kovil in Thanjavur; Kumbhabhishekham was done. The Muslim women came to give gifts to that ‘*Maa*’, the idol there. What is that, Sir? When in Tamil Nadu, Kerala, West Bengal or Telangana, we all are living in solidarity, the festival of one and the other is being celebrated in unity, whereas, the Haryana State Government is removing it from the Gazetted holiday and the Uttar Pradesh Government is not allowing them to come out on Holi means, are we living in an Independent country or are we in a Republic country! This is the mindset of this Government. One of the agendas of the BJP is only that. Sir, all these are things which I say with pain only.

The ‘2004 Human Development Report’ on the theme of cultural liberty in today's diverse world has very clearly said that “Modern India is facing a grave challenge to its constitutional commitment to multiple and complementary identities with the rise of groups that seek to impose a singular identity on the country.” This is a report, Sir. When everything should be equal, but this is so.

Sir, Dr. Ambedkar, whom we call the father of our Constitution, who was the Chairman of the Drafting Committee of our Constitution, on December 2nd, 1948, during a lengthy discussion on Article 13 of the Draft Constitution dealing with the Fundamental Rights to profess any faith, referred to the Uniform Civil Code. That is awaiting. The Uniform Civil Code is your next thing that you are going to take in your hands. Now the Muslims are affected after the UCC; some of the States which are ruled by BJP have already adopted it. When you bring it here, the Christians, the Sikhs, the Parsis ...(Interruptions)... I am not going into it. He spoke about that when he was speaking on that. ...(Interruptions)... Excuse me, Bhupenderji. You are well informed, I know. When I am reading out, I am quoting it. He said, ‘No Government can exercise its power in such a manner as to provoke the Muslim community to rise in rebellion. It would be a mad Government if it did so.’ ...(Interruptions)...

AN HON. MEMBER: Who said this?

SHRI TIRUCHI SIVA: Dr. Ambedkar. And while talking about the idea of parliamentary democracy, as a democracy of majority, in his Address at the Siddharth College Students' Parliament, Dr. Ambedkar said, "It is true that in our legislation, there is a rule that all questions shall be decided by a majority. But I could ask you to be very careful about that principle. It is one of the most dangerous principles that we have got." We are seeing that. Because of the majority this Government is having, you are not doing anything good to the people. You don't consider everyone equal as '*sabka sath, sabka vikas.*' But you don't see that. You say in every place, '*Vasudhaiva Kutumbakam*'; no, not in practice. You have a partisan eye, discrimination, exclusion. When these are being faced by one section of this nation, what is their future, Sir?

Ambedkar further said, "The majority rule has been admitted merely for reasons of convenience. But, for God's sake, do not write that principle too much. You will create a great deal of difficulties." Yes, you are facing it. He was a foresighted leader, who had said, "You will create a great deal of difficulties. In a certain sense, the rule of majority is the wrong rule." Majority can be there, but how is it being used? If there is majority in Committees, they uphold whatever they want to. If there is majority in the parliament, they enact whatever they want to. So, majority is not the rule against the minority. It has to embrace everyone. So, the people in this country, believing that it is a secular nation, that we can live safely and do not resort to any nation which pronounces or practises their faith, believe that India is one and that is our motherland. Is it not the duty of this Government? Dr. Ambedkar had argued that in a parliamentary democracy, minorities must always be won over, never to be dictated. 'Won' means not by a war, as it is being waged now. It should be by way of convincing. So, he said, "Develop the art of public speaking and persuasion." So people's minds can be converted and changed, but not in any other manner. Sir, I am running short of time. Before you ring the bell...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): I am not going to ring.

SHRI TIRUCHI SIVA: Thank you very much. Sir, we have given some amendments, which will say all about those things like the composition of the Central Waqf Council and Boards to include non-Muslim members. Many others spoke that Hindu Religious and Charitable Endowment, or Gurdwara, has no other community or religion

members. Why is it in this? There are many such things. So, I would say that you have raised the tallest statue for Sardar Patel. I have got great reverence for him. But for him, the India, we are seeing today, would not have been. He is called the 'Iron Man of India'. When this country became independent, it was shattered and ruled by Maharajas and Nizams. He made this country united. I have much reverence and they have much more. That is why they have erected that statue. Sardar Patel, -- again to remind them; they often forget him conveniently -- emphasised the importance of minorities, trusting the majority's good sense and fairness, advocating for a secular State where all communities feel equal and have a place in national life. Madam, you are here? Let me quote one of your favourite Thirukkural. &“The tears shed by people due to the oppression of their king, will become the weapon to destroy his wealth.” So, the tears that roll out of the people, who suffer under a tyrannical rule, will become flood and will dethrone the Government. The tears of the minority community people in this country, especially the Muslims today, it will be Christians tomorrow and then any other minority community, because of this Government's approach, attitude and all the steps you take, will become flood and will wash away your Government. Thank you.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am sure Tiruchi Siva would not mind it. I am giving a light-hearted comment, nothing to do with what he has spoken. I am not commenting on his contents. There will be speakers from our side to speak. But, I am sure, hon. Members know that Tiruchi Siva is very good in Hindi film songs. He sings so well. All of us know it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Yes, मैंने इनके गाने सुने हैं।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am very grateful to hon. Member, Shri Sanjay Singh, who is sitting next to him. When Tiruchi Siva was searching for सबका साथ सबका विकास, he knows it well, -- Sanjay Singh is sitting next to him -- he created a sort of an impression that he is no good in Hindi. He sings Hindi film songs and सबका साथ ढूँढ़ रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Yes, I have also heard his song.

& English translation of the original speech delivered in Tamil.

श्रीमती निर्मला सीतारमण: हाँ, हमारे भूपेन्द्र यादव जी के पास recording है।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I will take only one minute. I am also taking it in a lighter vein. I sing songs, but many of my friends tell me the lyrics. Mr. Baghel is not here. He is the one person who made me to sing Hindi songs. With the help of English lyrics, I would be singing. You would ask, "Do you know the meaning?" I do not. He will explain to me. When I sing, "*baharon phool barsao*", you will ask, "What is the meaning?" I do not know. Then, he will explain. ...(Interruptions)... Please wait. Do not accuse. I will explain this. Sir, our DMK Party's stand is not against Hindi or the Hindi-speaking people. We want to show that we are friendly with them, and as a token of that, when I show a gesture, you have to relish it. If you make it as a political instrument, then I will stop even that. ...(Interruptions)... Again and again, I will say...(Interruptions)... The Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha's headquarters are in Chennai. We have got Hindi-speaking people there. Of course, we love each other. When I have to entertain my friends, I am doing that. So, I request the Finance Minister not to try to take a political mileage here.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपने गाया था - मुझे सदियों से तुमसे प्यार है, आज भी है और कल भी रहेगा। मैंने आपका गाना सुना है। श्री संजय सिंह।

श्री प्रमोद तिवारी: सर, यह आप कह रहे हैं या ये कह रहे हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): दोनों ही एक-दूसरे को कह रहे हैं।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): मान्यवर, आपका धन्यवाद, आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिल पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं उदय प्रताप जी की चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूँगा।

*" न मेरा है, न तेरा है, यह हिन्दुस्तान सबका है,
नहीं समझी गई यह बात, तो नुकसान सबका है।
जो इसमें मिल गई नदियाँ, वे दिखलाई नहीं देतीं,
महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है।"*

मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए - सरकार माई-बाप। सरकार माई-बाप, यानी कि जो सरकार होती है, वह लोगों की माई-बाप होती है, माँ की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है, लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों का गला घोटने पर उतारू हो जाए, तो फिर वह सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है। मान्यवर, नहीं है। वह सौतेली माँ है, उसका व्यवहार सौतेला है। आज आप जो काम कर रहे हैं, इस बिल के माध्यम से आप बाबा साहेब डॉक्टर

भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की धारा 26 में लिखा - धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रख-रखाव करना, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। यह अधिकार आपने नहीं दिया, यह अधिकार भारतीय जनता पार्टी के किन्हीं लोगों ने नहीं दिया, यह अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया और आप उस संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं! एक गैर संवैधानिक बिल लाकर! इस कानून के अंदर आपने क्या-क्या लिखा है! किस तरीके से आपने संविधान की हत्या करने का काम किया! आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, यह सरकार कह रही है कि यह कानून हम मुसलमानों के भले के लिए ला रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है।

आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं! दोनों सदनों में, सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़कर, आपका एक भी सदस्य मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं! ...**(व्यवधान)**... आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं! पूरी सरकार में आपका एक भी मंत्री मुसलमान नहीं है, यह आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं! आपने अपने दो नेताओं को घरों में बैठा दिया - मुख्तार अब्बास नक़वी और शाहनवाज हुसैन। आपने दोनों की राजनीति खत्म कर दी, यह आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं! ...**(व्यवधान)**... यह आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं! ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): He is not yielding. कृपया बैठ जाएँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं! ...**(व्यवधान)**... सुनना सीखिए, पहले सुनना सीखिए। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, इनके इस कानून में क्या-क्या लिखा हुआ है? इन्होंने क्या-क्या कहा है? ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): He is not yielding. कृपया बैठ जाएँ। ...**(व्यवधान)**... गुलाम अली जी, कृपया बैठ जाएँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, यह बिल धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की नापाक कोशिश है। धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए..

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): सदन में इतनी शान्ति है कि अगर आप आराम से बोलेंगे, तो सब सुनेंगे।

श्री संजय सिंह: सर, मैं आराम से बोल रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... आप वहाँ बैठे हैं, तो आपको देख कर जैसे ही आराम आ जाता है। ...**(व्यवधान)**... आपको देख कर मैं जैसे ही आराम में रहता हूँ। जब आप वहाँ पर हैं, आपका संरक्षण है, तो मैं आराम से ही बोल रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): ठीक है, बोलिए।

श्री संजय सिंह: मान्यवर, यह धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है, इसलिए इस बिल पर न तो हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए और न ही बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा।[£]

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): यह expunge कर दिया जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: सर, मैं कागज दूँगा। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): यह मैंने expunge कर दिया। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: सर,[£] ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): एक मिनट। ...**(व्यवधान)**... रुकिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: सर,[£] ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मैंने उसको expunge कर दिया है। ...**(व्यवधान)**... मैंने उसको expunge कर दिया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह:[£] ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Expunged. ...**(Interruptions)**...

श्री संजय सिंह:[£] ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): एक मिनट, एक मिनट। ...**(व्यवधान)**... एक मिनट। ...**(व्यवधान)**...

[£] Expunged as ordered by the Chair.

श्री संजय सिंह: [‡]...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): एक मिनट, आप रुकिए। ...(व्यवधान)... प्लीज।
...(व्यवधान)... संजय सिंह, कृपया बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... श्री गजेन्द्र सिंह जी।
...(व्यवधान)...

SHRI SANJAY SINGH: Sir, I am not yielding. ...(*Interruptions*)... I am not yielding.
...(*Interruptions*)...

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय,
...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: [‡]...(व्यवधान)...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप बैठिए। ...(व्यवधान)... आप कृपया बैठिए।
...(व्यवधान)...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: महोदय, यह राम मंदिर का विषय है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप बैठिए। ...(व्यवधान)... सब बैठ जाइए।...(व्यवधान)...
कृपया बैठिए। ...(व्यवधान)... कृपया बैठ जाँएँ। ...(व्यवधान)... कृपया बैठ जाँएँ।
...(व्यवधान)... राम मंदिर के संबंध में ...(व्यवधान)... राम मंदिर के संबंध में कहे गए सभी
शब्दों को मैं कार्यवाही से निकाल रहा हूँ। ...(व्यवधान)... उनको कार्यवाही से निकाल दिया गया
है। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: [‡]....(व्यवधान)... मान्यवर, मेरा टाइम बचाया जाए। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया आप बैठ जाँएँ। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, मेरा टाइम pause कीजिए। ...(व्यवधान)... इनको बैठाइए।
...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): उनका point of order है। ...(व्यवधान)... मैं allow कर
रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

[‡] Expunged as ordered by the Chair.

SHRI SANJAY SINGH: Sir, I am not yielding. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Point of Order by Shri Bhupendra Yadav. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... Point of Order दिया है। आप कृपया अपने स्थान पर जाइए। ...(**व्यवधान**)... कृपया अपने स्थान पर जाएँ। मैंने भूपेन्द्र यादव जी को व्यवस्था का प्रश्न उठाने का मौका दिया है। ...(**व्यवधान**)... आप सब लोग अपने स्थान पर जाएँ। ...(**व्यवधान**)... कृपया अपने स्थान पर चले जाइए। कृपया आप लोग बैठें। ...(**व्यवधान**)... श्री भूपेन्द्र यादव। ...(**व्यवधान**)... मदन राठौड़ जी, कृपया आप बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... मैंने भूपेन्द्र यादव जी को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है, लेकिन मैं पहले बता दूँ कि इन्होंने 'राम मंदिर' के बारे जो कुछ कहा है, उसको मैंने expunge कर दिया है, इसलिए वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं है। अब आप बोलिए।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): सर, यह उच्च सदन है। ...(**व्यवधान**)... मैं रूल बता देता हूँ। रूल 238 और 240 ...(**व्यवधान**)... सर, दो रूल्स, 238 और 240 हैं। मुझे बुक की जरूरत नहीं है। 'How to speak' - यह रूल 238 है। सर, रूल 240 बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत यह है कि अगर कोई भी सदस्य irrelevant बोलता है, तो यह चेयर की पावर है कि वे उस सदस्य को रोक सकते हैं। जो विषय डिबेट से जुड़ा हुआ नहीं है, सदन से जुड़ा हुआ नहीं है, वैसे irrelevant विषय को आपको रोकने का अधिकार है। माननीय सदस्य, संजय सिंह जी जो बोल रहे थे, वह irrelevant है।

सर, तीसरा एक और विषय है। रूल 238 में यह है कि बोलने के बाद जो असंसदीय शब्द हैं, किसी भी पार्टी के बारे में या किसी के बारे में जो असंसदीय हैं, अगर वे बोले गए हैं, तो उनकी भर्त्सना भी हाउस पूरे तरीके से करता है और उनको कार्यवाही से हटा दिया जाता है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): तिरुची शिवा जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? ...(**व्यवधान**)... Please, I am allowing Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I also stand on the same rules, Rule 238 and Rule 240. He did not quote Rule 238. You remember Rule 240. I know you are well-versed with Rule 238 also, but you have not quoted it. It says, 'Refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending'. Has it been done? No. It further says, 'Make a personal charge against a Member'. Has it been done? No! ...(*Interruptions*)... Kindly listen. I am on a point of order. ...(*Interruptions*)... What is this, Sir? ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया आप बैठें। ...**(व्यवधान)**... इनको एक बार सुन लें। ...**(व्यवधान)**... निर्णय मुझे करना है। कृपया आप इनको सुन तो लें। ...**(व्यवधान)**... कृपया आप बैठ जाएँ। ...**(व्यवधान)**... मैंने रूल 238 और 240, दोनों देख लिये हैं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, Rule 240 says, 'The Chairman, after having called the attention of the Council to the conduct of a Member who persists in irrelevance or in tedious repetition...' You did not call, Sir. Whether irrelevance or repetition, it has to be decided by the Chair. ...**(Interruptions)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया सुनें। ...**(व्यवधान)**...

SHRI TIRUCHI SIVA: I am speaking to the Chair.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया आप इधर देख कर बोलें। ...**(व्यवधान)**...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, we leave it to your discretion and decision. Repetition or irrelevance cannot be decided by any other Member. It is only you who can decide it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Okay, thank you.

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, रूल 240 में यह भी है कि अगर कोई दूसरा सदस्य भी किसी सदस्य की irrelevant debate को सपोर्ट करता है, तो उसको भी debar करना चाहिए, इसलिए आपको तिरुची शिवा जी को भी debar करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मेरी व्यवस्था यह है कि रूल 238 और 240 के अंतर्गत मैंने already जो असंसदीय शब्द थे और 'राम मंदिर' के बारे में जो कहा गया, वह इस विधेयक के purview में नहीं आता है, इसलिए मैंने 'राम मंदिर' के बारे में इनके द्वारा लगाए गए allegations और असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया है।

श्री संजय सिंह: मान्यवर, आपने कहा कि इससे आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। आपने इसमें कहा कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं। यहाँ पर इस समय मंत्री जी नहीं हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप देश को और सदन को गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं?

मान्यवर, 2013 के वक्फ बिल में, जो भारतीय जनता पार्टी की सहमति और सहयोग से पास हुआ, उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण था। मना कर दीजिए कि नहीं था। मना करिए कि हम गलत बोल रहे हैं। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि एक करोड़ सुझाव आए। मैं आपसे पूछना

चाहता हूँ कि कितने करोड़ ईमेल आए, कितने करोड़ पत्र आए, कितने करोड़ सुझाव आए? आप पूरे देश को जानकारी दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब पूरा सच सामने आएगा, तो देश को पता चलेगा कि कितने लोग इस बिल के विरोध में थे और कितने लोग इस बिल के समर्थन में थे! मान्यवर, मैं जेपीसी का सदस्य था। मैं आपसे कह रहा हूँ कि लाइए। आप पिछड़े मुसलमानों का भला करना चाहते हैं! मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ और हमारे जो मित्र उधर भी हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो समर्थन करना। समाज में छुआछूत की बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम और अगले सत्र में एक बिल लेकर आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट हैं, बोर्ड हैं, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80 प्रतिशत आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं आपका समर्थन करूंगा, आपको माला पहनाऊंगा। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं! [£] आप दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को भला करने की बात करते हैं!

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आरएसएस के बारे में कही गई इनकी बात को एक्सपंज कर दीजिए।

श्री संजय सिंह: मानवर इस बिल में क्या लिखा है?

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप जो भी बातें इस विधेयक के अलावा बोलेंगे, उन सबको मैं एक्सपंज करूंगा, वे रिकॉर्ड पर नहीं आएंगी।

श्री संजय सिंह: सर, क्या यह सत्य नहीं है, क्या यह सच नहीं है? सर, मेरा टाइम रोका जाए। मान्यवर, मैं बिल के बारे में बात करता हूँ। मंत्री जी, आज आप इस बिल को पास कर रहे हैं, आज आपका सीना चौड़ा हो रहा है। आपको लग रहा है, एक धर्म के अधिकार को आप छीन रहे हैं। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूँ और फिर इसको कह रहा हूँ कि आप यह करेंगे, आप धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने का काम करेंगे। आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। आपको लोक सभा के चुनाव में मात्र 36 प्रतिशत वोट मिले हैं। इस देश की 64 प्रतिशत आबादी आज भी आपके खिलाफ है, आज भी आपके खिलाफ खड़ी है, किसी गलतफहमी में मत रहिए। बड़ी-बड़ी सत्ता उखड़ गई और चली गई।

मान्यवर, इस बिल के अंदर लिखा गया है कि वक्फ कमेटी के अंदर गैर- मुसलमान इसका सदस्य बन सकता है। क्या आप गुरुद्वारा कमेटी के अंदर गैर-सिख को मेंबर बना सकते हैं, क्या ईसाई कमेटी के अंदर गैर-ईसाई को सदस्य बना सकते हैं, क्या बौद्धों की कमेटी के अंदर गैर-बौद्ध को, क्या जैनों की कमेटी के अंदर गैर-जैन को आप मेंबर बना सकते हैं? इतना ही नहीं, क्या आप हिंदुओं के ट्रस्ट में, मंदिर के ट्रस्ट में गैर-हिंदू को मेंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते।

[£] Expunged as ordered by the Chair.

आप देश भर में एक ₹ फैला रहे हैं। आप कह रहे हैं, सर, यह मैं राम मंदिर का पढ़ रहा हूँ।
...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): ₹ शब्द असंसदीय है। जो असंसदीय शब्द हैं, उनको निकाल दीजिए।

श्री संजय सिंह: ₹

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): नहीं, यह सब्जेक्ट नहीं है।

श्री संजय सिंह: सर, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए!

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मैं नहीं सुनूँगा, यह प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा।

श्री संजय सिंह: सर, मेरी बात तो सुनिए!

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): यह बिल्कुल नहीं जाएगा।

श्री संजय सिंह: सर, मेरी बात सुन लीजिए। वाइस चेयरमैन साहब, प्लीज। ₹ आपका कितना

4.00 P.M.

चरित्र है। आपने कहा कि वक्फ की जमीनों को खाली करने का काम करेंगे, जिस पर किसी और ने कब्जा कर रखा है। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि कागज चाहिए। मंत्री जी, आपको कागज की बहुत जरूरत होती है। आपको कागज चाहिए। मैं जेपीसी का मेम्बर था, मुझे एक कागज वहाँ मिला। यह पूरे देश को देखना चाहिए। आपकी सरकार ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में... सर, मेरी बात रिकॉर्ड पर नहीं आ रही है।

सर, भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया, जिसमें लिखा है कि 99 प्रतिशत वक्फ की संपत्तियाँ डिजिटाइज हो चुकी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपके मंत्री थे। उनका बयान आया था कि 100 प्रतिशत वक्फ की संपत्तियाँ डिजिटाइज हो चुकी हैं। जब आप सारी संपत्ति डिजिटाइज कर चुके हैं, सब कुछ WAMSI पोर्टल पर ऑनलाइन कर चुके हैं, सारे कागजात जा चुके हैं, तो फिर से कागज माँगने का क्या कारण है?

मान्यवर, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात कही गई और कहा गया कि 12,000 करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती थी। मैं पूरे सदन की

₹ Expunged as ordered by the Chair.

तरफ से सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ। आपको वक्फ की 12,000 करोड़ रुपये की आमदनी की चिंता है, आपको करोड़ों मुसलमानों की चिंता है। आप अपने एक दोस्त नीरव मोदी को पकड़कर लाइए और उससे 20,000 करोड़ रुपये वसूलिए, फिर 12,000 करोड़ रुपये वक्फ को दीजिए और 8,000 करोड़ रुपये अपने पास रखिए। आपको 8,000 करोड़ रुपये का मुनाफा होगा। आप 12,000 करोड़ रुपये वक्फ को दे दीजिए, जिससे करोड़ों मुसलमानों का भला हो जाएगा। मान्यवर, मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री संजय सिंह: सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से 12,000 करोड़ रुपये की आमदनी की बात कही गई है। आप अर्धसत्य मत कहिए, पूरा सत्य बोलिए। सुविधाजनक सत्य मत बोलिए, मंत्री जी, पूरा-पूरा सच बोलिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भारत की सरकार और राज्यों की सरकारों ने अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जगहों पर 365 वक्फ संपत्तियाँ कब्जे में ले रखी हैं। आप उसके बारे में कुछ नहीं बताते। आप अर्धसत्य बोलते हैं। मैं तो जेपीसी का मेंबर रहा हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। आप [£] फैला रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): [£] शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री संजय सिंह: सर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मान्यवर, असत्य, जो सत्य से परे है। मान्यवर, tribunal के लिए आप कह रहे हैं कि उसकी अपील नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट का फैसला tribunal के फैसले के खिलाफ आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला tribunal के फैसले के खिलाफ आया है। आपने कहा कि पाँच साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे तय करेंगे? क्या आप मुसलमान के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे? कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन मुसलमान है, कौन नहीं है? आपने ऐसे-ऐसे प्रावधान इसमें रखे हैं, जो बड़े अजीब हैं, जो अपने आप में ही बताते हैं कि ...(व्यवधान)... आपकी मंशा मुसलमानों या किसी भी वर्ग का भला करने की नहीं है। ...(व्यवधान)... मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। आपने देश के अंदर एक काम बहुत अच्छा शुरू कर दिया। आप कहते हैं कि देखो, मुसलमान को ठीक कर रहा हूँ। दूसरी तरफ महुँगाई बढ़ रही है, नुकसान हिन्दुओं का हो रहा है। शेयर बाजार में करोड़ों रुपये डूब रहे हैं, नुकसान हिन्दुओं का हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): यह सब्जेक्ट नहीं है।

श्री संजय सिंह: 11 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हो गए, नुकसान हिन्दुओं का हो रहा है। आप मुसलमानों को ठीक करने के नाम पर देश के करोड़ों हिन्दुओं का नुकसान कर रहे हैं। अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ...

[£] Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): चौथी बार अंत आ गया है।

श्री संजय सिंह: अभी भी आपके पास मौका है। यह बिल, जो गैर-संवैधानिक है, जो बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ है, इसे वापस लीजिए, धन्यवाद।

श्री किरन रिजिजु: मैं संजय सिंह जी को जवाब देना चाहता हूँ। सबका जवाब दिया जाएगा, लेकिन समस्या यह है ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय मंत्री जी को हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

SHRI KIREN RIJIJU: When I will reply, I will reply to everybody. मैं सबको जवाब दूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहा रहा हूँ कि संजय सिंह जी तर्कहीन बात करते हैं। जवाब देने के लिए जगह भी नहीं है। वे प्वाइंटलैस बात करते हैं, बिल से संबंधित नहीं, इधर-उधर की बात करते हैं। आप प्वाइंट पर बात कीजिए, मैं बाद में जवाब दूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Shri Yerram Venkata Subba Reddy.

SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to participate in a very crucial legislation that has the potential to change the fate and faith of crores of our Muslim brothers and sisters, who are the very citizens of this country, who have faith, I mean to say, faith on the institution of Parliament and the Constitution of India.

Now, I come to the concerns of the Muslim community and constitutional violations. Let us not forget the voices of countless Muslims across India -- represented by bodies like the All India Muslim Personal Law Board and Jamaat-e-Islami Hind -- who have expressed their deep concerns. Their pleas, however, have been met with indifference. This Bill does not address their grievances. Instead, it threatens to undermine the constitutional property rights of Muslims and interfere in religious affairs, thus violating freedoms that are sacred to our democracy.

Andhra Pradesh alone is home to over 50 lakh Muslims. Yet, the Telugu Desam Party Government has failed in its duty to safeguard their interests, endorsing a Bill that disregards the sanctity of Waqf properties. ...*(Interruptions)*... The true measure of democracy is the way it treats its minorities. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया, चर्चा न करें।

SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY: While reform is always welcome, but this is complete destruction of the concept of Waqf as practised in India for over a thousand years. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया, बैठे-बैठे आवाज़ न करें।

SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY: During the JPC meetings, the YSR Congress Party not only voiced our objections within the Committee but also stood in solidarity with our Muslim brothers and sisters in the State, bringing their concerns to the national forefront on behalf of the people of Andhra Pradesh irrespective of religion, race, caste and sex.

Sir, the YSR Congress Party opposes this Bill for the following reasons. First is that it is unconstitutional as it violates fundamental rights. Article 13 of the Constitution clearly states that any law inconsistent with or derogatory to fundamental rights shall be void. This Bill blatantly violates that principle. Article 14 ensures equality before the law. This Bill targets a specific religious minority, Muslims, interfering with their religious property management without imposing similar regulations on other minority religious endowments. Article 25 guarantees the right to freely profess, practice, and propagate religion. By interfering with the management of religious properties historically administered by the Muslim community, this Bill infringes upon that right.

About the change in the name of the Waqf Act, the proposed name, UMEED (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development), completely disregards the historical, cultural and religious significance of the term "Waqf". The term "Waqf" is more than a word; it is a legacy of faith, charity and community service.

My third point is about inclusion of non-Muslim members. The inclusion of non-Muslim members in Waqf Councils and Boards is not just unnecessary, it is unconstitutional and direct infringement upon the fundamental right of religious autonomy guaranteed under Articles 25 and 26 of the Indian Constitution.

Next is, weakening the Waqf Board. Regarding financial losses, the reduction of the annual contribution from 7 per cent to 5 per cent would cripple the financial stability of Waqf Boards. The deletion of Section 32(e) from the existing Act in the 2024 Bill further weakens their authority over the management and utilization of Waqf income.

Next is, arbitrary restrictions on donations. Section 3(ix) (a) imposes arbitrary conditions, stating that only those practising Islam for at least five years can dedicate property as Waqf. This is unjust. The right to donate property is a fundamental right, protected under the Transfer of Property Act and Article 300A of the Constitution.

Sir, I would like to draw the attention of the House with respect to the Telugu Desam Party's stand. The Telugu Desam Party, by supporting the Bill, has shown its true face. ...*(Interruptions)*... For TDP, it is politics over principles, coalition over country and power over promises. ...*(Interruptions)*... Today, they have lost the trust of over 50 lakh Muslims in Andhra Pradesh. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, वैसे तो पढ़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन आपको अनुमति दे दी गई है, इसलिए कृपया आप दूसरे दल के बारे में नहीं, बल्कि विधेयक के बारे में बोलिए।

श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी: ठीक है। Hon. Vice-Chairman, Sir, let me conclude with a reflection that transcends the confines of this Parliament. This Bill is not just about property; it is about people; it is about faith, history and the principles that make India a diverse, secular, and democratic nation we all cherish. I urge my esteemed colleagues to remember that democracy is not merely about voting in elections. It is about standing up when the very values, which define us, are under threat. With this, we firmly oppose the Waqf Amendment Bill, 2025. *Jai Hind*. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): श्री मुजीबुल्ला खान।

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस अमेंडमेंट बिल पर बीजू जनता दल की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ है। महोदय, मेरे नेता नवीन पटनायक जी ने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया है, और मैं इस बिल के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, वक्फ की जो जमीनें हैं, वे हमारे पूर्वज, जिनके पास ज्यादा जमीनें थीं, उन लोगों ने दान में दी थीं। उनके द्वारा जमीनों का दान किया गया था। महोदय, वह दान इस कारण से किया था कि इस जमीन पर कुछ डेवलपमेंट के काम होंगे, गरीबों के लिए काम होंगे, यहाँ कुछ हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, मदरसे बन सकते हैं, मस्जिदें बन सकती हैं या फिर जहाँ पर कब्रिस्तान की समस्या रहती है, असुविधा रहती है, वहाँ पर कब्रिस्तान बन सकते हैं। इन्हीं कारणों से ये जमीनें दान में दी गई थीं।

महोदय, मैं इस एक्ट के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक्ट के बारे में काफी माननीय सदस्य बहुत कुछ बता चुके हैं। मैं इस बात के अंदर नहीं घुसना चाहता कि कौन-से एक्ट में क्या लिखा है, लेकिन यह बताना चाहूंगा कि इस वक्फ बोर्ड को या हर राज्य में जो वक्फ बोर्ड

है, उसको सिर्फ मुसलमान, सिर्फ माइनोरिटी मुसलमान ही चलाते थे, उसका मैनेजमेंट करते थे और यह आज तक चलता आया था। हाँ, यह हो सकता है कि बहुत से राज्यों में गड़बड़ी भी हुई हो, बहुत से राज्यों में समस्या भी हुई हो, दूसरी जगह पर जमीनें भी हड़पी गई हैं - वह बात ठीक है, उसको ठीक करना जरूरी है और यह सभी का दायित्व है कि उसको ठीक किया जाए, लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जिस बात को लेकर सारे भारतवर्ष की मुस्लिम कम्युनिटी टेंस है, चिंताग्रस्त है कि इसमें गैर मुस्लिम व्यक्ति को मेम्बर के रूप में रखा जाएगा, वह क्या करेगा, कैसे करेगा? महोदय, इन सभी चीज़ों को सोचकर वे लोग काफी हद तक टेंस हैं, चिंतित हैं और इसी कारण बहुत-सी जगहों पर स्ट्राइक्स हो रही हैं, धरने दिए जा रहे हैं। वे लोग बोल रहे हैं कि हमारे शरीयत के अंदर, हमारी कौम के अंदर सरकार बेकार में जबर्दस्ती क्यों घुस रही है, क्यों इंटरफेयर कर रही है? यह जो चीज़ है, यह सभी के दिमाग में है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम यह बात जानते हैं कि 2014 में, जब मोदी जी की सरकार बनी थी, तो उनका स्लोगन था, 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास' उसी विश्वास से वे आज देश के प्रधान मंत्री हैं, तो फिर आज मुसलमानों के अंदर अविश्वास का वातावरण क्यों है? उनके दिल में यह डर क्यों है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है? महोदय, उनके मन से इस चीज़ को हटाना बहुत जरूरी है। यह सरकार का दायित्व है कि उसे मुसलमानों के दिल से इस डर को हटाना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि हम 'सबका साथ-सबका विकास' जरूर करेंगे, आप लोग भी इसी देश के नागरिक हैं। यह देश, जिसका संविधान बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था कि किसी के धर्म में, किसी अन्य धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उस बात को अपनाना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटे से ओडिशा राज्य से आता हूँ। मेरे गाँव में सिर्फ हमारा परिवार ही मुस्लिम परिवार है। वहाँ पर बाकी सभी लोग हिंदू धर्म के रहते हैं। हम लोग इतने सालों से वहाँ पर खुशहाल जिंदगी बिताकर जी रहे हैं। जब गाँव की माँ ठकुराइन की पूजा होती है, उसकी यात्रा निकलती है और जब हमारे परिवार से कोई एक आदमी वहाँ पर खड़ा रहता है तब वह यात्रा निकलती है। इसका मतलब है कि वहाँ भाईचारा है। इसका मतलब है कि हम सब लोग एक हैं, हमारे अंदर भेदभाव बिल्कुल नहीं है और न ही भेदभाव रखना चाहिए। हमारा राज्य प्रभु जगन्नाथ का राज्य है। सारे ओडिशा के लोग प्रभु जगन्नाथ की भक्ति करते हैं। प्रभु जगन्नाथ की भक्ति न केवल हिंदू करते हैं, बल्कि सभी धर्मों के लोग करते हैं। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्त मुसलमान थे और उनका नाम 'सालबेग' थे। वे प्रभु जगन्नाथ इतनी भक्ति करते थे कि वे सबसे पहले स्थान पर आते हैं और उनके बाद बाकी भक्त आते हैं। प्रभु जगन्नाथ भी उन्हें इतना चाहते थे और इतना प्यार करते थे कि जब साल में एक बार रथयात्रा निकलती है — आप जानते हैं कि पुरी की रथ यात्रा विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है और वहाँ लाखों लोगों का समावेश होता है - जब रथयात्रा वहाँ से निकलती है, तो रास्ते में सालबेग की मजार वहीं कुछ दूर जाने के बाद आती है। उस मजार के पास रथ यात्रा रुकती है, यानि प्रभु जगन्नाथ रुकते हैं। वे अपने भक्त से मिलने के लिए रुकते हैं। उसके बाद उनकी मजार में जाकर भोग चढ़ाया जाता है और फिर रथ आगे बढ़ता है। यह हमारा भाईचारा है, हमारे ओडिशा का भाईचारा है। ऐसा पूरे भारतवर्ष में क्यों नहीं हो सकता है? हमारे देश में भाईचारा क्यों नहीं हो

सकता है? मुसलमानों के दिल में डर क्यों है? आप लोग इस डर को हटाने का काम क्यों नहीं करते हैं? हमारे माइनोंरिटी अफेयर्स के मंत्री यहां बैठे हैं। मैं उनसे भी यह कहना चाहूंगा कि जो डर मुसलमानों के दिल में है, उसे हटाना चाहिए। हम लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। यह अच्छी बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सबको देखना और सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाना सरकार का दायित्व है। यह बात क्यों दिल में आती है, इसका कुछ कारण है। हमारे धर्म में पांच वक्त की नमाज व रोजा आदि को हम मानते हैं और करते हैं। यहां भी नमाज का समय होता है, तो हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं। महोदय, नमाज पढ़ने से रोका नहीं जाना चाहिए। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि यह चीज़ न होने दें। लोग क्यों मना करेंगे? यदि कोई नमाज पढ़ता है, तो उसे लात मारी जाती है। हम यह वीडियो और social media में देखते हैं। यह गलत चीज़ है। यह अच्छी चीज़ नहीं है। यह बहुत गलत है। यदि दूसरे धर्म या दूसरे वर्ग का रास्ते में procession जाता है, तो मना नहीं किया जाता। आप सारे भारतवर्ष में देखिए। पूजा करने की जगह हर जगह नहीं है, इसीलिए रोड में ही पूजा की जाती है। चाहे वह दुर्गा मां की पूजा हो या महाराष्ट्र में गणेशजी की पूजा हो, वह रोड में ही की जाती है, क्योंकि शहर में जगह कहीं नहीं मिलती। वह रोड के ऊपर ही ब्लॉक करके की जाती है, तो किसी को मना नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने दो रक़ात नमाज पढ़ ली, तो उसे लात भी नहीं मारनी चाहिए। यह चीज़ सरकार को देखनी बहुत जरूरी है। यह सभी चीज़ होने से सबका साथ सबका विकास का जो नारा हमारे प्रधान मंत्री जी ने दिया है, वह आगे बढ़ेगा।

महोदय, खोरदा जिले में माणिकगड के नाम से एक जगह है, जहां भी रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा के समय छेरा पहरा किया जाता है, अर्थात् वहां झाड़ू मारा जाता है, सफाई की जाती है। वहां के जो राजा हैं, गजपति महाराज, वे छेरा पहरा करके साफ करते हैं। माणिकगड में एक मुसलमान छेरा पहरा करता है और उसके बाद रथ यात्रा शुरू होती है।

महोदय, आज हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत सारे ईसाई धर्म गुरुओं ने लिख कर दिया है कि हम वक्फ बिल का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि केरल में एक इश्यू हुआ था। कुछ जगहों पर कुछ लोग बस गए हैं, जो वक्फ बोर्ड की जगह है। यह प्रॉब्लम है। उसे सॉल्व करने के लिए उन सभी ने लिखकर दिया है कि वे वक्फ बिल का समर्थन करते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ यदि किसी धर्म के लोगों ने लिख कर दिया है और वे इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, तो उसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन वही ईसाई धर्म के लोग, जब किसी धर्म में शामिल होने जाते हैं, तो उस पर आपत्ति क्यों की जाती है? हर इंसान को स्वाधीनता है। कोई भी इंसान किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। यह हमारे संविधान में है। उसको अटकाने की कोई जरूरत ही नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज इस बिल में अलग-अलग बहुत सी जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जिनके बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने यहाँ पर डिस्कशन किया और बताया कि कौन-कौन सी समस्या है। इसमें एक क्लॉज़ ऐसा भी है कि जो दंड होना चाहिए, अगर वह हट गया, तो उसको सिर्फ 50 हजार रुपए तक जुर्माना होगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जो जगह दबा कर बैठे हैं, जमीन दबा कर बैठे हैं। वे लोग 50 हजार रुपए देकर छूट जाएँगे। सच्वर कमिटी ने जब रिपोर्ट दी, तो उसकी रिपोर्ट में यह कहा गया कि बहुत से लोगों के पास illegal जमीन है और सबसे ज्यादा जमीन सरकार के पास है। सर, अगर सरकार के पास इतनी जमीन है, अभी अगर यह बिल पास हो गया, वहाँ से हो गया, यहाँ भी आपकी majority है, यह पास हो सकता है, अगर सरकार के

पास इतनी जमीन है, तो फिर यह जमीन तो सरकार छोड़ेगी नहीं, यह जमीन तो वह ले लेगी। इसलिए वक्फ की जो जमीन है, यह सरकार के पास चली जाएगी। माननीय मंत्री जी लाखों एकड़ का हिसाब दे रहे थे कि उसमें 12,000 करोड़ तक इनकम हो सकती थी, लेकिन 160 या 170 करोड़ हुई है। सरकारों के पास जो जमीनें हैं, अगर ये जमीनें सरकार के पास रहेंगी, सरकार ने अगर नहीं दीं, तो वे जितनी एकड़ जमीन बोल रहे हैं, वह तो कमेगी। इसके कम होने से उसकी इनकम भी कम होगी। माननीय मंत्री जी उसको किस तरह से handle करेंगे, उसके बारे में आपको हमारे कौम के लोगों को और सदन को भी जानकारी देना बहुत जरूरी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी एक बात को लेकर सब बहुत चिंतित हैं कि एक मुसलमान को उसकी प्रैक्टिस के बारे में बताना होगा कि 5 साल तक उसने इस्लाम धर्म का ठीक से पालन किया है कि नहीं, इसके लिए उसको proof देने का प्रावधान रखा गया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, वह proof दे, तो कैसे दे? वह किसको बताए कि मैं इस्लाम धर्म का ठीक से पालन करता हूँ? वह टोपी पहनेगा या दाढ़ी रखेगा या क्या उसका criteria होगा? दाढ़ी, टोपी तो मैं नहीं रख सकता। मैं इस्लाम धर्म का पक्का पालन करने वाला हूँ। मैं न पाँच वक्त का नमाज छोड़ता हूँ, न रोजा छोड़ता हूँ, मैं हर वक्त इसका पालन करता हूँ। लेकिन इस चीज को, जो कि five years का प्रावधान दिया गया है एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जानने के लिए, इस प्रावधान को हटाना चाहिए। कम से कम इस चीज को हटा देना चाहिए। माननीय मंत्री यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कम से कम इस चीज को हटा देना चाहिए कि वह अपने आप को कैसे prove करे कि वह इस्लाम धर्म में 5 साल से है, 5 साल से उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। इस चीज को हटा देना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूँगा, माननीय मंत्री जी आज जो बात बोले कि इस बिल के पास होने से, इस बिल की वजह से गरीब मुसलमानों की बहुत मदद होगी। अगर सचमुच ऐसा हुआ, तो जरूर इस देश के मुसलमान भी आपका यकीन करेंगे। वे उम्मीद करेंगे, आपको एक चीज की गारंटी देनी पड़ेगी या सदन को आपको assurance देना पड़ेगा कि इस बिल के पास होने के बाद ये जो जमीनें हैं, ये जमीनें किसी और दूसरे को नहीं दी जाएँगी, वक्फ की जमीन वक्फ के under में ही रहेगी, मुसलमान के under में रहेगी, ये जमीनें और किसी को hand over नहीं हो सकेंगी। मंत्री जी, आप यह क्लॉज रखें, यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): धन्यवाद। प्रो. मनोज कुमार झा।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): शुक्रिया, माननीय वाइस-चेयरमैन साहब। सुकून भी है, अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और आप वहाँ हैं, तो आपके पास आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र भी रहता है। यह मैंने महसूस किया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक पर अपनी आपत्तियाँ और अपनी आलोचना माननीय मंत्री जी के समक्ष रखूँगा। मैं बिल के मसौदे पर बिंदुवार आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं चंद बातें रखना चाहता हूँ। माननीय वाइस-चेयरमैन साहब, वह यह है, क्योंकि संविधान की इस किताब में किसी भी आर्टिकल को जब हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 26 क्या कहता है, तो उसकी इबारत पढ़ने से पूर्व Constituent

Assembly की डिबेट को देखना चाहिए कि उस आर्टिकल के बनने में किस तरह के विचार आए थे। संभवतः माननीय मंत्री जी अगर आर्टिकल 26 ए, बी, सी की पूरी प्रस्थापना को, उस डिबेट को पढ़ते, तो शायद उनका काम एक non-statutory body से भी चल जाता, बशर्ते इसके कि इस तरह की चीजें लाएँ।

आज आपके समक्ष जब मैं बोल रहा हूँ, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम्स में इलाजरत हैं, लेकिन वे गौर से देख रहे होंगे। कल उनके एक वीडियो को कट करके खूब चलाया गया। सर, पूरा संवाद तो देखिए। अगर उन्हीं का चलाना है, तो उनकी तो न्याय, सामाजिक सौहार्द के बारे में इसी पार्लियामेंट में बहुत सारी स्पीचेज़ हैं, उनको सुना जाए। बहरहाल सर, मैं आर्टिकल के बनने की बात क्यों कह रहा था? सर, होता यूँ है कि यूनिफार्म सिविल कोड पर बहुत चर्चा हुई - आर्टिकल 44, लेकिन कहा कि तकसीम के बाद, पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद देश का जो माहौल था, समुदायों के बीच में trust deficit था, तो उसको shelve किया गया Directive Principles में रख दिया गया, जैसे संपत्ति के बंटवारे की बात, आय के असमान वितरण की बात आई। फिर Directive Principles में 38 (2) और 39 का Clause 'C' आया।

मैं जानता हूँ कि आज -

दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ,
हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ।

माननीय वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से कोई बात तल्खी में नहीं बोलूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): किसी को आरी लेकर सदन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

प्रो. मनोज कुमार झा: बिल्कुल, सर। आप जिंदाबाद रहें। सर, एक चीज देश के माहौल की बात की है।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): यहाँ गर्दन लेकर आ सकते हैं, आरी लेकर नहीं आ सकते।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, आज देश का माहौल कैसा है, इस पर एक नजर डाली जाए। गाहे-बगाहे economic boycott की बात होती है, गाहे-बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूँढी जाती हैं, गाहे-बगाहे Places of Worship Act पर सवाल उठते हैं। सर, इस तरह के माहौल में आपके बिल का content और आपके बिल का intent दोनों सवालिया निशान खड़े करते हैं। यह महत्वपूर्ण है, चिंता इस बात की नहीं है। आप भी चुन कर आए हैं, हम भी चुन कर आए हैं, लेकिन चुन कर आने के बाद, बहुमत wisdom की गारंटी नहीं होता है। आप लोग अक्सर यह सोचते हैं कि बहुत बड़ी बहुमत है, तो सारी wisdom आप ही के पास है।

महोदय, खान-पान, वस्त्र, आभूषण, भाषा, इबादत - इतनी तक़ारें, उसमें क्या होता है कि एक समुदाय को ऐसा लग रहा है - सर, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अभी मुंबई गया था। मेरी भतीजी ने मुझसे पूछा - "काका मार्जिन क्या होता है?" तो मैंने उसको

बताया कि बचपन से ही हम लोगों को कॉपी में मार्जिन छोड़ने के लिए बताया जाता है, जिसको हाशिया कहते हैं। सर, हमें लोगों को हाशिये पर छोड़ने की आदत बन गई है। हम लगातार समुदायों को हाशिये पर छोड़ रहे हैं। महोदय, मैं यह कहूंगा प्रेमचंद ने एक कहानी 'ईदगाह' लिखी थी। हमारे सारे साथियों ने वह पढ़ी होगी। 'ईदगाह' में हमिद ने अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा। क्या हममें से कोई बता सकता है कि दुकानदार हरेंद्र था या शहाबुद्दीन था? कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज क्या चल रहा है - हमिद खरीदेगा, तो वहीं से खरीदेगा, हरिंदर खरीदेगा, तो वह हरखू के पास जाएगा। सर, ये चीजें हैं। मैं तो यह कहूंगा कि कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसी बावस्ता होती हैं कि उन्हें अलग-अलग देखने को जी नहीं चाहता। उन्हें अलग-अलग ...**(व्यवधान)**... Please, I request you ...**(Interruptions)**.. मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि कुछ चीजें एक-दूसरे से ऐसी बावस्ता होती हैं कि उन्हें अलग-अलग देखने को जी नहीं चाहता। सर, इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है और ईसाइयों को तथा सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए। सर, एक लखनऊ के मशहूर शायर थे, जो आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए। फिर नेहरू से दोस्ती थी, तो वापस आए, तब लोगों ने पूछा कि आप वापस क्यों आ गए, तो उन्होंने बोला - यार, वहाँ बहुत मुसलमान थे, मैं यहाँ लखनऊ का हूँ, मिला-जुला देखने की आदत थी। ...**(व्यवधान)**... यह मैं बता रहा हूँ। सर, मैं यह इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें महत्वपूर्ण हैं। सर, आज सुबह से कई बार lighter vein में कहा गया - सौगात और तोहफा। लोकतंत्र में सौगात और तोहफा नहीं हुआ करता। हम राजतंत्र में नहीं हैं। लोकतंत्र में एक-एक पाई State Exchequer की है और एक-एक पाई पर, एक-एक नागरिक का हक है और उस नागरिक का भी हक है, जो हाशिए पर है और उस नागरिक का भी हक है, जिसने जानवरों को बंद करके एक प्राइवेट जू खोल लिया है। हमें यह समझना होगा। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कल मैं माननीय गृह मंत्री जी को सुन रहा था। माननीय गृह मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से, जो वक्फ है, उसका origin बता रहे थे। हम लोगों की तैयारी का सोर्स शायद कुछ तो समान है। वक्फ अरबी शब्द है, जो वक्फा से निकला है। इसको मान लिया और इसका मतलब कोई पवित्र काम हो, दान हो, धार्मिक काम हो, उसमें इसका इस्तेमाल हो। अलग-अलग लोग इसका pronunciation अलग-अलग करते हैं। कोई वक्फ बोलता है, कोई वक्फ बोलता है। ये इस देश की अलग-अलग धाराएँ हैं। काबा की मस्जिद 622 में बनी Prophet Muhammad के टाइम, 'Peace be upon him'. वह पहली इस्लामिक वक्फ थी। एक चीज हम सबको याद रखनी चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म के मानने वाले हों, राष्ट्र की अवधारणा से पूर्व नदियाँ नहीं बँटी थीं, संस्थाएँ ऐसे नहीं बँटी थीं। वे बनते गए और उनमें सुधार भी हुआ। आप पहली बार सुधार नहीं कर रहे हैं। इसमें सुधार आगे भी होगा। मैंने कहा न कि दिक्कत होती है, जब आपका intent और आपका content, दोनों मैच करता है, तो डर लगता है, क्योंकि उस समुदाय के बारे में मैं एक बात जरूर कहूँगा, क्योंकि बिल के कुछ बिंदुओं पर आऊँ, उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को invoke किया गया है और मैं चाहूँगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो एक लाइन कही थी, उसको बार-बार पढ़िए - "Democracy is incompatible and inconsistent with isolation and excluding minority communities." You have to look at it hon. Minister Sir, from the angle of isolation and exclusion. ये दोनों चीजें बहुतायत में हैं और अलग-अलग जगहों पर हैं।

सर, जमीन के साथ किसी व्यक्ति और किसी कौम का क्या रिश्ता होता है, इसको भी समझने की जरूरत है। सच कहूँ, तो कई बार एहसास यह भी होता है कि with this Bill, is it a legal cover for bulldozer? That scares me as a citizen of this country. ... (Interruptions)... कमाल की बात है। मुसलमान शहरों में रहे, तो घेड़ो, गांव में गया, तो घुसपैठिया और उनकी संस्थाओं के बारे में जिक्र हो, तो कहा जाए कि उसमें तो opaque नहीं है, suspect है। Conspiracy की tone में बात होती है। सर, यह उचित नहीं है। आज ही आप ही के सदस्य, राधा मोहन जी कह रहे थे कि 20 करोड़ मुसलमान हैं। सर, अगर एक घर में एक सदस्य मुसलमान है, तो क्या आप उसको alienate होने दीजिएगा या उसको जोड़ के रखिएगा? उसकी शिकायतों को और उनसे जो शिकायतें हैं, वे कैसे दूर होंगी? वे बैठ करके दूर होंगी, किसी को 'dog whistle politics' का उपकरण बना करके दूर नहीं होंगी। अगर आप अलग करना चाहोगे, तो वह उचित नहीं है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों ने कहा, 'non-Muslims' को....., मैं तो बड़ी तारीफ करूँगा, पक्ष में खड़ा हो जाऊँगा, अगर इस देश का मिजाज इतना सेकुलर कर दीजिए कि हर धर्म की संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोग हों। इस्लामिक कम्युनिटी में डालिए, हिंदू में डालिए, सिखों में डालिए, क्रिश्चियंस में डालिए, तब न बात होगी या सिर्फ तय कर लिया कि सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर होगा! यह उचित नहीं है, माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय। इसमें क्या है? मैं दूसरी चीज कहूँगा कि संपत्ति वक्फ की है, अतिक्रमण के पंजीकरण के संदर्भ में। संजय जी कह चुके हैं। आपका खुद का affidavit है कि कितना digitalize हो गया है, कितना encroachment हुआ। मैं एक छोटी-सी बात कहूँगा कि आपने एक बहुत बेहतर चीज कही थी और मैंने नोट किया था। सर, सॉरी।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): ढूँढ़ने में जो समय लगेगा, आपको उतना अतिरिक्त समय मिलेगा।

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Thank you, Sir.

प्रो. मनोज कुमार झा: थैंक यू, सर। ... (व्यवधान)... जयराम जी, प्लीज। इन्होंने कहा, अब देखिए कि 30 बरस में सिर्फ 8 ... (व्यवधान)... सर, मैं इस bonhomie को तो धन्यवाद कहता हूँ, लेकिन इससे मुझ जैसे सदस्य को अपनी बात रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी अपने प्यार के लिए, बहुत जगह है इजहार के लिए! मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि 30 बरस में सिर्फ 8 केसेज आए। सर, हम क्या कर रहे हैं? अब 'Waqf by User', यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आप मुझे देखिए, मैं भी आप ही को देखूँगा। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। कोई मस्जिद कब से यूज में है, उसके कागजात ढूँढ़ोगे? मैं अभी अपने बिहार का अनुभव बताता हूँ। हम बहुत छोटी जोत के किसान परिवार से आते थे, दादा के टाइम से। अभी वहाँ सर्वे हो रहा है, कागज हमें अपने घर में नहीं मिल रहा है और अब बिहार की सरकार ने सर्वे ही बंद कर दिया। मैं यह कह रहा हूँ कि पूरे समुदाय को कठघरे में खड़ा करने के लिए आप यूँ ही एक आम अदना मुसलमान शहरी से यह मांगेंगे, जबकि वह परेशान है!

पुरानी संपत्ति है, lack of technical expertise है, वह कहां से लाए? सब विवाद में आ जाएंगे, हमारे समक्ष लिटिगेशन का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा। आप डीएम को बहुत काम पकड़ाते हो। हम लोकल लेवल पर कहते हैं, बेचारा डीएम ट्रैक्टर बनकर रह गया है। आपकी जितनी योजनाएं हैं, चाहे वे जयंत भाई के विभाग की योजनाएं हों या किसी के विभाग की योजनाएं हों, उनका नोडल ऑफिसर डीएम ही होता है। हम यह मानकर भी चलते हैं कि वह डीएम है, तो ज्ञान का सारा भंडार भी उसके पास है। डीएम को एक-एक महकमे की मीटिंग का टाइम नहीं मिलता है। डीएम क्या-क्या करेगा?

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें वीकर सेक्शंस की बड़ी चर्चा की गई है। अपने हिंदू समाज में भी बहुत बड़े पसमांदा हैं। मैं जब-जब आप लोगों के पास जीरो ऑवर के माध्यम से या किसी अन्य उपकरण के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि साहब, कास्ट सेंसस करवा दो, तो आप चुप हो जाते हैं। अभी संजय जी ने कहा कि भगवान ने जब ऊंच-नीच की, जाति की व्यवस्था नहीं बनाई, तो भगवान के समक्ष, जो इबादतगाह है, जो मंदिर है, वहां क्यों यह व्यवस्था बनी रहे? क्यों नहीं आरक्षण हो? क्यों नहीं, हम सुनिश्चित करें कि पूजा-पद्धति किसी एक जाति विशेष के हाथ में न हो, हर कोई उसमें भागीदारी कर सके? तभी हम राष्ट्र की जो संकल्पना थी, उसको साकार कर पाएंगे। अब कंसल्टेशन देखिए। रिजिजु जी बहुत इनोसेंट चरित्र के हैं, इनका बहुत इनोसेंट चेहरा भी है। इन्होंने कंसल्टेशन के काफी आंकड़े बता दिए। भूपेन्द्र जी, आप उठते हैं तो लगता है कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लीजिएगा। सर, There is absolute lack of consultation. Consultation is not about calling so many meetings; consultation is about listening to them also. सुना या सुना दिया? आप सुनते नहीं हो, सुनाते हो। इसको संवाद नहीं कहते हैं। संवाद का मतलब होता है, दोनों चीजें।

सर, मैं एक और चीज कहूंगा और वहीं अपनी बात खत्म करूंगा। आप मुस्लिम्स की संस्थागत गैर-मौजूदगी इश्योर कर रहे हैं। मैं आज इतिहास के इस कालखंड में हूँ। यहां माननीय लीडर ऑफ द हाउस हैं और हमारे अन्य साथी हैं। यहां मेरी कही गई बात भी दो मिनट के बाद हिस्ट्री हो जाएगी, इतिहास बन जाएगी। मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, not to hurry up. इस देश के मुसलमान का इस मिट्टी पर कर्ज है और इस मिट्टी का मुसलमान पर कर्ज है। इस कर्ज के रिश्ते को व्यापारी की नजर से मत देखिए, तिजारत की नजर से मत देखिए, क्योंकि अगर आपकी उस नजर में बदलाव नहीं आएगा, तो हमारा सब कुछ बिखरकर रह जाएगा।

सर, मैं आखिरी एक मिनट लूंगा। मैं सोचकर आया था कि क्या कहूँ और इसीलिए मैंने ईदगाह का जिक्र किया। मैं "नूर मियां का सुरमा" का भी जिक्र कर सकता था, जिसे विद्रोही जी ने लिखा और उनसे पहले केदारनाथ सिंह जी ने लिखा। अदम गोंडवी, गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश का आभार प्रकट करते हुए मैं एक-दो लाइन पढ़कर अपनी बात खत्म करूंगा।

“हिंदू या मुस्लिम के अहसासात को मत छेड़िए,
अपनी कुरसी के लिए जज्बात को मत छेड़िए।
हममें कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है,
दफ़न है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए।
गलतियां बाबर की थीं; जुम्न का घर फिर क्यों जले,

ऐसे नाज़ुक वक़्त में हालात को मत छोड़िए।
 हैं कहां हिटलर, हलाकू, जार या चंगोज़ खां,
 मिट गए सब, क्रौम की औकात को मत छोड़िए।
 छोड़िए इक जंग, मिल-जुल कर गरीबी के खिलाफ़,
 दोस्त मेरे मजहबी नग़मात को मत छोड़िए।”

सर, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि इसको फिर से consultation के लिए भेजिए और executive के decision को कमतर कीजिए। Executive के decision को, influence को कमतर कीजिए और पूरी दुनिया नॉमिनेटेड से इलेक्टेड पर जा रही है आप इलेक्टेड से नॉमिनेटेड पर जा रहे हैं। नॉमिनेटेड लोग बड़े खतरनाक होते हैं, आप ध्यान रखना। जय-हिंद!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Now, Dr. John Brittas. Will you speak in Malayalam?

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I will speak in English and Malayalam both. I need your benevolence. You showed benevolence to others. Please show to me also. There was a political party. In its 2014 election manifesto, it said, “We are pledged to prevention of encroachment of Waqf properties, and we will empower Waqf Boards.” Who said this? Kiren Rijiju’s party said it. Their election manifesto stated this in 2014. They had supported all the Amendments of Waqf Act. All of a sudden, they have done a somersault. I will tell you how this Bill affects the basic tenets of the Indian Constitution, whether it is secularism, whether it is democracy, or whether it is equality. In all of these tenets, there is a cardinal violation that is happening. That is why, we are staunchly opposing this piece of legislation. They have already discriminated amongst the people, segregated people from people. We know what they intend to do through this Bill. They are segregating gods from gods. They are segregating Hindu god from Allah. This Act of limitation is not applicable to Devasthanams; not applicable to a Hindu god. They want to make it applicable to Allah. How can they discriminate between gods? Hitherto, they were discriminating amongst the people. Now, they have started discrimination amongst the gods also. Sir, I will come to it. Just two days before the assassination of Mahatma Gandhi, he visited Qutubuddin Bakhtiyar Kaki Dargah in Mehrauli. That was the message he wanted to give to the nation. And, the founders of this Constitution, the founders of this country, wanted this value to be embraced. What did Sardar Patel write? See, these people are spreading poison. He wrote, “To root out the forces of hate and violence from this country, I have banned an organisation.” I do not want to mention the name of that organisation. Who said it? Sardar Patel said it. Who said that

Muslims, Christians and communists are internal enemies of this country? Who said it? All that is happening has been extrapolated from this so-called dictum that these three people, that is, Christians, Muslims and communists, are internal threats.

A lot has been said about bulldozers. This is an extension of bulldozer, digging and *danga*. Whatever is happening in this country is being extended to a piece of legislation. During Holi, you will agree with me, the mosques in U.P. were covered. Is it not a matter of shame for this country? Please come to Kerala. They talked about Kerala. Rijijuji talk so much about Kerala. Please come to Kerala. During the recent festival, Attukal Pongala, the devotees of Islam, devotees of Christianity, they lined up and served refreshments for the Hindu pilgrims. That is the culture of Kerala. What is the biggest aberration of this Bill? Everybody has said about it. I won't say much on this. The Waqf Council or the Waqf Board, you take anything, at a stroke, they have made it a non-Muslim administrative body. If you take 23 Members of the Waqf Council, even 13 Members can be non-Muslims. I will prove this. Let me tell you, Mr. Rijiju, what the intention was. Is your intention to strengthen the Waqf Board? It is a statutory body. Even the CAG audit is applicable to it. Some of the *Muttawallis* were indulging in unfair practices. Now, even the power to control unfair practices of these *Muttawallis*, you have actually neutralized. You should have prevented alienation of Waqf properties. Now, you are trying to facilitate alienation of the Waqf properties. That is the essence of this Bill.

There was a Supreme Court verdict on Padmanabhaswamy Temple. On the question of one nominee of the Government, for abundant caution, the Supreme Court said, if the particular officer is not a Hindu, then, the junior has to be picked up. The Supreme Court was very clear that the Board of a particular religion needs to be protected and only the Members of that religion need to govern that Board. These people, with this piece of legislation, want to alienate Muslims from Waqf Boards. They are saying that Waqf Boards have so many properties. No, Sir. Rijiju ji, you do not know even A,B,C,D of Waqf. I am telling you. Waqf Board is just a custodian. Does it mean that just because the Government of India governs the country, all the land of this country belongs to the Government of India? No! Unless you take over, the land does not belong to you. Similarly, it is the case with the Waqf Board also. You do not know the elementary vertical of the Waqf Board. Let me come to it. Five years practising Muslim! These people are resorting to *ghar-vapsi*. Does it mean that they will not accept somebody who has come back to Hindu religion? Will they wait five years to give 916 branding for these people who have come after *ghar-vapsi*. Is this your style? They want to say that somebody needs to demonstrate that somebody is a Muslim. Sir, a lot has been said about it.

Mr. Vice-Chairman, Sir, since these people are imposing three-language formula, I will speak a bit of Malayalam. Sir, you are very kind. I always compliment you because you have been very kind to Members.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): इस बात पर आपको दो मिनट का समय और मिलेगा।

DR. JOHN BRITTAS: & “Sir, you heard the discussion that took place here. There are people here, who shed crocodile tears in the name of Christians. Every day, Christians are being attacked in North India. Even today, attacks against Christians were carried out in Jabalpur. 700 incidents of attacks against Christians took place last year. More than 200 churches were burnt in Manipur. During the past two days, they are bandying the words Malayali, Christianity and Munamb. Stan Swami, can you forget his name? He was suffering from Parkinsons disease and cried out for a drop of water. You sent him behind the bars and killed him. Can you forget Graham Staines? He was burnt alive along with his children. The attacks are being carried out even now. Sir, there is a character in the Bible. He betrayed Jesus Christ for 30 silver coins. There are characters sitting here, who belong to the same category. Yesterday, someone talked about Christians and the Cross.

Sir, a few days back we talked about a film. What was that film? Empuraan. There is a character in this Empuraan film, his name is Munna. You can see that Munna in this House. You can see him here. You can see a Munna on these BJP benches. This Munna, will be spotted out. Malayalis will identify him. Kerala will find him out. That is the history of Kerala. We have prevented this poison from spreading in Kerala. One person won the election, Lok Sabha elections. Just as we closed your account in the 'Nemam constituency', we will soon close the account you had opened, in Kerala in the last election. Malayalis had made a mistake 'by electing a BJP candidate'. That mistake will soon be rectified. Rest assured about that. Sir, one thing I want to tell you. Not a single person of Munamb will lose his house. This is the declaration of the Left Government. This is our promise. Left front has the ability, sincerity and the will to provide 5 lakh houses to them. We take this responsibility of protecting the people of Munamb. We will do that. We don't need your charity to do that. Just as you had covered up Masjids, you don't have to cover up any place of worship in Kerala. Not a single person will have to live in fear. Everyone can live in an environment of brotherhood. We will create such an atmosphere. It already exists in

& English translation of the original speech delivered in Malayalam.

Kerala. We know how to safeguard it. When you are shedding crocodile tears in the name of Christians, the Malayalis have the wisdom to recognise your pretentions.

When you talk about this Bill, you keep saying Munamb, Munamb. You people had driven out thousands of people from North India. 50 thousand people are living like refugees in Manipur. How many people have fled from this country? You have nothing to say about them? How many churches were destroyed by you? You are truly the Munna who appears in the film Empuraan. You are the Munna. Malayalis have the intelligence to recognise such Munnas. So I am making a request to you. If they have belief, if they have trust in the Indian Constitution, they should forthwith withdraw this piece of legislation. If they want communal harmony, if they consider people to be equal, if they consider the Gods to be equal, they should withdraw this piece of legislation.”

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): डा. जॉन ब्रिट्टास जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अभी नेशन की जो बात कही है, मैं उस पर आपको बताना चाहता हूँ कि कालडि के शंकराचार्य जी ने जो नेशन बनाया है, हम उसी नेशन को मान रहे हैं।

DR. JOHN BRITTAS: Thank you very much, Sir. I am so grateful to you. Let me just tell you one thing. The people of Kerala listen to you and we will always respect you for your benevolence. Thank you very much, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।...(व्यवधान)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SURESH GOPI): Sir, there was an indirect reference to... ...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।...(व्यवधान).... No, no. Not allowed. Please, sit down. ...(Interruptions)... I am going to allow. Please, sit down.

SHRI SURESH GOPI: Dr. Brittas, ...(Interruptions)... I am going to talk in Malayalam, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Yes.

SHRI SURESH GOPI: I did the honours yesterday in the other House in English. Now, he needs to be reminded in the form of being taught some lessons. He was talking about Empuraan, a cinema, which was also raised yesterday. Does he dare to have a re-release of 51 cuts of TP Chandrasekharan? ...*(Interruptions)*... Left, right, left...
...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down.
...*(Interruptions)*... I will not allow you. Listen to him. ...*(Interruptions)*...

SHRI SURESH GOPI: & “Through you, Sir, I want to ask Dr. Brittas or his Kerala channel, or the Chairman of his Kerala channel, who is a leading actor in the Malayalam film industry. I do not wish to take his name because he is a noble soul. Do they have the guts? Does the Chief Minister of Kerala have the guts to have
...*(Interruptions)*... What is wrong? ...*(Interruptions)*... What is wrong with the language?” ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Let him complete.

SHRI SURESH GOPI: & “Sir, they should have the guts to let these two films be screened again, permitted to be screened again. Then they can start yelling for Empuraan. One more matter of fact, which is the only truth I have, to let the Indian citizens know.” There was no Censor pressure on the producers of Empuraan. I was the first person to call the producers and ask them to delete my name in the form of a credit card towards the beginning of film. This is the truth. ...*(Interruptions)*... Sir, I need your protection.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): समाप्त करें। ...*(ब्यवधान)*...

SHRI SURESH GOPI: Sir, I need your protection. ...*(Interruptions)*... Undisturbed. This is the truth. I am ready to face any punishment if this is found false.
...*(Interruptions)*... I am saying it on record in this Upper House. ...*(Interruptions)*... I know the responsibility. ...*(Interruptions)*... It was the decision of the producers and the lead actor of the film, with the permission of the Director of the film, to remove 17 portions from that film. It was their decision. ...*(Interruptions)*...

& English translation of the original speech delivered in Malayalam.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please.

SHRI SURESH GOPI: What is the circus going on in the name of politics in the whole of the State defaming my political party? ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): समाप्त करें।

SHRI SURESH GOPI: Coming back to Munambam...*(Interruptions)*... I will not yield. ...*(Interruptions)*... I will not yield.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): समाप्त करें। ...*(व्यवधान)*... मैं आपको अवसर दूंगा। Please sit down. ...*(Interruptions)*... I will give you chance. ...*(Interruptions)*... Please sit down. I will give you a chance.

SHRI SURESH GOPI: Sir, through you, I will tell Dr. John Brittas, with due respect that & “It is not just your (CPM's) political limbs that have received a hurt. Several other interests have been hurt. In days to come, you are going to feel the hurt again. You will get further blows in the days to come. This political party has butchered about 800 people. It is the politics of murder.” ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI SURESH GOPI: Sir, please give me a little more time. & “600 families have been deprived. You have grabbed them. What is that promise which a religious leader of a prominent community had given to the people of Munambam? What did he tell them after going there? In the name of justice, CNR, a Commission was formed. High Court dismantled it and threw it into the drains. The narrative that you have built up is going to be buried in the depths of the Arabian Ocean. The people of Kerala will trample it down so that it will never resurface again and there is not going to be any difference among the Hindus, the Christians or the Muslims when it comes to carrying out this act. It will be trampled down. Thank you very much, Sir.

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, a point of order. ...*(Interruptions)*...

& English translation of the original speech delivered in Malayalam.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): What is your point of order? ...*(Interruptions)*... I have allowed him. ...*(Interruptions)*... No point of order on a point of order. Please sit down.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, this is again under Rule 240.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please listen.

SHRI KIREN RIJJU: Sir, why did he unnecessarily refer to his name? ...*(Interruptions)*... He had to stand up because he took his name. ...*(Interruptions)*... We will listen to you. First you listen to me. सर, जॉन ब्रिटास जी ने इनका नाम लिया और कहा कि अगली बार इनको चुनाव नहीं जीतने देंगे। ...*(व्यवधान)*... ये मंत्री हैं। मंत्री का डिबेट के समय हस्तक्षेप करने का अधिकार चेयर की परमिशन से होता है। ...*(व्यवधान)*... आपकी परमिशन से उन्होंने बोला है। उन्होंने अपने आप उठकर नहीं बोला है। ...*(व्यवधान)*... अगर जॉन ब्रिटास इनका नाम नहीं लेते, जॉन ब्रिटास यह नहीं कहते कि इनको अगली बार चुनाव में हरा देंगे या ये अगली बार हार जाएंगे, अगर वे ये सब टिप्पणी नहीं करते, तो ये मंत्री नहीं खड़े नहीं होते। ...*(व्यवधान)*... उन्होंने इनको उकसाया है। Why did you take his name? ...*(Interruptions)*... Why did you take his name? ...*(Interruptions)*... Now, no other Member should interfere in this matter. ...*(Interruptions)*... Let the next speaker speak now. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Hon. Members, please sit down. ...*(Interruptions)*... Shri Sandosh Kumar P. ...*(Interruptions)*... Under which Rule?

SHRI SANDOSH KUMAR P: This is under Rule 240. I am sorry to say...*(Interruptions)*... Why are you so impatient?

SHRI KIREN RIJJU: He has not taken his name.

5.00 P.M.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, with due respect, may I ask you: Did you follow the content of Mr. Suresh Gopi's speech in Malayalam?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Yes, I understand.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, with due respect, I am requesting you that Parliament should not be made a forum to settle cheap and mean political scores. Mr. Suresh Gopi is trying to misuse the Parliament forum. ...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): पहले मुझे इसका निर्णय करने दीजिए। ...(व्यवधान)...

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, let me complete. He must have problem with Keralite people.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): I have to decide the first point of order. ...(Interruptions)... Point of order पर point of order नहीं होता है। कृपया बैठ जाएँ। ...(व्यवधान)... आप सब बैठ जाएँ। पहले मुझे इसका निर्णय करने दें। ...(व्यवधान)...

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I request you. ...(Interruptions)... I request you to expunge his remarks. ...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): पहले मुझे इसका निर्णय करने दें। ...(व्यवधान)... I will not allow you. जब तक मैं उनका निर्णय नहीं करूँगा, तब तक आपको allow नहीं करूँगा। प्लीज़ बैठ जाएँ। ...(व्यवधान)... बैठ जाएँ, मैंने रूल 240 पर आपका प्वाइंट सुन लिया। ...(व्यवधान)... Please sit down. ...(Interruptions)... No; I have to decide. ...(Interruptions)... Point of order पर point of order नहीं आता है। एक point of order है, मुझे उसका निर्णय करना है। ...(व्यवधान)... पहले मैं निर्णय करूँगा, उसके बाद आपको अवसर दूँगा। ...(व्यवधान)... No, I am not giving you a chance; not at all. Please sit down. ...(Interruptions)... यह अंकित नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। ...(व्यवधान)... Nothing is going on record. Please sit down. First, I have to decide. मैंने एक व्यवस्था दी है कि point of order पर point of order नहीं आता। जो पहला point of order है, मैं उसको decide करूँगा। उसके बाद आपका कोई point of order हो, तब आप उठना। Please sit down. माननीय डा. जॉन ब्रिट्टास ने जो बात कही, उसमें उन्होंने माननीय मंत्री महोदय का नाम पुकारा। ...(व्यवधान)... जब नाम पुकारा, तो मैंने मंत्री जी को बोलने का अवसर दिया। आपने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात का स्पष्टीकरण किया। यह point of order नहीं है। अब आगे चलते हैं। डा. सरफराज़ अहमद। ...(व्यवधान)... श्री तिरुची शिवा।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, Mr. Suresh Gopi is my very best friend. I have nothing against him. But when he spoke, he took the name of Dr. Brittas and used words like

'burnt', etc. So, kindly, expunge all those words which are negative in meaning. It is under Rule 238A to make personal charge against a Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): I have already given it.

SHRI TIRUCHI SIVA: No, Sir. He took his name. Kindly expunge that. That's all. It is very derogatory.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): ठीक है, मैं इसको देखूँगा। I will see to it. Now, Dr. Sarfraz Ahmad. I will see to it. ...(Interruptions)... Please! मैं इसको देखूँगा। डा. सरफराज़ अहमद। ...(व्यवधान)... कृपया सरफराज़ अहमद जी को बोलने दीजिए।

डा. सरफराज़ अहमद (झारखंड): सर, आपका बहुत धन्यवाद। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, मैं इसका समर्थन नहीं करूँगा, किसी कीमत पर नहीं करूँगा। सर, आज 11 साल से इनकी सरकार है। है कि नहीं? Full दो टर्म और एक साल। और आज इनको मुसलमान याद आ रहे हैं कि मुसलमान का कुछ भला करें! भला वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करने से नहीं होगा। आप उसकी रोजी-रोजगार की बात कीजिए, उसकी नौकरी की बात कीजिए, उसकी तालीम की बात कीजिए, एजुकेशन की बात कीजिए, तो भला होगा, बोलने से भला नहीं होगा। आपने इतना बुलडोजर चलाया है, इतना चलाया है कि वह आप पर विश्वास नहीं करेगा। नहीं होगा, आप कुछ भी बोल लीजिए। लगता है आपकी नीयत साफ नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया सुनें।

डा. सरफराज़ अहमद: सर, नीयत पर शक है। आर्टिकल 26 के ऊपर जॉन ब्रिटास जी से लेकर जितने लोगों ने कहा है, सबने याद दिलाया है। सर, उसमें क्या है? उसमें यह है कि किसी धर्म और मजहब को अपना institution बनाने का इख्तियार है और अपने लोगों की खिदमत करने का इख्तियार है। उससे ज्यादा इख्तियार नहीं है। अब इस बिल में जो तरह-तरह की बातें हैं, वक्फ बोर्ड या वक्फ जो है, वह खुद जाकर किसी की जमीन नहीं हड़पता है, नहीं ले लेता है कि हमने तुम्हारा यह जमीन ले ली, जब तक उसकी willingness नहीं होती है। देने वाले की, दान करने वाली की इच्छा होगी और वह लिख कर देगा, affidavit देगा, पेपर देगा, तब वक्फ बोर्ड उसको accept करेगा। ...(व्यवधान)... भाई, पहले मेरी बात सुन लो। आप लोग जानते नहीं हैं। ...(व्यवधान)... वक्फ-वक्फ कह कर हल्ला कर दिया। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप इधर आसन की तरफ देखें।

डा. सरफराज़ अहमद: सर, मैं आपको देख रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मैं भी आपको देख रहा हूँ।

डा. सरफराज अहमद: उससे जो भी आमदनी होगी, आमदनी पूरी नहीं, जो a part of the आमदनी होगी, उससे समाज की भलाई का काम होगा। ऐसा लगता है कि वक्फ ने पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी जमीन को हड़प लिया है और ये लोग उसे छुड़ाने के चक्कर में हैं। सर, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो यह कहूँगा कि अब इन्होंने उसमें यह बात रखा है कि आज वक्फ की जो जमीनें हैं, उसके पास जो प्रॉपर्टी है, उस पर भी बहुत से लोगों का कब्जा हो चुका है। आप वक्फ के कब्जा वाली जमीन को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कहां-कहां वक्फ की प्रॉपर्टी पर दूसरे लोगों का कब्जा है, उस पर मार्केट, मॉल और सिनेमा हॉल तक बन चुके हैं। वह वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसका पूफ है। उसको छुड़ाने की बात कहीं पर नहीं है। वह करना पड़ेगा। Practice Islam की बात है, तो क्या अब जो नमाज पढ़ाने वाले पेशमाम साहब हैं, वे रजिस्टर ले खड़े रहेंगे कि सरफराज अहमद नमाज पढ़ने जा रहा है to practice Islam. हर दिन पांचों वक्त का क्या सबूत है? यह सब बेकार की बातें हैं। Practice Islam - मन से और दिल से धर्म को मान लिया और भगवान, ईश्वर और अल्लाह के आगे सिर झुका लिया, वह Islam हो गया। आप उसको कैसे differentiate करेंगे, बता दीजिए?

अभी आपने कहा कि जेपीसी पूरे हिंदुस्तान में तमाम जगहों पर, प्रत्येक मुख्यालय में, हरेक स्टेट के कैपिटल में गई और ना जाने, करोड़ों-करोड़ लोगों से दरखास्त आए, उनसे मिले। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो सजेशंस आए हैं, आपने इस बिल में उनमें से कितने रखे, incorporate किये। मिले तो बहुत से लोग, अभी संजय बाबू कह रहे थे कि इतने-इतने लोग आए। उनको ज़रा स्कूटनी करके देखिए कि उनमें से कितने लोग इस बिल के पक्ष में हैं और कितने लोग इसके खिलाफ हैं। वह नम्बर तो आपने बताया नहीं कि जिन-जिन लोगों ने राय दी। हम लोगों ने भी राय दी थी। हमारे यहां भी टीम आई थी, तो हम लोगों ने भी कहा। हम लोगों ने और जितनी अन्य असेंबलीज़ है, सारे लोगों ने अपने-अपने यहाँ से negative में पास करके भेजा है, लेकिन उसकी तो चर्चा कुछ हो नहीं रही है, लेकिन नंबर की चर्चा होनी चाहिए।

सर, दूसरी बात है कि आपने उन चीजों को incorporate किया हुआ है, जिनको आप practical नहीं कह सकते हैं। मैं फिर से यह कहना चाहूँगा, जैसे हमारे साथियों ने कहा है कि इस बिल को एक बार पुनः विचार के लिए भेजा जाए और सही ढंग से इसको लाया जाए, जिसके लिए आप कर रहे हैं और जिसके लिए करना चाहते हैं। मैंने कहा कि सब लोग उस बात को कह रहे हैं कि आपका तीर कहीं और है, निशाना कहीं और है। अगर आप उस उद्देश्य से यह काम करेंगे, तो इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द!

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): श्री संजय राउत।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): सर, आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं। आज आप बहुत प्रसन्न भी हैं। खुश रहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मैं खुश ही रहता हूँ और आपको देख कर और खुश हूँ।

श्री संजय राउत: सर, मैं देख रहा हूँ कि अचानक कल से दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिन्ता हो रही है। अचानक इतनी चिन्ता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है और मुसलमान भी डरे हैं और हिंदू भी डरे हैं कि इतनी चिन्ता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है? रिजिजु जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृहमंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिन्ता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिन्ता मुसलमानों की नहीं की थी, जितनी आप कल से कर रहे हैं। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठ कर आपके शरीर में घुस गया है। ऐसा मत कीजिए। हमें पहले लगता था कि हम सब मिल कर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण और ये सब देख कर मुझे लगा कि आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं।...(व्यवधान)...

सर, इन्होंने जिस तरह से यह बिल लेकर आया है, यह लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर 26 परसेंट टैरिफ का आक्रमण किया, सबको डुबा दिया, इसलिए असली मुद्दा यह है कि आप उसी दिन यह बिल लेकर आए। आप उसको डायवर्ट करने के लिए उसी दिन यह बिल लेकर आए। चर्चा होनी चाहिए थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, उससे हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था गिरेगी, हमारा रुपया गिर कर मर जाएगा - ऐसी बहुत-सी बातें जनता सोच रही थीं, तो आपने इसको लाकर उसका ध्यान हटा दिया और वापस हिंदू-मुसलमान के मुद्दे पर ध्यान दिला दिया। जब भी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मुद्दे आते हैं, तब आप इस प्रकार के धार्मिक मुद्दे लेकर आते हैं और दो दिन, चार दिन, पाँच दिन चर्चा कर लेते हैं।

(सभापति महोदय पीठासीन हुए।)

सर, आप गरीब मुसलमानों की बात कर रहे हैं, करोड़ों गरीब मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपको मुसलमानों की चिन्ता कब से होने लगी? आप ही लोग हैं, जो बोलते हैं कि मुसलमान आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके गले का मंगलसूत्र खींच लेंगे, आपके गाय-बैल उठा कर ले जाएँगे, महाराष्ट्र में मुसलमानों के मटन के दुकान से मीट मत खरीद लीजिए, अभी आप लोग मुसलमानों की संपत्ति की चिन्ता कर रहे हैं। आप लोग मुसलमानों की संपत्ति के रखवाले बने हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ।...(व्यवधान).... आप मुझे कुछ मत सिखाए। मैं बहुत पढ़-लिख कर यहाँ आया हूँ। आप चिन्ता मत कीजिए। मैं हिंदुत्व भी पढ़ा हूँ और सब कुछ पढ़ा हूँ। आप अभी अभी हिंदुत्व के नए मुल्ला बन गए हो।...(व्यवधान).... आप हमें मत सिखाइए। हमारा जन्म ही हिंदुत्व के काम के लिए हुआ है।...(व्यवधान).... कल मैं गृह मंत्री जी का भाषण सुन रहा था।...(व्यवधान).... गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम 2025 के पहले वाले मस्जिद, मदरसे, दरगाहों को हाथ नहीं लगाएँगे, लेकिन जो रिक्त जमीनें हैं, उन्हें बेच कर गरीब मुसलमान महिलाओं का कल्याण करेंगे। उनमें पैसा बाँटेंगे। रिक्त जमीन है, तो आखिर आप बेचने-खरीदने की बात पर आ गए। जिसका डर था, वही हुआ कि जमीन बेचेंगे, जमीन खरीदेंगे। आपका जो मूल उद्देश बिजनेस, व्यापार है, आप उसके ऊपर आए। आप चुप नहीं बैठेंगे।...(व्यवधान).... आप जमीन बेच कर ही रहेंगे। धारावी का जो हो गया है। आप हमारे हिंदू धर्म की

जमीन का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और अभी आप मुसलमानों की जमीन की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। किसको बेच दी? ये जो प्राइम लोकेशन पर 2 लाख करोड़ की जमीन है, आपका पूरा ध्यान उस पर है। आप वह किसको देने वाले हैं? यहाँ तो खरीदने वाला एक ही है। बेचने वाले भी दो हैं और खरीदने वाला भी एक है। अगर आपको जमीन की चिंता है, तो हमारे जो कश्मीरी पंडित हैं, उनमें से 40,000 कश्मीरी पंडितों को अब तक जमीन नहीं मिली है। अब तक 40,000 कश्मीरी पंडितों को जमीन नहीं मिली है, घर नहीं मिला है, आप उनकी चिंता करो। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हुई है, आप उनकी चिंता करो। सर, लद्दाख में चाइना घुसकर हमारी 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है। चाइना के कब्जे में जो हमारी जमीन है, आप उसकी चिंता करो। ...**(व्यवधान)**... हाँ, दीजिए, हम रक्षा करेंगे, हमारा देश है।

श्री सभापति: संजय जी, मैं घंटी नहीं बजाऊँगा।

श्री संजय राउत: आपने जो यह बिल लाया है, इसमें आपका उद्देश्य साफ नहीं है। आप उस जमीन का व्यवहार करना चाहते हैं। अभी तो आप बड़ी-बड़ी बातें, मीठी-मीठी बातें करते हो, लेकिन आप व्यापारी लोग हो। व्यापारी लोग ऐसे ही करते हैं, मीठी-मीठी बातें करते हैं और फिर ये सब बेचकर नीरव मोदी जैसे भाग जाते हैं, विजय माल्या, मेहुल चोकसी - भाई साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने जो यह बिल लाया है, यह बिल हमारे समाज के हित में नहीं है, हमारे देश के हित में नहीं है। हम फिर एक बार इस देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं, फिर एक बार इस देश में दंगे भड़काना चाहते हैं, लेकिन आप ये धंधे बंद करो, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Thank you, Sanjayji. ...*(Interruptions)*... नीरज जी, आप देखिए। संजय जी बता चुके हैं। आप उनकी मजबूरी समझिए। श्री जगत प्रकाश नड्डा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; रसायन और उर्वरक मंत्री; तथा सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा): माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हम वक्फ अमेंडमेंट बिल, 2024 पर बोलने के लिए और इसके समर्थन में खड़े हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सदन भी इस बिल का समर्थन करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी उम्मीद है, तो मैं पूरा वाक्य इस तरीके से बोलता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि उम्मीद का समर्थन होगा। इस बिल का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ की प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को प्रॉपर करना है।

श्री सभापति: मेरे मन में भी यह बात आ गई कि उम्मीद की उम्मीद उम्मीद पर टिकी है। आपने दो बार कहा, तो मैंने सोचा कि तीन बार कह दें।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी इस पर काफी चर्चा हुई है। पक्ष-विपक्ष की तरफ से सभी लोग इस चर्चा में भाग ले रहे हैं और अपनी-अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ बातों से इस प्रकार की ध्वनि आती है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इस वक्फ

बिल को जिस उम्मीद से लेकर आई है, वह कहीं bulldoze कर रही है। यह ध्वनि देने की कोशिश हो रही है। मैं सबसे पहले एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस ध्वनि को समाप्त करके, यह जो narrative बनाया जा रहा है, उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है।

अब मैं processes की बात करूँ। नासिर जी ने उसके बारे में चर्चा की है। मैं भी उस पर चर्चा करूँगा, लेकिन आपने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए कहा, हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। 2013 में इसी बिल के लिए जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, तो उसमें सिर्फ 13 सदस्य थे। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में जो Joint Parliamentary Committee बनी, उसमें 31 सदस्य थे, just one-three and three-one! आप समझ सकते हैं कि democratic norms को follow करने के और क्या पैमाने हो सकते हैं, क्या मापदंड हो सकता है? क्या सिर्फ यही कि हम आपकी बात मान लें, तभी हम democratic हैं। वाद-विवाद तर्क पर होगा या कुतर्क पर होगा या जबरदस्ती होगा? हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं यहां यह भी कहना चाहूँगा कि Joint Parliamentary Committee की 36 meetings हुईं। मैं जगदम्बिका पाल जी से बातचीत कर रहा था, तो more than 200 hours have been spent on the Joint Parliamentary Committee activities, directly and indirectly. अब ये 200 hours - what processes were adopted? अभी हमारे नासिर हुसैन जी कह रहे थे कि clause-by-clause voting नहीं हुई।...(व्यवधान)...

सैयद नासिर हुसैन: डिस्कसन नहीं हुआ।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: वहां discussion नहीं हुआ। मैं यह कहता हूँ कि discussion क्या होता है, आपने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही। यही discussion होता है, this is called discussion. It is not necessary that I agree to everything which you say. इसलिए आपके ज़माने में 2013 में only 22 meetings took place. हमारे रिजिजु साहब ने बताया कि जम्मू-कश्मीर — इन्होंने तो बताया लद्दाख, लेह, जम्मू-कश्मीर — वह उस समय तो जम्मू-कश्मीर ही था, एक ही था। श्रीनगर, जम्मू, लेह — वहां आप गए और हमारे जगदम्बिका पाल जी सारी कमेटी को लेकर 10 राज्यों में गए। अगर मैं stakeholders की बात करूँ, तो 284 stakeholders के साथ participation हुआ debates में और UPA के ज़माने में 18 stakeholders के साथ बातचीत हुई थी। Now, just imagine, कहां 284 और कहां 18! कहां सरसरी तौर पर discussion हुआ और कहां गहराई से discussion हुआ! वे कौन से पैमाने हैं, जिन पैमानों पर हम खरे न उतरे हों। हम यह भी बताना चाहते हैं कि 25 States के Waqf Boards के साथ बातचीत हुई, 15 State Governments के साथ बातचीत हुई, 5 Minority Commissions के साथ बातचीत हुई और सैकड़ों MLAs, MPs और Ministers के साथ बातचीत हुई। इससे ज़्यादा exhaustive discussion क्या हो सकता था। UPA के ज़माने में जब 2013 में बिल आया, तब सिर्फ 13 States के साथ बातचीत हुई थी और बिल को लोक सभा में लेकर चले आए थे।

महोदय, मुझे एक बात और ध्यान में आ रही है, जो मैं कहना चाहूंगा। मुझे यहां कपिल सिब्बल साहब दिखे थे। कोर्ट में चर्चा होती है कि when you have got arguments, you are contented and you speak accordingly. आप तो जानते ही हैं और when you are lacking arguments, you raise your voice and try to sensationalise. मैंने देखा कि डिबेट को बहुत deviate और derail करने की ...

श्री सभापति: माननीय नड्डा जी, यह बात है, if you are a lawyer; you are strong in law, hammer law. If you are strong on facts, hammer facts. If you are strong on neither, hammer the table.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Thank you very much, Sir. Very good advice but I will not hammer the table.

MR. CHAIRMAN: No, no. It is a saying.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: यह derail हुआ और deviate भी हुआ। कल मुझे लोक सभा में भी देखने और सुनने को मिला। इस बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है, इस बिल में कहीं कुम्भ मेला दिख रहा है, इस बिल में कहीं बिहार का इलेक्शन दिख रहा है, इसमें Air India बिक गया, इसमें Kerala का cinema दिख रहा है। यह deviate, derail, sensationalize - मैंने Suresh Gopiji को भी कहा कि बैठ जाओ, Dr. John Brittas was very smart. Sir, what he did, he spoke his whole speech in English. But, when he wanted to say, something which was unwanted, he chose Malyalam and it was... *...(Interruptions)...*

DR. JOHN BRITTAS: It was that I want the people of Kerala to know those things. *...(Interruptions)...*

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Yes! *...(Interruptions)...* Legally, you are sound, Dr. John Brittas, but I have said, it was a smart move.

DR. JOHN BRITTAS: Yes, it was a smart move.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: You wanted something to be told to this House and you wanted something to be told to the Kerala people.

DR. JOHN BRITTAS: Yes.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: So, that smartness...

MR. CHAIRMAN: It is a compliment.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: And, whatever he spoke in Malyalam had nothing to do with the Bill. So, anyway, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि deviate होना, derail होना, deviate करना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहां discussion का objective क्या है? क्या objective पार्टी का interest है या objective nation का interest है? हमें दोनों के बीच में तय करना है। मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में डंके की चोट पर यह कह सकता हूँ कि यह बिल nation के interest में है और उसके लिए हम लेकर आए हैं। यह किसी पार्टी के interest में नहीं है, यह किसी वोट बैंक को satisfy करने के इंटरैस्ट में नहीं है, यह देश के interest में है। अब ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं। रिजिजु साहब ने बताया कि यह Railways, Defence के बाद आती है। वैसे तो ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि Defence और Railways भारत सरकार की प्रॉपर्टीज़ हैं, देश की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन क्या इसका proper management नहीं होना चाहिए? क्या इसमें कोई कुतर्क है और इसलिए checks and balances prevent misuse. Property and powers जो इसमें से derive होती हैं, जो 2000 के अमेंडमेंट में असीम हो गईं, तो क्या उसमें checks and balances नहीं होने चाहिए? आप बताइए क्या वे accountable नहीं होने चाहिए, क्या वे जावदेह नहीं होने चाहिए? क्या वे भारत की जनता, मुस्लिम बहनों, भाइयों के लिए जवाबदेह होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? यह बिल सिर्फ उसको accountable बनाने का प्रयास कर रहा है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा।

दूसरी बात, आप तय कर लीजिए, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं इस forum पर, जहां बिल की बातचीत चलती है, वहां मैं कोई राजनीति लाऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे मन में है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मंत्र को लेकर चले हैं और वे चले नहीं हैं, बल्कि उन्होंने इसको पूरा भी किया है। राधा मोहन जी ने बताया कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर, आवास योजना से लेकर, शौचालय योजना से लेकर कभी नहीं देखा कि यह forward को मिला, backward को मिला, Muslims को मिला, Christians को मिला या किसको मिला? यह जरूरतमंद को मिला है और देश की जनता को मिला है। अब इससे ज्यादा mainstreaming क्या हो सकती है? इसलिए जब मैं इसकी बात कहता हूँ, तो मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें vote bank politics के interest से बाहर निकलकर national interest में इन बातों को समझने की आवश्यकता है। अभी मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि आप तय करें, मुझे उसमें कहने की बात नहीं है। हम mainstreaming की बात कर रहे हैं। इस देश में कोई भी किसी कलर में न देखा जाए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सपना यह है कि सबका विकास हो, सबका प्रयास हो और सबको साथ लेकर चलें। इसलिए हम lip service नहीं करते हैं, हम real service करते हैं। We do the real service. यदि हम lip service कर रहे होते - मैंने आपको सारी योजनाएं गिनाईं, तो राधा मोहन जी ने बताया कि 30 प्रतिशत मुस्लिम भाइयों का लाभ हुआ है- इसमें से 35 प्रतिशत उन्होंने लाभ लिया है। हमने कभी इसका डंका नहीं पीटा। हम mainstreaming कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले 70 साल तक किन लोगों ने उन्हें अलग रखा है। किन लोगों ने उन्हें

अलग रखा है, किन लोगों ने उन्हें डराकर रखा है, किन लोगों ने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात कही है? This polity has to be understood, and I will tell you, 50 years later, 100 years later, we will not be there, but the course of action which we take today is going to make India stronger. That we have to understand. आपने 70 साल का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, आपने बाँटकर देख लिया है, वोट के पीछे पड़-पड़कर देख लिया है, आप 2013 का अमेंडमेंट लाकर भी 2014 में वहाँ बैठने के लिए मजबूर हो गए! इससे काम नहीं चलने वाला है। मैं आपको इस पर बताना चाहता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि lip-service नहीं, real-service की है, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि Triple Talaq के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह दिया था कि लगाना चाहिए। भारत की जनता लगाना चाहती थी, लेकिन आपकी सरकार, यूपीए की सरकार दस साल बैठी रही, आप नहीं लगा सके। क्या तकलीफ थी जो इसको नहीं लगाया गया? क्या ट्रिपल तलाक हटाना retrogressive step था या progressive step था? हमारे नासिर साहब कहते हैं, "We would not like to remain second-grade citizens." You made the Indian Muslim ladies second-grade citizens. You made it.

सभापति जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूँ कि इजिप्ट में ट्रिपल तलाक 1929 में समाप्त हो गया था, सूडान में 1929 में समाप्त हो गया था, बंगलादेश, जो 1971 में बना था, वहाँ 1972 में ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया था, इराक में 1959 में समाप्त हो गया था, सीरिया में 1953 में समाप्त हो गया था और मलेशिया में 1969 में समाप्त हो गया था। मैंने ये सभी मुस्लिम देशों के नाम लिए हैं। महोदय, यह भारत देश था, जहाँ हमारी मुस्लिम बहनों को मुख्यधारा में लाने से रोका जा रहा था और लाने वाले, मेन स्ट्रीमिंग करने वाले नरेन्द्र मोदी जी बने, जिन्होंने यह करके उन्हें दिया, इसलिए जब हम इसकी चर्चा करते हैं, तो हमें real-service या lip-service का ध्यान रखना चाहिए। We believe in real service. आज करोड़ों मुस्लिम बहनें आज़ाद हो गईं, उन्हें life with dignity जीने का मौका मिल रहा है। यह काम किसने किया है? क्या यह एक ऐतिहासिक फैसला नहीं है? Is it not a historical decision? It is a historical decision and none other than the Prime Minister Modi, who has done this. That we have to understand. उसी तरीके से मैं आज के बारे में बात करना चाहूँगा। आज हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं हमने वक्फ बोर्ड पर हाथ डाल दिया, यह तो बहुत गड़बड़ बात हो गई है और यह एक तरीके से हमें कब्जे में लेने की बात है और हम बड़े retrograde चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टर्की एक मुस्लिम देश है, वहाँ पर 1924 में Directorate General of Foundations बनाकर Management of Waqfs का काम शुरू हो गया था। It is a Muslim country. In Turkey in 1924! वहाँ टर्की में, all waqf properties were brought under the control of the State for their better management and transparency. When did they do it -- In 1924, सौ साल पहले। They saw to it that the misuse of waqf properties was prevented through digital recording in late 80s, 90s, and income of waqfs began to be used for the development of education and health. यह किसने किया? यह टर्की ने किया और आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। यह कार्य यूपीए की सरकार को कर देना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं किया, वे क्यों हमारा इंतजार कर रहे थे?

महोदय, मलेशिया एक Muslim-dominated State है। Malaysia Authority of Waqf Management - वहाँ क्या बोलते हैं? 'State Islamic Religious Council'- स्टेट चलाता है and Malaysia began using modern technologies, financial models to improve the waqf management उन्होंने भी शुरू कर दिया। वहाँ पर उन्होंने एक नई बात शुरू कर दी- 'waqf shares.' Wakf shares were implemented which increased (the) community participation and (the) rise in the waqf income. सभी प्रोग्रेसिव तरीके से चलने का प्रयास कर रहे हैं। Transparency and accountability was ensured through digital database of Waqf properties through geo-mapping. यानी मलेशिया में भी जिओ-मैपिंग और डिजिटलाइजेशन से उसे देखा जा रहा था। Reforms were made in Saudi Arabia in 2016. वहाँ पर सऊदी वक्फ अथॉरिटी बनाई गई, which was established and new policies were implemented to make the Waqf properties more economically beneficial. The Waqf income was used to empower religious, educational and social services. जब इन मुस्लिम देशों में सरकार वक्फ को कब्जे में लेकर उसका मैनेजमेंट कर रही है, तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। यहां तो हम भी नहीं कर रहे हैं। यहां तो Waqf Board, Waqf Tribunal and Waqf Council ही चलाएंगे। हम तो सिर्फ उनको नियम के अनुसार लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे accountable हो सके। Indonesia is the biggest Muslim-dominated country. In Indonesia, Indonesia Waqf Board is known as Badan Wakaf Indonesia. In 2004, Waqf Act was amended, incorporating modern practices and registration for the management of Waqf properties or the concept of Cash Waqf was implemented for maximising the benefits derived from Waqf assets. इसका मतलब है कि उन्होंने नए-नए प्रयोग करने शुरू किए, ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो सके और वह लोगों के लिए काम आ सके। In Iran, the management of Waqf properties is under the Organisation of Endowments and Charitable Affairs. यह भी सरकार के पास है। After 1979 Islamic Revolution, extensive reforms were made in the management of Waqf properties.

मैंने आपको सारी बातें इसलिए बताईं और इन देशों के नाम लिए कि जो मुस्लिम देश हैं, जब वे वक्फ की प्रॉपर्टीज को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, जब वे वक्फ की प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जब वे वक्फ की प्रॉपर्टी को अकाउंटेबल कर रहे हैं, तो भारत की धरती पर करने में क्या दिक्कत आ रही है? इसीलिए मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से हमने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय की वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य के लिए हो सके और उनकी प्रॉपर्टी सही हाथों में रहे। इस बात की चिंता की गई है। 2013 की बात कही गई। हमारे नासिर साहब ने कहा कि 2013 में तो आप भी साथ थे। हां, हम भी साथ थे, लेकिन 2020-21 में हमें ध्यान में आया कि 1913 से लेकर 2013 तक वक्फ की प्रॉपर्टी, भूमि 18 लाख हैक्टेयर थी और 2013 से 2025 में नई भूमि 21 लाख हैक्टेयर जुड़ गई। इसका दुरुपयोग न हो, हम नहीं कहते हैं, we are not taking your land. यह 21 लाख भी आपका और यह 18 लाख भी आपका, लेकिन इसका दुरुपयोग न हो, इसलिए हमने यह तय किया कि इसके संबंध में बिल लाकर 2013 एक्ट में जो चीजें मिली हुई थीं, उनमें कुछ न कुछ

परिवर्तन करना आवश्यक होगा। It will be necessary. Law is an evolution. The implementation itself is an evolution process through which it goes. इसलिए दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया गया और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ।

यह जो अमेंडेड एक्ट था, this Act of 2013 grants extraordinary powers to the Waqf Board and appears to override the constitutional and the legal framework of India. Article 14 of the Indian Constitution, equality before law, equal protection of law को यह एक्ट 2013 violate करता है और जो बिल रिजिजु साहब लेकर आए हैं, वह उसको protection देता है, यह इसकी खूबी है और हमें यह समझना लेना चाहिए। It violates Article 300A, which provides for legal protection from arbitrary seizure. यह जो arbitrary seizure होता है, उसको आर्टिकल 300A में प्रोटेक्शन मिलती है। वह उसे प्रोटेक्ट करने से रोकता है। कैसे रोकता है? Waqf Act Section 40 states, “The Board may itself collect information regarding any property, which it has a reason to believe that it is a Waqf property.” यानी वह अपने से ही तय करता है कि यह waqf property है और अपने से ही realize कर लेता है। यह protection from the arbitrary seizure से रोकने का प्रयास है और इसको यह सेक्शन violate करता है। उसी तरीके से यह fair trial को violate करता है, provided under Article 21 of the Indian Constitution.

मैं यह भी कहना चाहूँगा, आप सब लोग हाथ में संविधान की पुस्तक लेकर घूमते हैं। Ready reference के लिए पॉकेट में रखते हैं। देखिए, जयराम रमेश जी ने दिखा दिया। ...**(व्यवधान)**... लेकिन पढ़ते हम हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Hon. Leader of the House, one minute. Jairamji, showing an object in the House is indecorous. ...**(Interruptions)**... And, a Constitution book should never be treated like an object. It is a sacred book, testament for our democracy.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: ये संविधान के रक्षक हैं! संविधान की बात करते हैं, ready reference के लिए पॉकेट में रखते हैं। लेकिन इस्तेमाल हम करते हैं, उपयोग हम करते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि there is violation of the right of fair trial provided under Article 21, when it says, “Citizens cannot challenge Waqf’s decision in regular courts.” क्या हम इक्कीसवीं शताब्दी में जी रहे हैं, that citizens cannot challenge the decision of the Waqfs in the civil courts? क्या यह Article 21 का violation नहीं है? Supreme Court का observation क्या है, कि violation of property is, in a way, violation of the right to life. It is also the violation of right to life. मैं आपको संविधान की दृष्टि से उन अनुच्छेदों के बारे में बता रहा हूँ। It became more powerful than Judiciary. Section 54 of the Waqf Board Act is about removal of encroachment from the property through Waqf Tribunal order. इसका ऑर्डर भी Waqf Tribunal का ऑर्डर देगा।

Then, I come to Sections 6 and 7 of Waqf Board. It puts bar on the civil courts. No legal action is allowed. आप बताइए कि यह draconian law बन गया था या नहीं बन गया

था? यह over-powering था कि नहीं था? मैं तर्क कर रहा हूँ। अगर आपको कुतर्क लग रहा है, तो आप बताइए। मैं तर्क रख रहा हूँ कि क्या यह over-reaching नहीं था? क्या यह over-reaching power संविधान की basic spirit को challenge करने वाला नहीं था? क्या यह ऐसा नहीं है?

उसी तरीके से Waqf Board का Section 85 - Bar of the jurisdiction of the civil courts. Waqf Board का Section 83(7) is about the finality of the decision. As mentioned, the sub-section declares that the Tribunal's decision is final and binding, having the force of a civil court decree. यानी सिविल कोर्ट की power यह सेक्शन 83(7) रखता है और बिना अपील के उसका final decision होगा!

Then, I come to Waqf Board Section 83(9). The sub-section explicitly states, - अब ध्यान से सुनिएगा - that no appeal shall lie against any decision or order, whether interim or otherwise, given or made by the Waqf Tribunal. नासिर जी, Constitution की लाल किताब को खोल कर देख लीजिएगा, क्या यह भारत के संविधान की मूल धारा का उल्लंघन करता है कि नहीं करता है।

Article 12 में भी यह powers को take over कर रहा है। The Revenue Department or the local authorities will have a limited power over the Waqf properties. यानी वक्फ की properties पर Revenue Department की भी बहुत limited power होगी। Even the State Governments have a limited interference in the Waqf properties, as they operate outside the normal revenue system. यानी वे normal revenue system से अलग हट कर ही काम करते हैं, इस तरीके का प्रावधान है।

हमारे माइनोंरिटी मिनिस्टर किरिन रिजिजु जी ने बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन मैं मूल बात बताना चाहता हूँ कि एक तो यह जो बिल आया है, इसमें क्या है? यह Waqf by user को remove करता है। Only declaration or endowment allowed and the donors must be practising Muslims for, at least, five years. अब मैं कहना नहीं चाहता, यह क्यों है? मैं धार्मिक विषयों को छेड़ना नहीं चाहता, uncomfortable बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हां, जो देने वाला है, वह जेन्युइन तो होना चाहिए। उसकी जेन्युइनेस को देखने के लिए एक पैमाना ये है कि वो प्रैक्टिसिंग इस्लाम होना चाहिए। हमने सीसीटीवी का कैमरा तो लगाया नहीं है कि वह बताएगा कि हम इस्लाम मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। वहां के मुल्ला बोलेंगे, तो हो जाएगा। लेकिन फीमेल के इनहेरिटेन्स को रोकना एक बहुत बड़ा रेट्रोगेटिव स्टेप था, उसको ताकत देना, इस बिल का काम है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि earlier anyone, without any proper documents, called a property as the Waqf property and Waqf Board made a claim on it. Waqf Board उस पर claim कर देता था। Government properties identified as Waqf ceased to be.. ..(Interruptions)... हां, मैं सब ऑथेंटिकेट करूंगा।

डा. सैयद नासिर हुसैन: सर, आप यह जो कह रहे हैं कि..

श्री जगत प्रकाश नड्डा: आपको मौका मिलेगा। ...**(व्यवधान)**...

डा. सैयद नासिर हुसैन: सर, मुझे 10 सेकंड दीजिए।

श्री सभापति: 10 सेकंड।

डा. सैयद नासिर हुसैन: सर, यह जो बार-बार कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड बिना डॉक्यूमेंट्स के क्लेम कर देती है, तो हिंदुस्तान में कितने ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन-कौन से वक्फ बोर्ड ने क्लेम किए, प्लीज इसको ऑथेंटिकेट कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Now, Leader of the House.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सर, जेपीसी के ये भी सदस्य थे। जेपीसी को जो 285 stakeholders मिले हैं और जिन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ये वही यहां पर रख दें, तो वह authenticate हो जाता है। ...**(व्यवधान)**... We will authenticate it. ...**(Interruptions)**...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI L. MURUGAN): In Tamil Nadu, there is a 2,000-year-old temple, which they are claiming as Waqf Board property. How is it possible? ...**(Interruptions)**...

डा. सैयद नासिर हुसैन: सर, मुझे 10 सेकंड और दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Leader of the House has yielded.

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Thank you, Sir. He has yielded. सर, तमिलनाडु वाला जो इश्यू बार-बार आ रहा था, मैं उसे बोलने के टाइम पर मिस कर गया। उस विलेज का 20-30 परसेंट 1954 में वक्फ में था। ...**(व्यवधान)**... मैं मुझे बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... सर, 2000 के बाद जब तमिलनाडु में digitalization of revenue records हो रहा था, तो उस टाइम पर revenue official ने उसकी गलत तरीके से entry की। Waqf Board और Tribunal ने on record कहा है कि वह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। ...**(व्यवधान)**... यह उन्होंने on record कहा है। ...**(व्यवधान)**... जेपीसी में Chief Secretary, Revenue Secretary और DC ने आकर बोला है कि वक्फ ने कभी क्लेम नहीं किया। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Hon. Finance Minister.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Thank you very much, Sir. I am not trying to come up with additional facts but all that has been said before the JPC. But I do honestly request hon. Member, Syed Naseer Hussain, to certainly speak all that he wants to say, but not to sweep away serious matters of concern. This particular village has ...*(Interruptions)*... Let me finish.

MR. CHAIRMAN: Mr. Naseer, please. ...*(Interruptions)*... Hon. Minister.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: All of us are listening to you. We want a debate, which ...*(Interruptions)*...

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Please go ahead.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Thank you very much!

Sir, there is 1,800-years-old Chandrasekhara Swamy temple. SCs and OBCs are predominantly the people who live in that village. 480 acres of land is disputed because of this. How did the problem arise? Villagers, when they were buying and selling land among themselves, their family or anybody, were clearly told that they should obtain a no objection certificate from the Waqf Board. They were selling their private property! Even if, as the hon. Member is saying that the Collector, while doing digitisation, entered it wrongly, has put wrong entry of the entire village and that entry so happens that every villager who has to do any transaction of his land, even if he is giving for, what we call in Tamil '*Kuthagai*' - temporarily give it for certain number of years to a farmer to cultivate and give him some returns - even for that, a no objection certificate had to come from the Waqf! What is this? Even if that element is true, that the revenue official entered it wrongly, couldn't the Wakf Board say: Why are these coming to us? We have nothing to do with it. ...*(Interruptions)*... Nothing of that sort had happened. The poor people are running from pillar to post saying, "When did this become somebody else's? It is mine. Generationally, we have been here." What happens to the temple? The temple was built by the Wakf Board? Anomalies to the core, Sir!

MR. CHAIRMAN: Leader of the House. ...*(Interruptions)*...

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, just one minute.

MR. CHAIRMAN: He is not yielding. ..*(Interruptions)*.

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, I only want..

MR. CHAIRMAN: No, no. It will be never ending. ...(Interruptions)... No, it will be never ending. Yes, Leader of the House. ...(Interruptions)... Nothing else will go on record.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सर, मैं यह कह रहा था कि Government properties identified as Waqf cease to be Waqf. ...(Interruptions)...

DR. SYED NASEER HUSSAIN: *

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. Only what the Leader of the House says will go on record. ...(Interruptions)...

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Disputes resolved by the Collector, who reports to the State... ...(Interruptions)... Government properties identified as Wakf's cease to be Wakf's. Disputes will be resolved by the Collector who reports to the State. अब यह जो बिल है, वह कलेक्टर को यह ताकत देता है कि वह निर्णय करे कि यह प्रॉपर्टी किसकी है? इसका ओनर कौन है? उसके बाद उसके तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है। यह बिल वक्फ प्रॉपर्टी को ascertain करने की जो वक्फ की ताकत थी, उससे रोकता है और यह पावर कलेक्टर को देता है कि वह तय करे कि whether this property can be added, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में यह प्रॉपर्टी वक्फ को दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, इसका टाइटल वह तय कर सकता है। श्री किरेन रिजिजु ने एक बात क्लीयर कर दी है, मैं सिर्फ उसको reiterate करना चाहता हूँ कि हमारे जो monuments हैं, जो ASI के अधीन आते हैं, वे और Schedule 5 और 6 की जो tribal lands हैं, these lands cannot be brought into the Wakf property. इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए किसी को ऐतराज होना चाहिए। हम tribals को संभालने और उनकी sanctity तथा अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। बिल का मूल मंत्र है कि transparency आए, accountability आए और उसके साथ-साथ strict regulations के तहत इसको ensure किया जा सके। अब वक्फ बोर्ड की पावर्स का मिसयूज कैसे हुआ? सितम्बर, 2024 में 25 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में वक्फ बोर्डों के आंकड़ों से पता चलता है कि 5,970 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित कर दिया गया। वक्फ ने इसको घोषित कर दिया। उसी तरीके से सितम्बर, 2024 ने Ministry of Urban Development ने अपने मंत्रालय में 108 संपत्तियाँ भूमि और विकास कार्यालय के नियंत्रण में हैं और 130 संपत्तियाँ दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में हैं तथा सार्वजनिक डोमेन में 123 संपत्तियाँ वक्फ संपत्ति

* Not recorded.

घोषित की गई है। उसी तरीके से कर्णाटक में 1975 से 2020 तक 40 वक्फ संपत्तियों को अधिसूचित किया गया, जिनमें कृषि भूमि, सार्वजनिक स्थान, सरकारी भूमि, झीलें, मंदिर शामिल हैं। ...**(व्यवधान)**... इसमें अपने-पराये की बात नहीं है। इसमें law of land की बात है। आखिर, कानून चलता कैसे है, कौन चलाता है? कैसे 40 सरकारी संपत्तियाँ वक्फ की हो जाती हैं? कैसे झील तक वक्फ की हो जाती हैं? यह मैं किसी पर aspersion नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि जो गलत चल रहा था, उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी को भी साथ देना चाहिए।

जैसा मैंने पहले कहा, in 2006, there were 4.9 lakh Waqf properties which increased to 8.7 lakh Waqf properties. ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी 4 लाख से 8 लाख हो गई। However, the total income which was Rs.163 crore in 2013 that only increased after 2013 to Rs.166 crore. 3 करोड़ का ही मुनाफा हुआ, यानी 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़, जो 8.7 लाख प्रॉपर्टी हो गई, उनकी कमाई 163 करोड़ से 166 करोड़ ही हुई। ...**(व्यवधान)**... Comptroller and Auditor General ने भी 2018 में वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग और खामियों के बारे में बहुत सीरियस प्रश्न उठाए। अगर हम देखें कि इसका जो मिसयूज़ हुआ, आप वक्फ के क्लेम के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे केरल के सब लोग इन सारी चीजों को लेकर बड़े excited रहते हैं। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि वहां का क्रिश्चियन और वहां का चर्च इतने क्रिश्चियन नेताओं को छोड़कर दिल्ली में हमारे पास क्यों आ रहा है? Why is he coming to us? सारे चर्च के लोग आकर वक्फ बोर्ड के बारे में severity बता रहे हैं। The people of Kerala, especially the Christians. उसी तरीके से, Kerala State Waqf Board ने long stake किया। 404 acres of land of Ernakulam District, Munambam Coast. ...**(Interruptions)**... Over 200 families in Chavakkad Waqf Board staked the claim over land ...**(Interruptions)**...

MR. CHAIRMAN: Dr. Syed Naseer Hussain, please. Nothing will go on record. ...**(Interruptions)**... Only what the Leader of the House says will go on record. Nothing else will go on record. ...**(Interruptions)**... Hon. Finance Minister.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the Leader of the Opposition in the morning very clearly said that when somebody is speaking, let us all listen. Of course, you are going to give each one of us ...**(Interruptions)**... You are there to give each one of us the time to rebut. But running commentaries, Sir. They are blessed with God given vocal chords which do not require any mike. ...**(Interruptions)**... I need a mike. They don't seem to need any mike. ...**(Interruptions)**... When the Leader of the Opposition speaks, all of us will have to listen. ...**(Interruptions)**... But when the Leader of the House is speaking, ...**(Interruptions)**... There are running commentaries.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please remember this is Rajya Sabha Day also. The Leader of the House. ...(*Interruptions*)... Nothing else will go on record, except what Shri J.P. Nadda says.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, one astonishing feature has come. ...(*Interruptions*)... सर, मुझमें पेशेंस की कोई कमी नहीं है, मैं पेशेंटली सबको सुनता हूँ। मेरी इच्छा यह रहती है कि मेरे साथ भी पेशेंस रखा जाए, तो अच्छा रहेगा। अब सुनिए, वायनाड में - वायनाड! 4.7 एकड़ थलप्पुझा, वायनाड में, यहां पर क्लेम कर दिया। अब वहां से कोई आवाज ही नहीं उठती है! वे लोग चलकर हमारे पास आ जाएँ, तो हमको यह पूछना तो पड़ेगा न कि भाई, आप अपने एमपी से मिलकर आए हो क्या? उनको बताया क्या? जब नहीं बताया, भरोसा नहीं है, तो मैं क्या करूँ?

6.00 P.M.

हम तो यही कहेंगे कि सदबुद्धि आए, और सदबुद्धि के साथ-साथ हम इन बातों को समझ सकें। इसको ध्यान में रखकर चलें तो अच्छा रहेगा। सभापति महोदय, मैंने कोशिश की है कि मैं विषय पर रहूँ और मैंने सारे क्लॉजेज़ क्वोट किए हैं, सारे सब-सेक्शंस क्वोट किए हैं। ये सारे सब-सेक्शंस बताते हैं कि किस तरह से यह कानून गलत दिशा में गया था। 2013 से 2025 के बीच मुस्लिम भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है, और जमीन माफिया ने इसमें से बहुत मलाई खाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन मलाइयों से दूर रहे। हालांकि, रहना मुश्किल है आदतन, लेकिन मलाईखोरों से दूर रहे और गरीब मुस्लिम की शिक्षा, स्वास्थ्य की चिंता करे तो बहुत अच्छा रहेगा- यह मैं कहना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने एक नई चीज देखी है-लोग यहां अपना भाषण देते हैं, फिर अपना झोला उठाते हैं और चल देते हैं। हम किसको जवाब दें? अभी हमारे एक सज्जन...

श्री सभापति: क्योंकि मैं यहां से देखता हूँ, तो मुझे कुछ ज्यादा दिखता है। 180 डिग्री तक दिखता है। वे भाषण देने के लिए ही आते हैं, फिर चले जाते हैं। Hon. Members, on several occasions, I have indicated to the House, particularly, and I have no hesitation because I believe in the wisdom, sagacity and patience of very distinguished Members of the fraternity to which I belonged. Parliamentary work is not casual; parliamentary work is responsible. On Monday and Friday, we have no precedence, and the best you learn is by sitting in the House, listening to others. It is very painful that you come, make your speech and more often than not give a byte outside. I am anguished by the experience of several Members, not from what they say in the House but by what they say on television debates or in articles of newspapers. We should collectively think, and it is not a comment on individuals because the number is very large.

...(Interruptions)... You know it more than I do. ...(Interruptions)... You keep their company close by.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सर, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ बहुत सारी बातें की। उनकी आधी स्पीच एक्सपंज हो गई। अब मुझे लगता है कि उनको विवेचना करनी चाहिए कि ऐसी स्पीच देने का फायदा ही क्या, जिसमें आधे से ज्यादा हिस्सा एक्सपंज हो जाए, लेकिन हो गई। फिर भी उन्होंने एक वाक्य कहा, और वह वाक्य यह था कि "बड़ी-बड़ी सत्ता आई और गई।" वे भूल गए कि उनके ही नेता कुछ महीने पहले यह कह रहे थे कि "मोदी जी, आपको यहाँ सरकार लाने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा।" वे भूल गए कि इसी चुनाव में दिल्ली की जनता ने उन्हें साफ कर दिया, धूल चटा दी और कांग्रेस ने सेलिब्रेट किया।

अब मैं इतना कहना चाहता हूँ-

*"बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय,
जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय।"*

चले थे दुनिया में ढूँढने, कम से कम अपने आप को तो ज़रा ढूँढ लेते कि अपनी क्या गतिविधि रही है, किस तरीके से आप काम करते रहे हैं और किस तरीके से दिल्ली की जनता ने आपको सबक सिखा दिया।

मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करना चाहता, अभी हरियाणा की बात नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, Humility always pays. You should understand and realize that. इसमें कोई 'अहम' की बात नहीं है - मैं ना मानूँ। हमारे यहां स्कूल में जब क्रिकेट खेलते थे, तब कुछ लोग, जो थोड़ा मसल मैन टाइप के होते थे, वे आउट हो जाते थे तो बोलते थे, "मैं ना मानूँ।" उनको कहा जाता था कि आप आउट हो गए, बोल्लड हो गए, तो बोलते थे, "मैं ना मानूँ।" अब ऐसे "मैं ना मानूँ" का तो कोई उत्तर है नहीं, लेकिन भगवान करे कि सदबुद्धि आए और आप भी मान जाओ और हमारे साथ चल पड़ो।

बहुत-बहुत धन्यवाद!

MR. CHAIRMAN: Now, the former Prime Minister, hon. H.D. Devegowdaji. Would you like to speak?

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Karnataka): Respected Chairman, Sir, after I heard the speech of the Leader of the House, Naddaji, I do not think anything is left. He has made an exhaustive speech particularly on this Waqf Bill which has been amended and passed by the Lok Sabha. Now, this House has to clear this Amendment Bill. I am not going to quote some of the issues mentioned by several hon. Members. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, please bring the House in order.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members need to be on their seats only. And this is a serious debate. We need to listen to the former Prime Minister, as also every other speaker. Please resume your seats.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I would just like to mention that in my career, as Leader of the Opposition, if the Leader of the House kicked me with strong language, I used to take it sportively. I never intervened. Never! Whatever he spoke, I used to take it most coolly and spiritually. I have practised like that. So many people have spoken. I have never intervened. I have never spoken a word. Except yesterday, your good self had given a ruling, "I allowed Mr. Gowda to speak for ten minutes." Today, I humbly request all the Members to allow me to speak for a little more time. This is a very important issue.

Sir, I must congratulate the Prime Minister. Why? The property, which has been mentioned, is about Rs.1.2 lakh crores. It is not which the Government has given. It is the donors who have given. This property has been given by the donors. If the donors have given, that has been misused and vested interests have tried to swallow. Now, the present Prime Minister wants to put a seal on not allowing this donor's property -- which was given for a particular purpose to a community - to be swallowed by rich people or the people who are strong enough in the community to swallow this property.

That is the background. The hon. Prime Minister has thought over, and the hon. Parliamentary Affairs Minister and the hon. Home Minister have taken sufficient care to protect this property to be used properly for the purpose for which it had been donated by the donors. The Waqf Board currently controls 8.7 lakh properties, spanning about 9.4 lakh acres in India, which has been estimated at Rs. 1.2 lakh crores.

Sir, I would like to mention this without criticizing anyone. My friends should realize that State Governments and leaders from various political parties are represented here. I do not want to hurt the feelings of anyone. What is happened in the past is behind us, and we must think about the future. Why? We are discussing Minorities. Why have Minorities left a particular political party that they supported for 40 years? I was a member of Congress, and I can ask, why have Muslims left the Congress? Today, you want to regain their support, but it is not that simple. I can provide numerous reasons.

Sir, I would like to mention what had happened in Karnataka. The Upalokayukta Justice Ananda submitted a report in 2014, but what happened to that Report? I do not want to name the Chief Minister or any leaders. Let our friends realize that the report was shelved and has not seen the light of day. Why? Why are they in power today? Even today, my friends who spoke here must realize.

Sir, I was the Chief Minister. Yes, I had taken several decisions. In those days, to protect the minorities, I took several decisions. Whatever has happened has happened. In 60 years, I have seen the so-called secularism, fundamentalism, communalism; I do not belong to any 'ism.' I am a farmer. I am not a law graduate. I am an ordinary farmer. Sir, I got reservation to several communities who had been totally neglected, and not only for the Muslims. I will not take the valuable time of this House; I can speak volumes.

Sir, today, I feel hurt by the way in which things have held. This is the highest office and institution created by our constitutional forefathers. We always take the name of Dr. Ambedkar. But how are we behaving? I, never in my life, disrespected the Chair or insinuated anything in any manner. I feel hurt. We must understand that the dignity, the decorum of the House should be controlled not by the Chair--it is very difficult—but both sides should cooperate. Unless and until they cooperate, it is very difficult for the Chair to maintain the highest exalted position where anybody sits. Sir, you are trying your best. You have given me some time, I would like to tell what happened to the Lokayukta Report of 2014. What happened to that property? Why has it been shelved? I have got a lot of material, but I would like to tell you that it is not to congratulate for namesake, but wholeheartedly I congratulate the Prime Minister, Narendra Modi, Mr. Amit Shah, the Home Minister, and the Parliamentary Affairs Minister who have done some homework to bring this legislation, to protect the properties which have been given by the donors. Sir, let me be very plain. It has not been sealed. If anybody has got a grievance, by this Amendment, they are free to go to the court. Appeals are allowed in the High Court within 90 days. Is there any ceiling? I do not know! Who has taken the rights of the people who have suffered? They can go to the court. Why should we try to hurt the feelings of the Government?

They have done their best to protect. Sir, late Shri Sachar, who is no more now, had given the Report. He said, 'The donor's property has been misused. It should be protected.' At what time? It was the UPA Government. Dr. Manmohan Singh is no more now. He is not with us. During his tenure, the Sachar Committee Report came. And, who was the Minister of Minority Affairs? My friend should not mistake, Shri K. Rahman Khan was the Minority Affairs Minister. What happened? Was any action taken? Sir, we worship one God. My friend worship 'Allah'; we say,

'Rama', 'Krishna'. When I became Prime Minister with a 13-party coalition, some of those who had supported me, asked me, 'Why you have gone to the temple?' They objected to this. I said, "I am a believer of God". I am a believer in God. I will go to all temples. There is no question of any religion. There is no question of any religion. I went to Golden Temple. I went to Ajmer Dargah. I went to Tirupati. There is no question of any discrimination. Sir, we call, it is a secular State. We always mention Ambedkar. Somebody was mentioning Mahatma Gandhi! What happened in West Bengal? We can speak volumes. Rama's photo was on the shoes in their feet. Today, in Tamil Nadu, lakhs and lakhs of people will go to all temples. Nobody can prevent by the means which they have adopted. You must realize. We have got some principles in life. I will take only a few more minutes. You had allotted me 10 minutes. I know that. Before you ring the bell, I myself will realize. You, in that exalted Chair, have given me much time. For several years, I have suffered, given one minute, two minutes or three minutes. I have not spoken much. Today, it hurts. I am speaking... When the Leader of this House, Naddajji, was speaking, I was listening to his speech. With so much of emotion, you spoke, Sir. Nothing more to add, Sir. Yesterday, I saw Lok Sabha speeches till one o'clock. I want to know who is going to speak what even at this age. Sir, I am supremely happy that you have allowed me to speak on the Waqf (Amendment) Bill.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Sir.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I support the Government. I, once again, congratulate Shri Narendra Modi, the Home Minister and the Parliamentary Affairs Minister for bringing this Amendment Bill. In the Joint Committee, what has happened has happened. I am not bothered. But, the Bill has been passed in the Lok Sabha, and, today, our all colleagues are certainly going to clear this Bill here. This Bill is going to become an Act. In future, all the Waqf properties will be protected by this law, which is going to be made by this Parliament. Thank you very much. I am grateful to you.

MR. CHAIRMAN: Now, Dr. Abhishek Manu Singhvi.

डा. अभिषेक मनु सिंघवी (तेलंगाना): माननीय सभापति महोदय और माननीय सांसदगण, मैं जिस बिल के विषय में बोलने जा रहा हूँ, उसमें सुधार कम है, संशय ज्यादा है; न्याय कम है, पक्षपात ज्यादा है। संविधान ने जो दिया, यह बिल उसे छीनने की कोशिश कर रहा है। इसमें संशोधन कम, चालाकी ज्यादा कहनी चाहिए। जब कानून बराबरी का ना हो, तो वह सत्ता की चालाकी बन जाता है। यह कानून नहीं, कानूनी भाषा में लिपटी हुई मनमानी है।

माननीय सभापति जी, अपने सीमित समय में मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला यह है कि यह बिल 100 प्रतिशत हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26, विशेष रूप से अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। मुझे वकील की हैसियत से सबरीमाला, संथारा, दाऊदी, बोहरा जैसे कई धार्मिक समुदायों के कई मुद्दों के विषय में बहस करने का सौभाग्य और मौका मिला था। उनमें अनेक निर्णयों से दो सिद्धांत स्पष्ट हैं। वे सिद्धांत 1950 से बार-बार और बारंबार उच्चतम न्यायालय ने घोषित किए हैं। ये सिद्धांत धर्म तटस्थ हैं, religion neutral हैं। एक यह है कि अगर किसी भी प्रथा या किसी भी धर्म, मजहब अथवा संप्रदाय का कोई भी रीति-रिवाज या कोई प्रथा उसका एक अभिन्न अंग बन जाता है, इतिहास में ले लीजिए, संस्कृति में ले लीजिए या किताबों में ले लीजिए, तो उसको अनुच्छेद 25 और 26 का पूरा व्यापक संवैधानिक सुरक्षा चक्र मिलता है। दूसरा यह है कि यदि ऐसे धर्म, समुदाय या संप्रदाय को अपनी संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार क्षेत्र बड़े पैमाने पर, बड़ी मात्रा में किसी कानून द्वारा घटाया गया, तो वह कानून खुद असंवैधानिक करार दिया जाएगा। यह इन दो धाराओं, अनुच्छेदों की बड़ी सीधा सबक है। इसके बारे में उच्चतम न्यायालय के अगणित उदाहरण हैं। हमारे 53 और 54 के जो दशक हैं, तब शिरूर मठ, रतिलाल गांधी जैसे मशहूर केस थे। अगले दशक 60s में दरगाह कमेटी, तिलकायत गोविंद लाल महाराज जैसे मशहूर केस थे। मैं इनके दो उदाहरण quote करके देना चाहता हूँ। रतिलाल के केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा..

I quote, "A law which takes away the right of administration altogether from the religious denomination and vests it in any other or secular authority would amount to violation of the right which is guaranteed under Article 26 of the Constitution." तिलकायत गोविंद लालजी महाराज का जो दूसरा निर्णय था, उसमें बड़ा लंबा पैसेज है, इसलिए मैं उसको पूरा तो क्वोट नहीं करूँगा, लेकिन उसमें एक जगह कहा गया है, "Article 26 brings out the competence of the legislature to make a law in regard to the administration of the property belonging to a religious denomination." So far so good! अगला वाक्य है, "The denomination's right must however not be extinguished or destroyed or diminished under the guise of regulating the administration of the property by the denomination." माननीय सभापति जी, 75 वर्ष के जो ये संस्थापित संवैधानिक सिद्धांत हैं, उनको इस कानून के संदर्भ में लागू करके देखते हैं, वे किस कसौटी पर उतरते हैं। इसमें दूसरा बिंदु आता है।

AN HON. MEMBER: Sir, please speak in English.

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI: I spoke yesterday mostly in English. आज रियायत है कि हिंदी में ज्यादा बोलना है।

MR. CHAIRMAN: Dr. Singhvi, address the Chair.

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI: I hope the translation is working well.

MR. CHAIRMAN: Doesn't matter. You can address the Chair.

डा. अभिषेक मनु सिंघवी: सर, मेरा दूसरा बिंदु है। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा, माननीय नड्डा जी अभी कुछ और कह रहे थे, जबकि बिल के clause 11 के अंतर्गत 100 प्रतिशत मेंबरान प्रादेशिक वक्फ बोर्ड के ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनको प्रदेश सरकार नियुक्त, नॉमिनेट करेगी। एक इस्लामिक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का स्वायत्तता, ऑटोनमी, अधिकार क्षेत्र कहां बचा? 100 प्रतिशत नुमाइंदा नॉमिनेटेड और 0 प्रतिशत चुनावित। इस धर्म और समुदाय को अपने वर्गों को चुनावित करने का क्या अधिकार क्षेत्र बचा? तीसरा, वक्फ बोर्ड में बड़ी तरकीब से लिखा गया है, न्यूनतम तीन, यानी 11 में से तीन मुसलमान होने चाहिए। इसको अगर विपरीत भाषा में पढ़ा जाए, तो आप 11 में से 8 गैर-मुसलमान नियुक्त कर सकते हैं। लिखा तो खैर विपरीत भाषा में है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 26 का कौन-सा स्वायत्त का हक अपने समुदाय के साथ छोड़ा गया है? दूसरी जो एक बॉडी है, संस्था है, वक्फ काउंसिल, वहाँ गनीमत है कि 22 में से कम-से-कम 12 मुसलमान होने चाहिए।

चौथा बिंदु, अनुच्छेद 25 और 26 में अपने धर्म के लोगों को अपनी संस्थाएँ खुद चलाने का हक दिया गया है। इस बिल में clause 14 द्वारा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई मेंबरान अविश्वास मत नहीं ला सकता। उसको अविश्वास मत द्वारा हटाने की प्रक्रिया नहीं की जा सकती। सरकार ने इस बिल में क्या गणतांत्रिक प्रक्रिया छोड़ी है? क्या स्वायत्तता बची है? बचा है तो सिर्फ सरकारी नियंत्रण।

पांचवां बिंदु, पहले पुराने कानून में वक्फ बोर्ड के सीईओ को मुसलमान होना अनिवार्य था और साथ-साथ दो व्यक्ति, जिनके नाम बोर्ड देता था, उनमें से एक को नियुक्त करना आवश्यक था। वर्तमान बिल का clause 15 इन सबको हटा देता है, क्योंकि इसका आधार है, अब बिग ब्रदर नॉमिनेशन के आधार पर इसको चलाएगा।

छठा, मैं आपके सामने छह-सात एक्ट्स का नाम लेना चाहता हूँ। 'Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1997', 'Shri Jagannath Temple Act, 1955', 'Mata Vaishno Devi Shrine Act, 1988', 'Tamil Nadu Religious and Charitable Endowments Act, 1959,' 'Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983', and 'Sikh Gurdwaras Act, 1925.' मेरे पास भारत के विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के विषय में, भारत के विभिन्न प्रदेशों के विषय में यह सूची बहुत लंबी है। मैं इस सम्मानित सभा से यह पूछना चाहूँगा कि क्या आप इसमें से एक भी किसी समुदाय, धर्म का नाम ले सकते हैं, जिसमें उस समुदाय, धर्म के अलावा लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है?

मैं बीजेपी के नए-नवेले दोस्त, माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब की सराहना करता हूँ और पूरा समर्थन करता हूँ। मैं वास्तव में उनकी सराहना और समर्थन करता हूँ। जब उन्होंने कहा कि तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू कैसे आ सकता है, तो बात बिल्कुल सही है। फिर किस आधार पर यह सरकार यह आडंबर कर रही है, यह सौतेला व्यवहार, यह भिन्न कसौटी एक समुदाय पर? इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे समुदायों पर भी यह प्रहार करें। इसका मतलब है कि आप ठीक-ठाक तरीके से, द्वेष की भावना से यहां नहीं चले हैं।

सातवां मुद्दा - यह जो अभी 'Waqf by User' की बात हुई, यह बड़ी रोचक एक कानूनी सिद्धांत की बात है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्भाग्यवश - इस बिल के निर्माता ने शायद यह ध्यान नहीं दिया - बार-बार कहा और अभी हाल में 2020 में कहा, एक निर्णय आया कि सैकड़ों वर्षों से या कई दशकों से 'Waqf by User' कानून में, धर्म में, प्रैक्टिस में, प्रचलित है, embedded है, स्थापित है। मेरे पास जो आखिरी निर्णय है, वह 2020 का है। मैं उसकी दो लाइन पढ़ लूँ। Waqf need not necessarily be an expressed declaration in every case. The same can, reasonably, be inferred from the facts and circumstances. उसके बाद इसमें बड़े लंबे-चौड़े डिस्कशंस हुए हैं। मेरा मुद्दा यह है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय द्वारा यह स्थापित कर दिया है कि 'Waqf by User' कानूनी है, सही है, संवैधानिक है, तो उसको हटाने का तरीका एक ही होता है। उसको कानून निरस्त नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं कि कानून की एक बड़ी स्थापित मर्यादा है कि कानून द्वारा आप किसी निर्णय को निरस्त नहीं कर सकते। आप सबसे ज्यादा यह कर सकते हैं कि उस निर्णय के आधार को हटा सकते हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा कि इस निर्णय का जो आधार है, वह कई दशकों से एक स्थापित कस्टम है, 'Waqf by User', उसका आधार आप कैसे हटाएंगे? इस बिल का जो पहला प्रारूप था, उसमें उसको हटाने का प्रयत्न किया गया, यानी निर्णय को निरस्त करने का न कि कोई आधार का हटाना। जब शायद मिली-जुली पार्टीज़ के प्रोटेस्ट आए, तो एक और रोचक प्रसंग निकला। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको हटा तो रहे हैं, लेकिन इसको भविष्य से हटाएंगे। Retrospective नहीं, यानी 'Waqf by User' आगे से नहीं होगा, जो गलती आपने पहले की। अगर कोई चीज़ कानून द्वारा स्थापित पाई गई है और आप उस चीज़ का, उस निर्णय का, उच्चतम न्यायालय के उस jurisprudence का आधार नहीं हटा सकते हैं, तो आप उसको भूत के लिए भी नहीं हटा सकते और भविष्य के लिए भी नहीं हटा सकते, retrospective also and prospective also. तो इसका कोई तर्क, इसकी कोई खास समझदारी मुझे नहीं दिखी।

आठवां - क्लॉज़ तीन के अंतर्गत पांच साल के इस्लाम के अनुयायी की आवश्यकता है, जिसका अभी जिक्र हुआ, लेकिन साथ-साथ एक बड़ा रोचक वाक्या और है, जिसका जिक्र नहीं हुआ। पांच साल के इस्लाम के अनुयायी के बाद जो वाक्य है, वह कहता है, "...having ownership of such property and that there is no contrivance involved in the dedication of such property." या तो हमारे ड्राफ्टमैन साहब/साहिबा बहुत सरल हैं या अत्यंत शातिर हैं। यह contrivance क्या होता है? यह युक्ति, यह तरकीब कौन, कैसे, किस आधार पर, किन तथ्यों पर निर्णित करेगा? यानी, अगर एक व्यक्ति 5 नहीं, 30 साल से इस्लाम का अनुयायी है, उसके पास सेल डीड है, वह उस जमीन का मालिकाना हक है, फिर भी वह जिंदगी भर कलेक्टरेट और सरकारी दफ्तरों के चक्कर यह बताने के लिए लगाएगा कि contrivance नहीं है और इसीलिए वह हमारे शासकों के नियंत्रण में रहेगा।

*"मिट्टी मेरी, मकान मेरा, इबादत मेरी, निशान मेरा
फिर भी कहते हैं सबूत दे कि हक है तेरा।"*

Ninth and my final point for the day; I will finish in time. The Bill has proposed to delete one Section of the old Act which did not apply the Limitation Act to the Waqf Act. There is a specific provision, that is, Section 107, which said that Limitation Act जो कई कानूनों पर apply करता है, वह पुराने वक्फ ऐक्ट पर लागू नहीं होगा। It will not apply. In other words, this new Bill says that the Limitation Act will apply to the Wakf Act. Now, this Act, at first blush, may seem to be a positive measure, but on deeper reflection, it is actually designed in favour of persons and those persons, including many Government entities, who have actually been illegally occupying Waqf properties for many, many years. In most of these cases, lack of identification of such properties, lack of resources with those claiming it to be Waqf, lack of sustenance to fight governmental occupants and absence of going to Court means that those, who occupy real genuine Waqf property, will be able to claim permanent ownership, as you well know, after 12 years on the basis of adverse possession. So, limitation will kick in after 12 years because this Act says, limitation shall apply to Waqf, and the claim of the Wakf, that this is genuine Waqf property, will be time barred. Here is the irony. On one hand, the Bill has omitted the concept of ‘Waqf by user’, or, at least, prospectively now, by an Amendment. It disallows Waqfs to be created on the basis of uninterrupted usage over a significant period of time. On the other, the applicability of the Limitation Act, if this Bill is passed, has inversely and conversely allowed the Government, other Government-like quasi-entities, and others outside the community, to lay a claim over real Waqf property on the basis of uninterrupted and continued possession beyond 12 years, so long as litigation is not started before that. A property can thus be usurped on the principle of adverse possession. This is a deliberate attempt by the Government to further its own agenda by minimizing protection conferred upon Waqf properties with the right hand, and, at the same time, significantly increasing its own control and power to permanently claim properties with its left hand.

“हमारी खुद की छत भी छिनी जाती है हमसे,
और कहते हैं कि वक्त का तकाजा यही है।”

The Limitation Act deals with *vakt*, apart from Waqf.

“जिस जगह सजदों के निशान थे,
आज वहाँ दस्तावेज़ माँगे जा रहे हैं।”

माननीय सभापति जी, अंत में मैं यही कहूँगा कि इसमें कई और बिंदु हैं, जिनके लिए मेरे पास बात करने का समय नहीं है। लेकिन अगर इस पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, अगर इसको ego के आधार पर पारित किया जाएगा, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि अगले कुछ वर्षों में इसे असंवैधानिक करार दिया जाएगा, धन्यवाद।

श्री किरेन रिजिजु: पहले ये कोर्ट में जवाब देते हैं, बाद में यहां आकर जवाब देते हैं।

श्री सभापति: ज़ाहिर था। While it is for the House to decide on legislation, one observation made by the hon. Member that limits power of this House surely cannot be appreciated. You have firmly indicated that this House ...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, that is his view.

MR. CHAIRMAN: No, he quoted judgments. ...(Interruptions)... Well, hon. Members, I have been firm in echoing this thought process in the entire House on multiple occasions. When it comes to legislation, our supremacy is not subject to any approval. ...(Interruptions)...

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI: Sir, can I just say with your permission? Your view is supreme. But, particularly, I submit with respect that the view of a Member, who speaks, is also supreme within his speech.

MR. CHAIRMAN: Right.

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI: Unless I say something expungible, it is my view that legislation of this House is not supreme. The Constitution is supreme.

MR. CHAIRMAN: Dr. Singhvi, I do not seek to join issue with you, but I wish to make it very categorical that repository of sovereignty is this House.

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI: I would be the last person ...(Interruptions)...

श्री सभापति: सिंघवी साहब, मैं आपको एक राय दूंगा। आपके पिता जी बहुत नफीस थे। वे कभी भी सभापति के बाद जी लगाना नहीं भूले। आपको आज यह याद ही नहीं रहा।

डा. अभिषेक मनु सिंघवी: मैंने तो अभी दो सेकंड पहले Hon. Chairman कहा।

श्री सभापति: आपने नहीं कहा, आप एक बार देखिए। इस कुर्सी पर कोई भी बैठा हो। सभापति कहना और सभापति जी कहने में बड़ा फ़र्क पड़ता है।

डा. अभिषेक मनु सिंघवी: मैं माफी चाहता हूँ। मैंने तीन बार माननीय सभापति कहा, लेकिन सभापति जी नहीं कहा।

MR. CHAIRMAN: Prof. Ram Gopal Yadav.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I want to say something.

MR. CHAIRMAN: I know you will create disturbance. ...(Interruptions)...

श्री जयराम रमेश: सर, आप बार-बार कहते हैं कि यहां वकील नहीं बैठते हैं। हमारी पार्टी के सारे वकील बैठे हुए हैं।

श्री सभापति: मैं आपको रोज यह नहीं कह सकता कि whip जारी कीजिए।

डा. अभिषेक मनु सिंघवी: सर, मैं दो sentence कहना चाहता हूँ।

श्री सभापति: आपने whip जारी किया है, इसलिए उपस्थित हैं।

डा. अभिषेक मनु सिंघवी: सर, मैं दो sentence कहना चाहता हूँ। आपने शायद माननीय शब्द को सुना नहीं या देखा नहीं। दूसरा, मैंने कहा ...(व्यवधान)... कानून सर्वोपरि संविधान है।

MR. CHAIRMAN: Now, Prof. Ram Gopal Yadav. Only what Prof. Ram Gopal Yadav says will go on record. And, I am sure, hon. Members will reflect upon what I have said. Prof. Ram Gopal Yadav.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिल पर बोलने का मौका दिया। कल लोक सभा में मध्य रात के बाद तक चर्चा चली और बिल पास हुआ। मैंने माननीय रिजिजु साहब का पूरा भाषण सुना और नेताओं के भी भाषण सुने। आज भी सुन रहे हैं। दोनों तरफ से कुछ बहुत अच्छे वक्ताओं ने भाषण दिए। कभी-कभी उधर से कोई अच्छा व्यक्ति बोल रहा है, तो लगता है कि यही सही है और कई बार ऐसा लगता है कि इधर से जो बोल रहे हैं, वे ज्यादा सही हैं। जब संसद में कन्फ्यूजन जैसी स्थिति हो जाती है, तो हमें लगता है कि संसद के माध्यम से देश की आम जनता में भी कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, जबकि स्थिति बिल्कुल साफ है। मैं जब पहली बार संसद में आया, उस तरफ, जो अब संविधान सदन हो गया है। जब हम सेंट्रल हाल में घुसते हैं, तो ऊपर लिखा है-

“अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्”

मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ, सरकार से खास तौर से, क्योंकि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वे कुछ बना-बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन जो इधर बैठे हुए हैं, वे देश का, लोगों का और संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा का बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं, इसलिए उदार बने रहिए। नड्डा जी ने अच्छी बात कही, लेकिन कहा कि राजनीति हुई और अंत में खुद राजनीति में प्रवेश कर गए। स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि सारे धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। हिंदुस्तान में माइनोंरिटी की बहुत बड़ी आबादी है और खासकर मुसलमानों की। मेरे ख्याल से दुनिया में इतनी बड़ी संख्या मुसलमानों की कहीं नहीं है, जितनी हिंदुस्तान में है, बल्कि मुस्लिम देशों में भी नहीं है। इतनी बड़ी आबादी के साथ अगर लोगों को यह लगे कि अन्याय हो रहा है और जनता में इसके बारे में चर्चा हो जाए, तो फिर आप कितना भी कहिएगा कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं, appeasement की बात कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। व्यक्ति जब अपने को असेस करता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन जब जनता उसको जज करती है कि उन्होंने अतीत में कैसा किया है, मैंने पीछे कैसा किया है, क्योंकि जजमेंट उससे होती है। मैं कहूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और करूँगा, उससे कोई जज नहीं करेगा। आपने अतीत में जो किया है, जनता उससे संतुष्ट नहीं है। भले ही आप येन, केन, प्रकारेण चुनाव जीत जाएं, लेकिन पब्लिक उससे संतुष्ट नहीं है। पब्लिक को विश्वास नहीं है, क्योंकि जो बातें आपने कहीं, जो इस सरकार ने लोगों से वादे किए, उन वादों को न पूरा किया और न उन पर अमल करने की कोशिश की। हमारे पहले वक्ता जो बोल रहे थे, तो ऐसा लगता था कि जाने कितना प्रेम गरीब, मुसलमानों के प्रति इनके मन में उभर आया है।

क्या हम इन्हें आज से जानते हैं? ...**(व्यवधान)**... आप हमारे मित्र हैं, नेता जी से आपके संबंध बहुत अच्छे रहे, जो मुख्य मंत्री रहा, उसके साथ अच्छे संबंध रहे, अखिलेश से बहुत अच्छे संबंध रहे और मुझसे तो बहुत ही अच्छे संबंध रहे। वे इस तरह से बोल रहे थे, ...**(व्यवधान)**... वे तो अच्छे आदमी हैं ही। वे अच्छे आदमी हैं, लेकिन किसी एक आदमी से डरने की वजह से यहाँ पर आ गए, परंतु अच्छी बात यह है कि इसकी आलोचना करने से बड़े पद पर पहुँच गए। मैं यह कह रहा था कि उधर से जो भाषण हो रहे हैं, उनमें बार-बार जमीन, फंड और पैसे की बात आती है। मुझे ऐसा लगता है कि 2014-2024 तक आपको याद ही नहीं रहा, आपको दस साल तक याद ही नहीं रहा कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी बड़ी संपत्ति है, वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा है। जब देश की सारी संपत्तियाँ बेच दीं, तब देखा गया कि कहाँ-कहाँ बची हुई हैं और आप इस पर आ गए। ...**(व्यवधान)**... आप ऐसा मत कीजिए। यह देश सबसे मिलकर, सबके सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ेगा भी। महोदय, हम कितना ही अलग-अलग रास्ते पर चलें, लेकिन अंततोगत्वा कभी न कभी यह दिमाग में आता ही है कि हमें मिलकर काम करना होगा, तभी देश की तरक्की हो सकती है। आप बुरा न मानें, तो मैं एक सेंटेंस कह रहा हूँ। मैं कई बार इतना ज्यादा कटु सत्य कभी नहीं बोलता हूँ और वह इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि आगे की लाइन में और पीछे की लाइन में भी, दोनों तरफ, और खास तौर से उस तरफ जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनका बहुत

लिहाज करता हूं। इनको कहीं बुरा न लगे, इसलिए नहीं कहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, प्रो. मनोज झा ने इशारा किया था कि हम धीरे-धीरे डेमोक्रेटिक स्टेट से टोटलटेरियन स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं और यह बहुत ही नुकसानदायक बात होगी, इधर बैठे लोगों के लिए भी और उधर बैठे लोगों के लिए भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो। इसीलिए यह स्थिति मत पैदा होने दीजिए।

महोदय, यहाँ पर जो बिल आया है, हमें उस पर संदेह इसलिए ज्यादा है — उत्तर प्रदेश के लोग बुरा न मानें, हम जो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, वह यह देख रहे हैं कि वहाँ लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, वे अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। मैं तो आपकी तरफ देखकर कहूँगा।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: लेकिन थोड़ा बोर्ड की तरफ भी देख लीजिए।

प्रो. राम गोपाल यादव: आपने तीन मिनट वालों को बीस मिनट दे दिए थे, हमें भी एकाध मिनट ज्यादा दे दीजिए। वैसे मैं आपके हर आदेश का पालन करूँगा, अगर आप कहेंगे, तो मैं अभी बैठ जाऊँगा।

श्री सभापति: नहीं, नहीं।

प्रो. राम गोपाल यादव: नड्डा साहब, आपने टेलीविजन पर संभल के बारे में देखा होगा। संभल मेरी पार्लियामेंटरी कांस्टीट्यूंसी रही है, मैं वहाँ से लोक सभा का सदस्य रहा हूँ। महोदय, ईद के दिन जब लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो बाहर अधिकारी हाथ में नंगी रिवॉल्वर्स लिए फोर्स के साथ घूम रहे थे। यहाँ शांति की बात हो रही है, लेकिन जब प्रदेश में कहीं पर यह माहौल हो जाए, तो आप किसी अच्छे मन से भी कोई बिल लाएंगे, जिसमें माइनोरिटी इन्चॉल्व होगी, तब भी उनको भरोसा नहीं हो सकता है। इसलिए पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार को संभालिए कि माइनोरिटी के साथ ठीक व्यवहार करें, उसके बाद इस तरह के बिल लाएं और इसमें भी संशोधन रखें।

महोदय, हमें लगता है कि आपने यह सोचा ही नहीं कि जब इसको इम्प्लिमेंट करेंगे, तो सामने कितना बड़ा संकट आएगा, इसको लागू करने में आपके सामने ही दिक्कतें आ जाएंगी।

महोदय, वह पाँच साल से इस्लाम का प्रचार कर रहा हो, लेकिन जो हिंदू पैदा हो गया, वह हिंदू है, जो मुस्लिम पैदा हो गया, वह मुसलमान है। वह प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, इस्लाम का कर रहा है या नहीं कर रहा है — यह न आपके हाथ में है, न हमारे हाथ में है, यह तो ईश्वर के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। कौन कहाँ पैदा हुआ? वह जहाँ पैदा हुआ है, अगर मुसलमान पैदा हुआ है, तो मुसलमान धर्म का है या नहीं है? उसको मुसलमान माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? उसमें पाँच साल का बैरियर लगाने से क्या फायदा है? आप यदि सारा अधिकार एक कलेक्टर को दे देंगे, तो वह आर्टिकल 26 का उल्लंघन तो है ही है।

फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के तीसरे भाग में हैं। उसमें आर्टिकल 13 में साफ लिखा हुआ है कि इस भाग के अंतर्गत जितने भी अधिकार दिए गए हैं, उनको सीमित करने वाला, छीनने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है, तो वह कानून रद्द होगा। यह आर्टिकल 13 में है, आप सभी जानते हैं। यहां बड़े-बड़े वकील भी बैठे हुए हैं। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 26 में है कि कोई

भी माइनोंरिटी अपना रिलीजियस मैनेजमेंट और सारी व्यवस्था खुद कर सकती है। दोनों को एक साथ पढ़ें, तो आप स्वयं इस निष्कर्ष पर आ जाएंगे कि यह इल्लिगल है, असंवैधानिक है, तो आप कोई असंवैधानिक काम मत कीजिएगा। आप दोनों जगह बहुमत में हैं। वहां तो आपने बहुमत बना लिया और यहां आपको वास्तव में बहुमत प्राप्त है।

श्री सभापति: थैंक यू, प्रोफेसर साहब।

प्रो. राम गोपाल यादव: उसका दुरुपयोग मत कीजिएगा, मेरी यही राय है। ईश्वर से डरिए, क्योंकि ये कोई आपके दुश्मन नहीं हैं। दुश्मन तो व्यक्ति का अहंकार होता है। कभी-कभी कुछ लोग उधर से ऐसे बोलते हैं - आप तो बहुत विनम्र लोग हैं - जिनके बोलचाल से ही अहंकार टपकता है। किसी का अहंकार से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है और जिसको अहंकार हो जाता है, उसका नुकसान होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू, प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात कही। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आपने कौन सी आपत्तिजनक बात कही। आपने डा. राधा मोहन अग्रवाल जी की तरफ इशारा करके कहा ...**(व्यवधान)**... आपने डा. राधा मोहन अग्रवाल जी की तरफ इशारा करके कहा कि एक व्यक्ति से डर कर यहां आ गए। यह आपत्तिजनक है।

प्रो. राम गोपाल यादव: अगर इनको आपत्ति हो, तो मैं विद्वों कर लूंगा। इनको आपत्ति नहीं है।

श्री सभापति: चाहे इनको आपत्ति हो या न हो, लेकिन मुझे आपत्ति है, क्योंकि यहां का कोई सदस्य डर नहीं सकता और डा. राधा मोहन अग्रवाल तो बिल्कुल ही नहीं डर सकते हैं, पर आपने उस व्यक्तित्व का महिमामंडन किया है। यह आपकी साजिश है। यह सोच समझकर किया है और आपने एक बात की शुरुआत की है कि आपके प्रांत में ऐसी ताकत है कि लोग यहां आते हैं। यही कहा न आपने! ...**(व्यवधान)**...

MESSAGES FROM LOK SABHA

Coastal Shipping Bill, 2025

MR. CHAIRMAN: Message from the Lok Sabha. Secretary-General.

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd April 2025 passed the Coastal Shipping Bill, 2025. I lay a copy of the said Bill on the Table.
